खण्ड-395, अंक-3
बुधवार, 16 फाल्गुन, शक संवत् 1911
(7 मार्च, 1990 ई0)

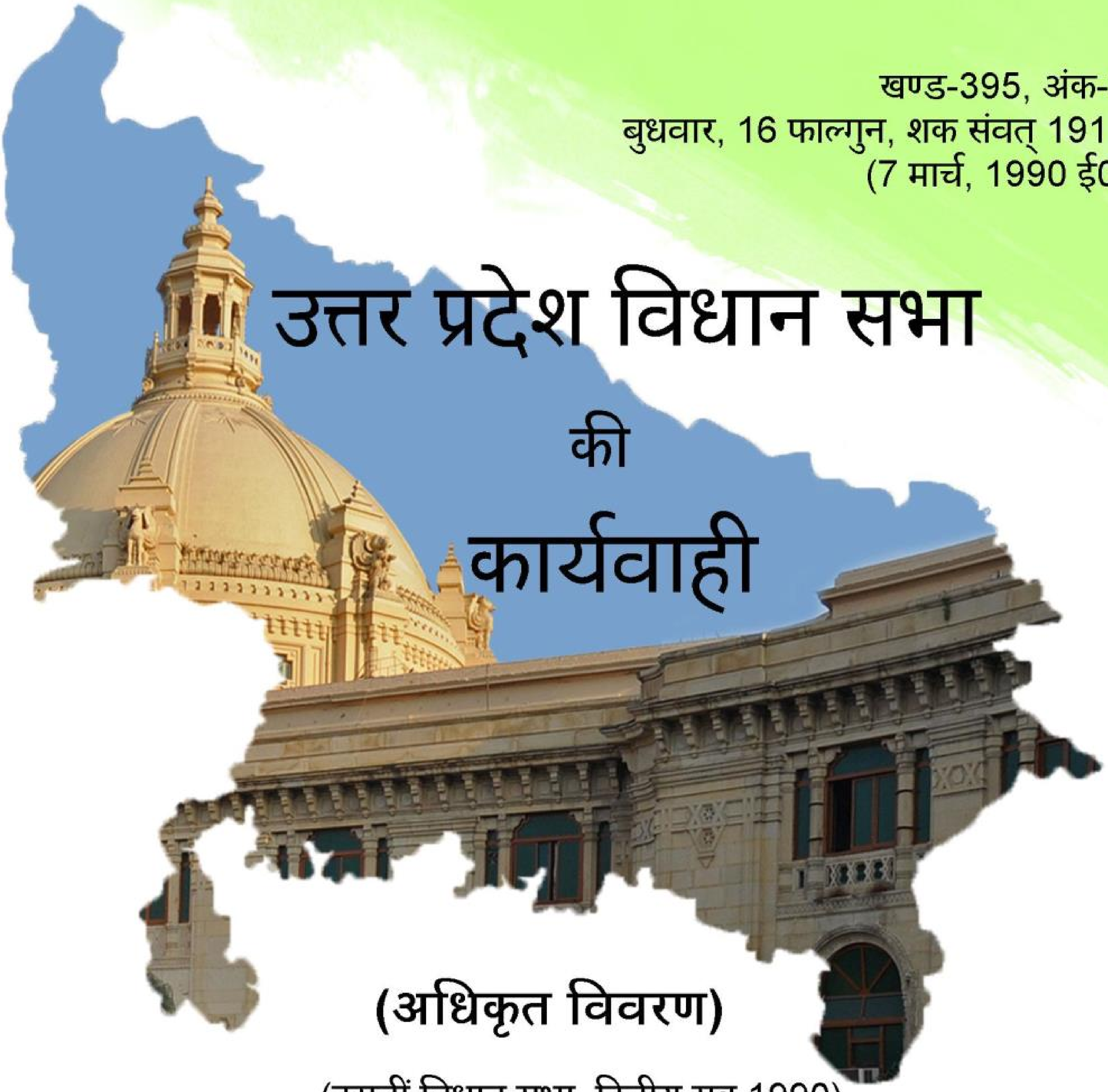

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1990)

खण्ड 395 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	छ
प्रश्नोत्तर (जारी)	1
सदन की माइक व्यवस्था ठीक न होने के संबंध में आपत्ति तथा इसकी जांच हेतु सदन के सदस्यों की समिति बनाये जाने की श्री अध्यक्ष द्वारा घोषणा .	5
प्रश्नोत्तर	9
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मुकीमुर्रहमान के निधन पर शोकोद्गार ..	68
व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	71
श्री उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा विधान सभा के नव-निर्वाचित उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान को बधाई	71
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	77
जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र बारा में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
लखनऊ फैजाबाद एवं गोरखपुर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
सरयू नहर खण्ड 3 थाना कलपी बहराइच के अन्तर्गत लकड़ी स्केप चैनल के निर्माण कार्य में घोर अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन की इकाई बिनकी जनपद बदायूं में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद गाजीपुर में ओलावृष्टि से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद बुलन्दशहर के कस्बा स्याना से खानपुर जहांगीराबादमार्ग को पेन्टिंग स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	80
लखनऊ जनपद के ग्राम जलालपुर, शिवपुरी आदि में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद अल्मोड़ा में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की गृह विज्ञान की परीक्षा में एक ही केन्द्र पर सोलह सौ परीक्षार्थियों को बुलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद बरेली में डाम से बिना पूर्व सूचना के किच्छा नदी में पानी छोड़ने से किसानों के फसलों की क्षति होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद देवरिया में यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के केन्द्र देवरिया के गोडाउन कीपर द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खण्डर से फतेहपुर तक के मार्ग के बाई पास के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	82

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बाराबंकी के ग्राम मेहदिया में एक सिपाही तथा एक होमगार्ड सिपाही की हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
लखनऊ महानगर के सिविल अस्पताल में आंखों के उपचार में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद जौनपुर में मड़ियाहूं तहसील मुख्यालय पर बाई पास निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद मऊ की तहसील घोसी के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की लगान माफी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद लखीमपुर खीरी के नगर क्षेत्र समिति सिंचाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
गाजीपुर जनपद के दिलदार नगर क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद बांदा के तहसील कर्बी में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनकट जनपद आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
प्रदेश की गंडक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना के समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
बाराबंकी ब्रांच, नहर की पटरी को कस्बा देवा से निगोहा तक पक्का कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
राजाजीपुरम् कालोनी, लखनऊ के एल0 आई0 जी0 श्रेणी के भवन आबंटियों को वाटर मीटर की आपूर्ति न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद देवरिया में ओलावृष्टि से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र में विद्युतीकरण में हुई धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
नवम् मंडल सिंचाई कार्य बहराइच के अन्तर्गत सरयू मुख्य नहर के निर्माण कार्य में अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था में गड़बड़ी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद बांदा में रसिन बांध का निर्माण न होने से किसानों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
वाराणसी जनपद के अराजी लाइन्स ब्लाक के राजा तालाब क्षेत्र में स्वीकृत पाइप लाइन योजना के कार्यान्वयन न होने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद गाजीपुर के थाना भांवरकोल के ग्राम मांचा व सियाड़ी में कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90

विषय	पृष्ट संख्या
उन्नाव जनपद में प्रदूषण एवं बीमारियों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद वाराणसी के वाराणसी इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डर टेकिंग कार्यालय में मीटर के अभाव से जन असन्तोष व्याप्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद गोण्डा में मंजगवा जलाशय के बीयर टूटने से पानी के अभाव में किसानों में असन्तोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद नैनीताल के शक्ति कार्मा कालोनी के विस्थापित नमोराम जाति के लोगों को अनुसूचित जाति घोषित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
नलकूप निर्माण खंड सीतापुर क्षेत्र में किसानों की अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद नैनीताल स्थित कुमायूं विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा पद के दुरुपयोग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज में चीनी मिल की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद फैजाबाद में फ्री बोरिंग कार्य में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद गोण्डा के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद इलाहाबाद के मल्लपुर क्षेत्र में दोहरा विकास शुल्क वसूल किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद पीलीभीत में सहकारी चीनी मिल बीसलपुर सेमीखेड़ा व सितारगंज के विस्तार कार्यक्रम में धांधली कियेजाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद गोरखपुर में मुंडेरा बाजार क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद इलाहाबाद में किशनपुर पम्प रामगंगा नहर की सफाई में लाखों के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग यान्त्रिक संवर्ग में अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर आरक्षण कोटा पूरा न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद गोरखपुर के थाना बड़हलगंज की पुलिस द्वारा बर्बरता एवं अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
जनपद हरदोई के विकास खंड टड़ियावां में कालाआम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97

विषय	पृष्ठ संख्या
फिरोजाबाद शहर में जल भराव व गन्दगी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद मऊ में ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
आगरा शहर में ड्रमण्ड पुल के स्थाई निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई थुंधुकी महराजगंज को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99
जनपद गोरखपुर और महराजगंज के कैम्पियरगंज, सूरपार, चौलगढ़ आदि ग्रामों के वनटांगिया काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स में समान कार्य के लिये समान वेतन व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद बाराबंकी के थाना हैदरगढ़ के ग्राम लाही के सी निवा श्री जगन्नाथ के उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
मेरठ जनपद के बरनावा क्षेत्र में भूजल स्तर गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद वाराणसी में शांति व्यवस्था कायम किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद लखनऊ की तहसील लखनऊ के अन्तर्गत नगरपालिका सीमा में सम्मिलित ग्रामों में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद फैजाबाद का टाऊन तापीय विद्युत परियोजना की वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103
फैजाबाद जनपद में ओलावृष्टि से फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .	103
प्रदेश में फर्जी राशन कार्डों को समाप्त कर नये राशन कार्ड बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	104
आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने तथा बिजली की दरों में वृद्धि को रोकने के संबंध में शासन द्वारा की गयी घोषणा का कार्यान्वयन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	105
उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन द्वारा प्रकाशित टेलीफोन डाइरेक्टरी के लघु संस्करण में नेता विरोधी दल का नाम अंकित न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	106
आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने तथा बिजली की दरों में वृद्धि को रोकने के संबंध में शासन द्वारा की गयी घोषणा का कार्यान्वयन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	107

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान परिषद् के सभापति श्री जगदीश चन्द दीक्षित के निधन की सूचना	109
विधान परिषद् के सभापति श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित के निधन पर शोकोद्गार लिए जाने तथा सदन को स्थगित किये जाने की मांग .. (अस्वीकृत)	110
वर्ष 1990 के प्रथम सत्र (दि0 10-1-90 से 17-1-90 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण एव शुद्धि-पत्र .. (सदन के पटल पर रखा गया)	111
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) (प्रथम संशोधन) नियमावली 1988 .. .. .. (सदन के पटल पर रखी गयी)	111
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1990 .. (सदन के पटल पर रखी गयी)	111
यू0 पी0 स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लि0 का 16 वां एवं 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 एव 1985-86 .. .. .. (सदन के पटल पर रखा गया)	111
दि इन्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लि0 की तिरसठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 .. .. .. (सदन के पटल पर रखी गयी)	112
दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 लि0 की वार्षिक रिपोर्ट 1987-88 .. .. .. (सदन के पटल पर रखी गयी)	112
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 1989 .. (सदन के पटल पर रखी गयी)	112
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	112
राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	112
वित्तीय वर्ष, 1989-90 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान	113
उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1990 .. (पारित)	119
वित्तीय वर्ष 1990-91 का अन्तरिम आय-व्ययक एवं उसके एक भाग के लिए लेखानुदान (प्रस्तुत किया गया।)	120
वित्तीय वर्ष 1990-91 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव .. (स्वीकृत)	120
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990 (पारित)	121
सदन को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित किये जाने की सूचना ..	122
नत्थियां।	128

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त सभी सदस्य उपस्थित थे--

श्री अचल सिंह	फतेहपुर	श्री मदन गोविन्द राव	देवरिया
श्री अरविन्द कुमार	ललितपुर	श्री मुलायम सिंह यादव	इटावा
श्री इन्द्र प्रताप सिंह	बहराइच	श्री रणजीत सिंह	देहरादून
श्री उमाकांत बाजपेयी	फतेहपुर	श्री रवीन्द्र सिंह चौहान	इटावा
श्री कप्तान सिंह	फर्रुखाबाद	श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	गाजीपुर
कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी	इलाहाबाद	श्री राजीव कुमार सिंह	बाराबंकी
श्री कुंवर सिंह नेगी	चमोली	श्री राजेन्द्र त्रिपाठी	इलाहाबाद
श्री चन्द्र विजय सिंह	मुरादाबाद	श्री राम शरन दास	सहारनपुर
श्री देव कुमार यादव	बांदा	श्री वीर अभिमन्यु सिंह	फतेहपुर
श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी	गढ़वाल	श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी	सीतापुर
श्री प्रवीण सिंह ऐरन	बरेली	श्री सुलेमान	बिजनौर
श्री भारत सिंह रावत	गढ़वाल	श्री स्वामी नाथ	देवरिया
श्री भोला सिंह	इलाहाबाद	श्री हर नारायण सिंह	रायबरेली

विधान सभा उत्तर प्रदेश

विधान सभा प्रदेश प्रदेश

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में निराश्रित विधवाओं को पेंशन या अनुदान दिये जाने की व्यवस्था

**1—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधवाओं को पेंशन या अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के समाज कल्याण सेक्टर के अंतर्गत निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान दिये जाने की योजना संचालित है । उक्त योजना जिला योजना है । जिसमें अनुदान नियमावली के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, आप कृपया मेरा प्रश्न देख लें और माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसको भी देख लें । मैंने प्रश्न यह किया है कि प्रदेश में विधवाओं को पेंशन या अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में कोई योजना शासन के विचाराधीन है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकार की घोषणा भी की थी कि प्रत्येक विधवा को पेंशन देंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो अपना उत्तर दिया है वह निराश्रितों को पेंशन देने के बारे में दिया है । माननीय नेता सदन की इस प्रकार की घोषणा के बाद प्रदेश की लाखों विधवाओं ने 10-10 रुपये खर्च करके अपनी फोटो खिंचवाई और पेंशन के लिए अपने प्रार्थना पत्र दाखिल किये और आज उनके लाखों प्रार्थना पत्र कार्यालय में पड़े हुए हैं । मैं स्पष्ट ये जानना चाहता हूं कि प्रदेश की विधवाओं को पेंशन या अनुदान देने के बारे में शासन की कोई नीति है या नहीं ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, निराश्रित विधवाओं के लिए उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है जिसकी रकम जनवरी, 1990 से बढ़ाकर 100 रुपया कर दी गयी है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा जाय कम से कम उसका उत्तर तो आना चाहिए । मैं प्रश्न विधवाओं को पेंशन देने के बारे में पूछ रहा हूं और माननीय मंत्री जी बार-बार वही रटा हुआ उत्तर दे रहे हैं । विधवाओं को पेंशन देने के बारे में महामहिम राज्य पाल के अभिभाषण में भी सरकार की नीति संबंधी घोषणा की गयी थी और उसी का जिक्र माननीय नेता सदन ने भी किया था । माननीय मंत्री जी कृपया स्पष्ट इसका उत्तर देने का कष्ट करें कि इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया और अब फिर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में वे विधवायें जो निराश्रित हैं उनके भरण पोषण के लिए 100 रुपया प्रतिमाह देने का निश्चय किया गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी 1984 के बाद प्रदेश के अन्दर जो भी निराश्रित विधवायें हैं उन सभी को 100 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्या यह बतायेंगे कि जितनी निराश्रित विधवायें हैं, उन सभी को सौ रुपया देने के अपने बचन पर कायम रहेंगे ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इस समय प्रदेश में 2 लाख 35 हजार 700 निराश्रित विधवायें हैं, जिन्हें इस वित्तीय वर्ष में अनुदान देने के लिए निर्णय लिया गया है ।

श्री मुईद अहमद–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को अपना नारा याद होगा जो चुनाव के दौरान आपकी पार्टी ने दिया था कि समस्त विधवाओं को पेंशन देंगे । यह निराश्रित महिलाओं का मामला नहीं है । आपने विधवाओं को पेंशन देने की घोषणा की थी और राज्यपाल के अभिभाषण में भी समस्त विधवाओं को पेंशन देने की घोषणा की गयी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी उस घोषणा को मानेंगे या नहीं मानेगें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर. . . .

(व्यवधान)

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । . . . . (व्यवधान) आपने मुझे मौका दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें । आप मंत्री जी को कहने तो दीजिए । वह खड़े हुये, उत्तर देने के लिए, लेकिन बीच में आप खड़े हो गये इस लिए वह उत्तर नहीं दे पाये ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

सौ रुपया मासिक पेंशन की है. . .

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें । मैंने प्रेमवती तिवारी जी को बुला लिया है । आप प्रश्न कर रहे हैं या उत्तर दे रहे हैं ? रविदास जी, आप बैठ जायें । मैंने आप का नाम नहीं लिया है, कृपया आप बैठ जायें । प्रश्न करने के लिए मैंने कहा नहीं और उत्तर देने का अधिकार आपको है, नहीं । इसलिए कृपया आप बैठ जायें । आप सभी माननीय सदस्यों की और मेरी भी इच्छा है कि प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से आयें । महत्वपूर्ण प्रश्न

होते हैं, लेकिन उनके उत्तर आते समय व्यवधान हो जाता है । मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग शान्त रहें अगर शान्त नहीं रहेंगे तो हम व्यवस्था कैसे करेंगे ? जो उत्तर माननीय मंत्री जी दें, उसको आप सुनें । तभी मैं कह सकता हूं कि जो उत्तर दिया गया है, वह स्पष्ट है या नहीं । अगर आपको आपत्ति न हो तो प्रेमवती तिवारी जी को प्रश्न कर लेने दें ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य पंचानन राय जी ने प्रश्न किया है, उसका उत्तर जो आया है, वह उलझ गया है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि अभी-अभी उन्होंने कहा कि अनुदान मिलेगा । तो इस संबंध में मैं दो प्रश्न पूंछना चाहती हूं । एक तो यह है कि जिन महिलाओं की संख्या 2 लाख कुछ बतलाई है, को कब से पेंशन मिल रही है, उन महिलाओं को सौ रुपया मासिक के रूप में कब से मिलना प्रारम्भ हो गया है ? दूसरा प्रश्न यह है कि मेरी यह निश्चित जानकारी है और उसके आधार पर कह रही हूं कि एक भी महिला को पेंशन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है । विधवाओं को पेंशन देना और अनुदान देना दो अलग-अलग चीजें हैं, विधवाओं के पेंशन के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं उनसे जानना चाहती हूं कितनी महिलाओं को सौ रुपया मासिक पेंशन देना प्रारम्भ हो गया है और अनुदान के संबंध में पूछना चाहती हूं कि इस वित्तीय वर्ष में कितनी विधवाओं को अनुदान दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, मुईद साहेब का जो प्रश्न था उसका भी उत्तर इसी के साथ ही साथ दे दें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मानांवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि पहली जनवरी, 1990 से सौ रुपया मासिक देने का निश्चय किया गया है । तो जब भी उन को पेंशन मिलेगी सौ रुपये के हिसाब से ही मिलेगी । तीन-तीन महीने में पेंशन देने का प्राविधान किया गया है । जब भी मिलेगी जनवरी, फरवरी और मार्च की मिलेगी, 100 रुपये के रेट से ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में जो विधवाओं को पेंशन देने में घपले हुए हैं, उनकी जांच करायेंगे, अगर करायेंगे तो कब तक करायेंगे । पिछली सरकार के लोगों ने पेंशन के बारे में जो घपले किये हैं, उनके बारे में जांच करायेगें और जो दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि लखनऊ में एक भूतपूर्व मंत्री ने विधवाओं के पेंशन दिये जाने के बारे में बड़े घपले किये हैं, क्या उसको जांच करायेंगे ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

यह किस प्रश्न के सन्दर्भ में है ?

श्री रविदास मेहरोत्रा–

जो प्रश्न मैंने किया है, उसका उत्तर दिलवा दें ।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश यादव–

मान्यवर, मेरे जनपद मुरादाबाद में फर्जी विधवाओं की सूची के आधार पर पेंशन दी जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई है तो क्यों ? मान्यवर, जनपद मुरादाबाद में फर्जी विधवाओं की सूची बनाकर लाखों रुपये का घोटाला किया गया है और यह पिछली सरकार ने किया है । इसका उत्तर दिला दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री रविदास मेहरोत्रा–

पिछली सरकार के मंत्रियों ने भारी घपला किया है । मैं आपके माध्यम से जानकारी करना चाहता हूं कि आप इसकी जांच कराकर कार्यवाही करायेंगे ?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय । मंत्री जी इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

नई विधवाओं को पेंशन देने की बात हो रही है लेकिन इस संबंध में पुरानी सरकार जो भारी घपला किया है उसकी पहले जांच होनी चाहिए ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात को मैंने सुन लिया । जितना माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहते थे, उन्होंने दे दिया । मैं चाहता था कि आपकी बात का भी माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण दे दें लेकिन आप उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । आप चाहते हैं कि आप कह दें और मंत्री जी उत्तर न दें तो यह कैसे सम्भव है ?

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है कि आप उन्हें निर्देशित नहीं कर सकते कि क्या उत्तर दें । लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप कार्यवाही उठाकर देख लें । जो प्रश्न प्रेमवती जी ने किया है । मैंने उसमें आपके प्रश्न का उल्लेख करते हुए कहा कि आपका प्रश्न इससे भिन्न है और उसका इससे कोई संबंध नहीं है । लेकिन आप उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं । तो यह मेरे बस की बात नहीं है कि 15-20 लोग एक साथ खड़े हो जायं और प्रश्न करने लगें । यह कैसे हो सकता है ?

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, मैंने आपकी आज्ञा से सवाल किया था लेकिन उसका उत्तर नहीं आया । इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दें ।

श्री अध्यक्ष–

रविदास जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जायं ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

आपके आदेश पर ही मैंने सवाल किया था । कृपा करके उनसे उत्तर दिलाने के लिए कह दें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस बात के लिए तैयार हूं । जब मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

सदन की माइक व्यवस्था ठीक न होने के सम्बन्ध में आपत्ति तथा इसकी जांच हेतु सदन के सदस्यों की समिति बनाये जाने की श्री अध्यक्ष द्वारा घोषणा

(माइक पर सदस्यों की आवाज न आने पर श्री सुन्दर लाल तथा श्री दशरथ सिंह सदन के फ्लोर में आकर बैठ गये जिससे सदन में व्यवधान हो गया। विपक्षी सदस्यों के अनुरोध पर दोनों सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माइक की इस व्यवस्था के बारे में सदस्यों ने मान्यवर, आपसे शिकायत की थी सत्ता पक्ष के लोगों ने भी और प्रतिपक्ष के लोगों ने भी ध्यान आकर्षित किया है। मुझे अफसोस है कि उस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ । हम जिस दल के सदस्य हैं अनुशासित होकर किसी आचार संहिता का पालन करते हैं । मेरा सिर शर्म से झुक गया जब हमारे दल के दो सदस्य उत्तेजित होकर यहां आ गये, मुझे उसका दुख है। लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मान्यवर बगावत ही फर्ज बन जाता है । माननीय सदस्यों ने जो आचरण किया है उसके लिये मैंने क्षमा याचना की है लेकिन उसके बाद इसे आप हमारी कमजोरी न समझें । अब आप की बात सुनाई नहीं देगी, मंत्रियों की बात सुनाई नहीं देगी, इस आदरणीय सदन में प्रति सेकिंड कल जैसा आपने कमेन्ट किया था कि 5 हजार रुपया खर्च आता है । तो उस बर्बादी के लिए किसकी जिम्मेदारी है जनता दल, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो यह माइक व्यवस्था ठीक नहीं कराई गयी है। हम संसदीय परिपाटी का आदर करते हैं हम आपके उपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं लेकिन यह देख लिया जाय कि इसमें कमीशन बाजी तो नहीं हुई है। कल परसों और आज इस आदरणीय सदन का समय जो नष्ट हुआ है उससे माननीय सदस्यों में उत्तेजना हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या कोई व्यवस्था की गयी है अगर की गयी है तो वह क्या है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण जी इस संदर्भ में कल भी आपत्ति हुई थी। आपकी जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि इसका कार्य पी0 डब्लू0 डी0 विभाग को सौंपा गया और उन्होंने इस कार्य को फिलिप्स कम्पनी वालों को दिया । कल भी आपने इस बारे में आपत्ति की थी मैं इस संदर्भ में 7 सदस्यों की एक समिति बनाता हूं जिनकी देखरेख में इसकी जांच होगी और इस व्यवस्था को सुधारने का भी प्रयास होगा ।

श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट–

व्यवस्था में सुधार के लिये समय निर्धारित किया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम आपके आभारी हैं कि इस बारे में आपने चिंता प्रकट की लेकिन जिज्ञासा है कि कब तक इसका गठन कर दिया जायेगा और कब तक इसकी रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

आज कर दिया जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय गुप्त जी ने कमीशन बाजी पर जोर दिया है। मैं चाहूंगा कि शब्द 'कमीशन' कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

देख लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कमीशनबाजी मैंने जानबूझ कर किया, मैंने कहा कहीं इसमें कमीशन खोरी तो नहीं की गयी है और उसे कमेटी को सौंप दिया जाय ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, माननीय गुप्ता जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं और काफी विद्वान भी हैं संसदीय परम्पराओं का उनसे ज्यादा ज्ञान बहुत कम लोगों को है उन्होंने भावावेश में या गलती से कमीशन शब्द का प्रयोग किया है इसलिये उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। चूंकि विधान सभा के अंदर जो भी कार्य होता है वह विधान सभा सचिवालय द्वारा होता है और उसके अध्यक्ष आप हैं, इसलिये अध्यक्ष पीठ पर किसी प्रकार की शंका करना संसदीय परम्पराओं और मान्यताओं के प्रतिकूल है। मान्यवर, किसी भी बात को तर्कों से नहीं बल्कि पुरानी परम्पराओं और मान्यताओं से देखा जाता है और मान्यता और परम्परा यह रही है कि अध्यक्ष पीठ पर शंका नहीं की जाती है। इसलिये अनुरोध है कि कमीशन शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप पर कोई आक्षेप नहीं है बल्कि कमीशन का आक्षेप सरकार पर है और कमीशन शब्द है इसलिये उसको आप न निकालें ।

(व्यवधान)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

इसको मैं देख लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह योजना पिछली सरकार के समय बनायी थी और तभी यह योजना स्वीकृत हुई थी।

श्री प्रमोद कुमार–

कमीशन किस सरकार ने लिया है यह स्पष्ट हो जाये, इसलिये इसकी जांच करायें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, वर्तमान सरकार के किसी विभाग में कमीशनखोरी की बात प्रकाश में आयी तो उस कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे और हमारी सरकार उसके प्रति कोई रियायत नहीं करेगी। (व्यवधान) पिछली सरकार जो कमीशनखोरी के मामले में पूरी दुनिया में बदनाम रही वैसा काम हमारी सरकार नहीं करेगी और हमारी सरकार स्वच्छ छवि की सरकार है। (व्यवधान) हमारी सरकार के कार्यकाल में किसी भी बेईमान के साथ कोई रियायत नहीं की जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह सरकार कमीशनखोरी कर रही है, इसलिए उस शब्द को निकलवाना चाहती है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें, बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

व्यवस्था देने से पहले मेरी बात सुन लें । मैं अपने कहने का आशय स्पष्ट कर दूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप कितनी बार बोलेंगे । बैठ जायं ।

मैं एक बात स्पष्ट बता दूं कि आज अंतिम दिन सत्र का है लेकिन आगे आने वाले सत्र के लिए मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा कि पहले वह निर्णय करें, चाहे एक नियम समिति बने कि यह सदन कैसे चलेगा, सदन उन कर्तव्यों को करेगा कि नहीं जो उस पर डाले गये हैं, जो माननीय सदस्य आप लोग चुनकर यहां आये हैं और जो क्षेत्रों में जनता से वायदा करके आये हैं उनको वह पूरा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं । पहला प्रश्न ही अभी तक समाप्त नहीं हो रहा है, आधे घंटे में, समय नष्ट हो रहा है, लाउड स्पीकर सही काम नहीं कर रहे हैं, इसके संबंध में मैं तो पहले ही निर्देश कल दे चुका हूं कि इसको देखा जाये चूंकि इसमें 16 लाख रुपये आवंटित किया जा चुका है और यह काम फिलिप्स कम्पनी ने किया है । सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर आये विभाग के सचिव आये और उनसे विचार विमर्श हुआ लेकिन यदि कोई त्रुटि या कमी है

तो उसकी जांच होगी और जांच कमेटी में आप लोग सदस्य होंगे । कमेटी आज ही बनेगी, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो आप कल्पना कैसे कर रहे हैं कि वह बिना दंड के छूट

(व्यवधान)

जायेगा । मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि मैं इसको बहुत ही गम्भीरतापूर्वक लिये लेता हूं और मैं इस मामले में इस सीमा तक चला जाऊंगा कि मैं अध्यक्ष रहूं या न रहूं । अन्यथा सदन चलेगा तो वह नियमानुसार ही चलेगा । बड़े चिन्ता की बात है कि 30 मिनट हो रहे हैं और अभी केवल एक प्रश्न ही हुआ है और यह उत्तरदायित्व हमारा है कि सदन के समय का अधिकाधिक सदुपयोग हो । निराश्रित विधवाओं के मामले में ही सारा समय दे दिया जाएगा तो क्या अन्य कोई विषय महत्वपूर्ण नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

लगता है कि बोफोर्स की गर्मी अभी कम नहीं हुई है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को चाहिए कि वह यहां दोनों पक्ष का सहयोग लेकर सदन को चलायें । लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं और उत्तेजना पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं । आपने मान्यवर, अपनी एक व्यवस्था दे दी, उससे सदन शान्त हो गया किन्तु उन्होंने फिर उसके बावजूद एक टिप्पणी कर दी जो कतई ठीक नहीं है । संसदीय कार्य मंत्री जी सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी हैं, उनका इसमें हाथ है, इसलिए जो कुछ लाउडस्पीकर व्यवस्था के बारे में कहा गया है, वह इन्हें अच्छा नहीं लगा है, तभी वह इस तरह की बात कर रहे हैं । इसमें इनका हाथ है और मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच अवश्य करायें।

श्री अध्यक्ष–

कोई एक ईंट चलाता है, तो दूसरा दो ईंट चलाएगा । आप एक न चलाएं तो दूसरा दो क्यों चलाए । इस पर मैं अपनी व्यवस्था दूंगा कि कोई दो ईंट क्यों चलाए ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

बोफोर्स की जांच हो रही है . . .

श्री अध्यक्ष–

इसकी भी होगी । (घोर व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, इस तरह से सदन नहीं चलेगा । बोफोर्स का जो बार-बार नाम लिया जा रहा है और खासकर मंत्री जी की तरफ से जो यह उछाला जा रहा है वह ठीक नहीं है । इससे उत्तेजना बढ़ेगी ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

बोफोर्स वाले सौदे में एक इनके कैबिनेट मंत्री भी थे, इसलिए यह अपना गुस्सा निकाल रहे हैं ।

श्री दशरथ सिंह–

(व्यवधान) बटन दबाए हम बैठे रहते हैं, किन्तु यह लाउडस्पीकर काम ही नहीं करता है। न इनसे कुछ सुनाई पड़ता है और न इनसे बोलने का काम हो पाता है। कमेटी इसकी व्यवस्था करे कि लाउडस्पीकर ठीक हो।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मैं आपसे जानकारी चाहता हूं। ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों ने नियमों की हत्या करने की सोच ली है। जब इस सदन में सबसे वरिष्ठ सदस्य ने प्रश्न प्रहर में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो मेरे मन में आया कि सदन के तमाम नियमों के प्रति हमारा कोई सम्मान नहीं रह गया है। यह विषय महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मान्य परम्परा है और स्थापित मर्यादा है कि प्रश्न काल में इस तरह के व्यवस्था के प्रश्न नहीं किये जाते हैं, क्योंकि इस तरह से सारे सदस्यों के विचारों का हनन होता है। तो कम से कम इतना संयम बरतना चाहिए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्रश्न आवर में व्यवस्था का प्रश्न न उठायें और किसी भी हालत में बेल में जाने का प्रयास वह न करें। एक बात और है, यह सब हम तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसमें अपनी व्यवस्था देने लगते हैं तो उस पीठ

(व्यवधान)

की मर्यादा कैसे बच पाएगी। आप जो हैं श्रीमन्, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, नियमों से हम सभी लोग बंधे हुए हैं यह नियमावली में दिया हुआ है और आपके पीठ से समय-समय पर दिए गये विनिश्चयों में भी दिया हुआ है कि प्रश्नकाल में किसी तरह की व्यवस्था के प्रश्न नहीं किये जायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, उसके उत्तर में ही वह इसका प्रदर्शन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

जो आपके मन में आए आप करें जब आप लोगों को ही चिन्ता नहीं है तो ठीक है। यह सत्ता पक्ष का काम तो है नहीं, यह तो विरोध पक्ष का काम है, लेकिन जब आप लोगों

(व्यवधान)

को ही चिंता नहीं है तो फिर ठीक है। मैंने प्रश्न दो के बारे में चार मर्तबा बुलाया। माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी खड़े हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों का आचरण देख रहा हूं उनको प्रश्नों के बारे में कोई चिन्ता नहीं है कि उनके उत्तर आवें, तो मैं समझता हूं कि मेरी चिन्ता से तो सदन चलेगा नहीं, जब आप लोग ही सहयोग नहीं करना चाहते हैं हैं तो ठीक है।

(व्यवधान

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप नम्बरी-ख से लें। अब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का समय समाप्त हो गया है। 11.20 से ऊपर टाइम हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न संख्या-2 को पहले से ही पुकार चुका हूं फिर भी आपको आपत्ति हो रही है।

(व्यवधान)

किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण

**2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और प्रदेश में किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 250 रुपया प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित करने की सिफारिश केन्द्र सरकार से करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु प्रत्येक वर्ष कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारत सरकार को संस्तुतियां यथा समय भेजी जाती हैं।

वर्ष 1990-91 में विपणन की जाने वाली गेहूं की फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा रु0 200/-प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अतः अब पुनः सिफारिश का औचित्य नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मेरे प्रश्न के दो पार्ट हैं पहले पार्ट में पूछा गया है कि "क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?" माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर ही नहीं दिया इन्होंने कह दिया कि भारत सरकार को संस्तुति यथा समय भेजी जाती है। केवल संस्तुति से लाभकारी मूल्य किसान को नहीं मिलता है। धान का मूल्य 183 रुपया घोषित किया गया था जबकि किसान 140 रुपये बेच रहा है। इस प्रदेश की नौकरशाही सरकार के जनहितकारी कार्यों को असफल बनाने का षडयन्त्र कर रही है। हम जानना चाहते हैं कि घोषित मूल्य से कम पर किसान को गल्ला न बेचना पड़े इसके लिए सरकार क्या कर रही है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि सरकार द्वारा 1990-91 में गेहूं की फसल का समर्थन मूल्य कितने रुपये प्रति क्विंटल रखने की संस्तुति की गयी है और यह संस्तुति कब केन्द्र सरकार को भेजी गयी है। क्या वर्तमान सरकार 200 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य को पर्याप्त समझती है और संतुष्ट है ? यदि हां, तो इस संतोष का आधार क्या है ? आज की लागत कितनी आती है और किसान को सरकार की नजर में प्रति क्विंटल कितना लाभ मिल रहा है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, राज्य सरकार समर्थन मूल्य के बारे में अपनी संस्तुति भेजती है और इसका फैसला केन्द्र सरकार करती है। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि इसकी क्या व्यवस्था की

गयी है तो मैं कहना चाहती हूं कि पिछली दफे जिस मूल्य की संस्तुति की गयी थी उसको केन्द्र सरकार ने नहीं माना था । जब मूल्य निर्धारित हो जाता है तो हमारा यह कर्तव्य होता है कि जो मूल्य निर्धारित हुआ है उससे कम दाम किसान को न मिलें । मूल्य कितना निर्धारित किया जाय, इसका फैसला केन्द्र सरकार करती है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो संस्तुति की थी गेहूं के मूल्य निर्धारित करने में वह संस्तुति क्या-क्या थी ? क्या उस संस्तुति में यह बात थी कि जैसे और चीजों के दाम निर्धारित करते समय, वेतन निर्धारित करते समय महंगाई सूचकांक को आधार माना जाता है तो 1971 के महंगाई सूचकांक को आधार मानते हुए केन्द्र सरकार को गेहूं, धान या अन्य कृषि-जन्य पदार्थों के दाम निर्धारित करने के लिए मौजूदा सरकार को संस्तुति करने में क्या दिक्कत या परेशानी है ? क्या इसको मंत्री जी साफ करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, जैसा मैंने बताया कि यह संस्तुति पहले हुई थी और मई तथा जून में पिछली सरकार में हुई थी । अब जहां तक संस्तुति करने का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगी कि नई केन्द्र सरकार ने एक नयी समिति बनायी है जो अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट देगी और यह बतायेगी कि किसानों को कितना मूल्य देना चाहिए, उनका श्रम मंडी तक पहुंचाने में हुआ खर्च आदि सब बातों को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारित करने की वह राय देगी ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या प्राइस इंडेक्स को आधार मानकर कृषि जन्य पदार्थों के मूल्य निर्धारित करने की संस्तुति करने की कृपा करेंगे । मेरा यह साफ-साफ प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ गया है ।

श्री अनिल कुमार भारद्वाज–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी कृषि फार्मों पर गेहूं के उत्पादन की क्या लागत आती है ? क्या इसको मानक मानकर सरकार गेहूं का मूल्य निर्धारित करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, मैं माननीय विधायक को बताना चाहूंगी कि जो मूल्य निर्धारित हुए थे वह पिछली संस्तुति पर हुए थे । अब नये वातावरण, नयी परिस्थिति को देखते हुए एक नयी समिति बनाई गयी है । माननीय विधायक की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुये यह समिति बनाई गयी है । मान्यवर, हमारा आपसे अनुरोध है कि अभी आधा घंटा बर्बाद हुआ है, हमारा पूरा उत्तर तो सुन लें ।

(व्यवधान

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने अभी यह कहा कि नौकरशाही सरकार की नीतियों को असफल कर रही है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि नौकरशाही पर सरकार का नियंत्रण नहीं है । अब मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से किसानों को धान कम मूल्य पर बेंचने पर बाध्य होना पड़ा, उसी प्रकार से गेहूं बेंचने के लिए किसानों को बाध्य न होना पड़े, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, इसमें यह जानना आवश्यक है कि केन्द्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष डा0 सी0 एच0 हनुमंतराव हैं और डा0 एस0 सी0 पन्त, सदस्य हैं, डा0 जी0 एस0 सिद्धू, सदस्य हैं, डा0 प्रेम नारायण, सदस्य हैं, श्री वी0 राजो पालन, सदस्य हैं । उक्त समिति की रिपोर्ट आगामी माह अप्रैल, 1990 तक आ जाने की सम्भावना है । यह समिति कृषि उत्पाद का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अथवा वास्तविक पारिश्रमिक में से जो भी ज्यादा हो उसे आधार बनाने पर विचार करेगी ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने कक्ष में सबको आमंत्रित कर लीजिए और सबको वहां पर अच्छी तरह से समझा दीजिए ।

[बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्वर्गीय श्री अक्षयवर मल्ल की मृत्यु की जांच एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

*1–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 29 फरवरी, 1988 को विधान भवन के समक्ष पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज में शहीद अक्षय बर मल्ल की हत्या की जांच कराई गयी? यदि हां, तो जांच में कौन दोषी पाया गया और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि माह जनवरी, 90 में इस संबंध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित 95 विधायकों का सामूहिक पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों ?

नियोजन मंत्री (श्री शत्रुरुद्र प्रकाश)–

दिनांक 29 फरवरी, 1988 को विधान सभा के सामने लोकदल (ब) के जुलूस पर पुलिस केन चार्ज तथा उसी दिन सायंकाल स्व0 श्री अक्षयवर मल्ल की मृत्यु के मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से कराई जा रही है । इसके अतिरिक्त मैजिस्टेरियल जांच भी प्रचलित है ।

अपराध अनुसंधान विभाग की अब तक की जांच में दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता प्रदर्शित करने हेतु थाना हुसैनगंज के तत्का0 निरीक्षक श्री राजाराम पाल तथा उप निरीक्षक श्री प्रेम नरायन तिवारी एवं श्री निरंजन प्रसाद गौतम तत्कालीन उपनिरीक्षक,

थाना हजरतगंज दोषी पाये गये । उक्त तीनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अपराध अनुसंधान विभाग की संस्तुति के अनुसार पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 478ए के अंतर्गत कार्यवाही कर दुश्चरित्र लेख से दंडित कर दिया गया है । उक्त विषय पर 17 माननीय विधायकों का एक सामूहिक पत्र माह जनवरी, 1990 में प्राप्त हुआ है । अपराध अनुसंधान विभाग की जांच पूर्ण होने पर यदि कोई पुलिस कर्मी दोषी पाया जाता है तो तद्नुसार उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, इसमें जो उत्तर दिया गया है, इस उत्तर के संबंध में दो गलतियां हैं । पहली गलती की ओर मैं आपका ध्यान दिला दूं, वह यह है कि इसमें लिखा है कि पुलिस ने केन चार्ज किया । जबकि केन चार्ज नहीं हुआ , लाठी चार्ज हुआ था जिससे अक्षयबर मल्ल जी की हत्या हो गयी । दूसरी गलती यह है कि जो पत्र मैंने दिया था वह 17 माननीय विधायकों के हस्ताक्षर का नहीं था, बल्कि वह वर्तमान 95 माननीय विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित था

मान्यवर, प्रश्न हमारा यह है कि जो लोग दोषी पाये गये, इसमें प्रथम दृष्टया में जो लोग दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी और सबसे गम्भीर बात यह है कि राजा राम पाल जिन्होंने लाठी चार्ज किया, जिनका हत्या में हाथ था और जांच में दोषी भी पाये गये, उनकी नियुक्ति जहां अक्षयबर मल्ल साहब की मूर्ति लगी है, जहां उनका घर है, वहां पर जो थाना लगता है उसी थाने में राजा राम पाल की नियुक्ति कर दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ कब तक कार्यवाही की जायेगी और दूसरा प्रश्न है कि अक्षयबर मल्ल जी का जहां घर है, जहां उनकी मूर्ति लगी है, वहीं पर उस थाने में उसकी नियुक्ति कर दी गयी है उसको कब तक हटाया जायेगा ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया कि इस सदन के माननीय 95 सदस्यों ने यह एक पत्र लिखा था, मान्यवर, जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार करीब 17 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि 95 सदस्यों ने लिखकर दिया है तो इसी को मानकर परीक्षण करवा लेंगे । जहां तक निरीक्षक या थाना इंचार्ज के संबंध में इन्होंने बात कही है तो इसमें मान्यवर, शासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं की गयी है लेकिन इस बात को सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जांच प्रचलित है उससे जांच में किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े इसलिए माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका समाधान करके तत्काल कार्यवाही कर दी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, गम्भीर मामला है, एक मिनट की आज्ञा दे दें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री हरद्वार दूबे, एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सूचित किया है कि मैजिस्टीरियल जांच करायी गयी और दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्यवाही की गयी (व्यवधान) एक प्रमुख नेता समाज सेवी की हत्या की गयी और उसमें 3 साल से अब तक रिपोर्ट नहीं आयी । इसे सी0बी0सी0आई0डी0 में भेजने के पहले अभी तक 3 वर्ष में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ? (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकास–

मान्यवर, बेहतर होगा यदि आप प्रश्न स्वयं बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न है कि जब मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी में कुछ लोग दोषी पाये गये तो सी0बी0सी0 आई0डी0 में भेजने के पहले अभी तक 3 वर्ष में कोई उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, पहली बात यह है कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी की आख्या प्राप्त नहीं हुई है पता नहीं इन्हें कैसे आभास हो गया कि प्राप्त हो गयी । जो अपराध अनुसंधान शाखा ने अभी तक जांच की है उसमें उत्तर में स्पष्ट है कि तीनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध लापरवाही बरतने के आरोप सही पाए गये और उनके खिलाफ . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं यह सुनने के लिए तैयार नहीं हूं कि मंत्री जी का वाक्य खतम न हो पाए और आप खड़े हो जांय । कल भी यह बात आयी थी कि आपकी बात मंत्री जी सुनें और आप उनकी बात न सुनें तो अब एक भी शब्द कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री हरद्वार दूबे, एडवोकेट–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने जितनी बात की है, कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी । सुझाव दे दीजिए, लेकिन कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा । मंत्री जी इनकी कोई बात कार्यवाही में नहीं है , इसलिए इनकी किसी बात का उत्तर न दें ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मैजिस्टीरियल जांच में प्रथम दृष्टया जितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है . .

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

वह जांच इनके संज्ञान में नहीं है ।

श्री कल्यान सिंह–

मेरी समझ में मंत्री जी ने कहा कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी में प्रथम दृष्टया कुछ पुलिस कर्मी दोषी पाये गये हैं । यदि ऐसा नहीं है तो ना कर दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कहा कि खुफिया जांच के आधार पर जो अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 3 पुलिसकर्मी दोषी पाए गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैजिस्टीरियल जांच आयी है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह मैजिस्टीरियल जांच की बात नहीं है, खुफिया जांच की बात है ।

श्री अध्यक्ष–

मैजिस्टिरियल जांच आपके पास आयी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

उसके बारे में किसी प्रकार की आख्या शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री कल्यान सिंह–

जांच करने वाली एजेंसी कोई हो, लेकिन किसी एजेंसी ने प्रथम दृष्टया कुछ पुलिस-कर्मी को दोषी करार दिया । मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिनको प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया, उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम हुआ है और उस रिपोर्ट के आधार पर शासन ने क्या कार्यवाही की । यदि नहीं की तो क्यों नहीं की ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर पहले ही स्पष्ट हो चुका है ।

श्री कल्यान सिंह–

क्या जो सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच हुई तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई क्योंकि जांच में जो कार्यवाही उनके विरुद्ध होगी, इसी तरह से होगी । उनको निल-म्बित किया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, जो मा0 कल्यान सिंह ने जानना चाहा , मैं भी वही जानना चाहता हूं कि जो सी0आई0डी0 की जांच हुई, अनुसंधान शाखा द्वारा जो जांच हुई उसमें तीन पुलिस कर्मियों की लापरवाही पायी गयी तो उनके खिलाफ शासन ने निलम्बन किया या और कोई किसी प्रकार की कार्यवाही की है या नहीं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अभी जांच प्रचलित है और अभी तक जो कार्यवाही हुई है उसके बारे में मैंने बताया कि तीनों की चरित्र पंजिका में दुष्प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

उन्हें निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

पहले मेरी बात सुन लें। फरवरी, 1988 का मामला है और उसके बाद 17 मार्च को सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करने की मांग शुरू हुई। इस सदन में हम लोगों ने, जब हम लोग विपक्ष में थे, इस पर धरना भी दिया था, 4 दिन लगातार यह सदन स्थगित रहा था। मान्यवर, 17 मार्च को सी0बी0सी0आई0डी0 को संदर्भित कर दिया गया। मान्यवर, यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बदकिस्मती से इसमें अंतरिम रिपोर्ट लगा दी गयी उस समय और उसके बाद 1 नवम्बर, 1988 को जो आई0जी0सी0आई0डी0 के थे, उन्होंने उस पर स्वीकृति भी दे दी। जब जनता सरकार आयी, शासन में तब्दीली आ गयी, तब उसके बाद डा0 के0 के0 सिंघल जो जो चिकित्सा विधि विशेषज्ञ हैं उनकी एक विशेषज्ञ रिपोर्ट सी0 आई0डी0 दफ्तर को प्राप्त हो गयी वह प्राप्त हुई है 27-12-89 को। 24 जनवरी, 1989 की रिपोर्ट की प्रति है। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक "मेडुला आब्लोन्गेटा" एक हिस्सा होता है शरीर का, जिसमें श्री अक्षयबर मल्ल जी को चोट लगी हुई है, भौंह के ऊपर चार सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के ऊपर लगी, मेडुला आब्लोन्गेटा को प्रभावित कर दिया था, जिससे उसमें सूजन आ गयी, जो धीरे-धीरे बढ़ती गयी, सूजन बढ़ने के बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगी, कंधे में, गर्दन में, पीठ में दर्द हुआ। उसके बाद यह हुआ कि उनकी मृत्यु शाम को 5 बजे के बाद हो गयी। यह रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है खुफिया विभाग को, इसकी फिर से जांच आरम्भ कर दी गयी है। इसलिए मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है। इसकी जांच फिर से करायी जा रही है और गंभीरता से करायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आपने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी होती।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जायेगी। जिस पुलिसकर्मी का जिक्र किया है, यह न समझ लें माननीय सदस्य कि उनके खिलाफ कोई नरमी बरती जायेगी। एक दरोगा या थानेदार को हटाने के लिए ही सदन में ध्यान केन्द्रित न करें माननीय सदस्य, यह कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से विधि के समक्ष किसी प्रकार की कोई रुकावट आयेगी, तो उसे देखेंगे। जो भी व्यक्ति दोषी हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इस बात से मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मेरा एक प्रश्न है

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी आप कृपया बैठ जायें । आप कक्ष में उनसे पूछ लें ।

माननीय मंत्री जी ने इस बात को पहले ही यदि स्पष्ट कर दिया होता तो इसमें इतना समय नष्ट न होता । जांच समाप्त हो गयी, फाइनल रिपोर्ट भी लग गयी तो कार्यवाही कहां से होती । अब अगला प्रश्न लेता हूं ।

जनपद उन्नाव में विद्युत लाइनों के तारों की चोरी

*2—श्री देवकी नन्दन (अनुपस्थित))—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि चालू वित्तीय वर्ष में 15 दिसम्बर, 1989 तक उन्नाव जनपद में विद्युत लाइनों के लगभग 18 लाख रुपयों के तारों की चोरी हो चुकी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी तथा भविष्य में तारों की चोरी रोकने के क्या उपाय किये गये?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

जनपद उन्नाव में चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 89 तक विद्युत लाइनों के लगभग 11 लाख रुपये के तारों की चोरी हुई है।

इन चोरियों की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में लिखाई गयी। चोरियों को रोकने हेतु जिलाधिकारी उन्नाव एवं पुलिस अधीक्षक उन्नाव से अनुरोध किया गया।

मथुरा-वृन्दावन में विद्युत कटौती न किये जाने की मांग

*3—श्री रविकान्त गर्ग—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा वृन्दावन तीर्थ स्थानों पर की जा रही आकस्मिक विद्युत कटौती के कारण हजारों तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों को उक्त क्षेत्र में होने वाली परेशानियों से संबंधित प्रश्नकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कोई मांग पत्र दिनांक 15-1-90 या उसके आस पास उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—

जी हां।

आकस्मिक कटौती प्रणाली को पूर्ण क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए की जाती है। अतः किसी नगर विशेष को स्थायी रूप से आकस्मिक कटौती को मुक्त कर पाना प्रणाली के हित में सम्भव नहीं है। मथुरा वृन्दावन की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक 16-1-90 से उक्त नगर की आकस्मिक कटौती आवश्यकता पड़ने पर केवल प्रातः 5 बजे से 8 बजे के बीच ही की जाती थी। प्रदेश में शीतकालीन वर्षा हो जाने के कारण विद्युत की मांग में काफी कमी आयी है जिसके कारण वर्तमान विद्युत उपलब्धता के आधार पर मथुरा-वृन्दावन नगर में आकस्मिक कटौती नहीं की जा रही है ।

श्री रविकान्त गर्ग—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह बहुत घुमा फिराकर दिया गया उत्तर है, जिस कारण वह वास्तविकता से हट जाता है। मैं पूछना चाहूंगा कि

क्या विद्युत उत्पादन में विगत सरकार के समय की अपेक्षा कुछ कमी आयी है, यदि नहीं तो मथुरा-वृन्दावन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर आकस्मिक विद्युत कटौती तथा अघोषित विद्युत कटौती क्यों की जा रही है? मान्यवर, मंत्री जी को भी ज्ञात होगा कि पूर्व सरकार द्वारा भी हमेशा मथुरा-वृन्दावन को विद्युत कटौती से छूट दी जाती रही है। मथुरा-वृन्दावन कोई साधारण नगरी नहीं है, बल्कि इसका तीनों लोकों में महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि धर्मशास्त्रों में भी लिखा है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में बता दूं कि प्रदेश में विद्युत का उत्पादन मोटे तौर पर 50 प्रतिशत के आसपास रहता है और जहां तक मथुरा का सवाल है, जनवरी, 1990 में वहां से 1.92 मिलियन यूनिट की मांग थी और कुल आपूर्ति 6.18 मिलियन यूनिट हो रही थी। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि मथुरा-बृन्दावन अत्यन्त धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी हैं, उसी को देखते हुए हुए तथा होली के त्योहार को भी दृष्टिगत रखते हुए विद्युत परिषद् को वहां कटौती समाप्त करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि मथुरा-वृन्दावन के साथ जुड़े अन्य जो धार्मिक स्थान हैं, जैसे नन्दगांव, बल्देव, बरसाना आदि, क्या वहां भी विद्युत कटौती निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

श्रीमन्, इन स्थानों को भी उससे सम्बद्ध करा दिया गया है।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि विद्युत कटौती समाप्त कर दी गयी है लेकिन मथुरा-बृन्दावन से जुड़े नन्दगांव, बरसाना आदि जो क्षेत्र हैं, वहां आज भी कोरा अंधेरा व्याप्त है, चाहे मंत्री जी इसे दिखवा कर सुनिश्चित करवा लें, वहां बिजली बिल्कुल नहीं जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, आप इसे दिखवा लीजियेगा।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने आश्वस्त किया है कि होली के त्योहार को ध्यान में रखकर कटौती को समाप्त किया गया है तथा शीतकाल में वर्षा हो जाने से विद्युत की मांग में कमी हो गयी है, इसलिए भी कटौती को समाप्त कर दिया गया है, मैं जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए, जबकि बिजली की आवश्यकता ज्यादा होगी, क्या मंत्री जी यह आश्वस्त करेंगे कि मथुरा-वृन्दावन जैसे अन्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के नगरों को विद्युत कटौती से मुक्त किया जायेगा?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, विचार कर लिया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–4 पुकारे जाने तथा कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

सारे आगे के प्रश्न विरोध पक्ष के हैं। विरोध पक्ष के सदस्य ही आगे नहीं चलने देते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपका आरोप निराधार है।

सुल्तानपुर शहर में साम्प्रदायिक घटना से प्रभावित दुकानदारों को वितरित आर्थिक सहायता

*4–श्री मुईद अहमद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत आम चुनाव के दौरान प्रदेश के कतिपय स्थानों पर दंगे हुए थे क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त समय पर सुल्तानपुर शहर में दंगे के दौरान कुछ दुकानदारों की दुकानें पूरी तरह से जल गई थीं? यदि हां, तो क्या उन दुकानदारों को सरकार की ओर से राहत दी गई? यदि नहीं, तो क्यों और उनको राहत कब तक दी जाएगी?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जी हां।

सुल्तानपुर नगर में दिनांक 10-11-89 को घटित साम्प्रदायिक घटना में 39 दुकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। इस घटना में प्रभावित सभी व्यक्तियों को निर्धारित मानक के अनुसार राहत के रूप में आर्थिक सहायता वितरित किये जाने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर को शासन द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं। इस प्रयोजनार्थ 60,000 रुपये की धनराशि जिला मजिस्ट्रेट को आवंटित कर दी गयी है।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं और साथ ही यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि मेरी अपनी प्राप्त सूचना के आधार पर और निजी सूचना के आधार पर वहां पर 39 दुकानों से भी ज्यादा दुकानें जली हैं। 60 दुकानों की लिस्ट तो उस समय मेरे पास आई थी, जिस पर तत्कालीन कलेक्टर से बात भी हुई थी। दूसरा आपने मात्र 60,000 रुपए भेजे हैं जो बिल्कुल अपर्याप्त है। जो दुकानें जली हैं उसके संबंध में सरकार की क्या नीति है। 60,000 रुपए जो भेजे गये हैं उसमें से एक को केवल 15 हजार रुपये ही मिल पायेगा। दूसरा क्या माननीय मंत्री जी इसका दुबारा सर्वे करायेंगे कि जो लोग वंचित रह गये हैं, उन्हें मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना प्रेषित कर दें, हम उसका परीक्षण करवा लेंगे। यदि संख्या बढ़ जायेगी तो धनराशि भी बढ़ जायेगी।

श्री मुईद अहमद–

माननीय मंत्री जी यह बता दें कि शासन से कलेक्टर को यह धन कब गया है?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, निश्चित तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप पूछकर माननीय सदस्य को बता दें।

*5–श्रीमती सरस्वती तिवारी–

[तीसरे शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उद्योग शून्य जनपदों हेतु बनायी गयी नई उद्योग नीति

*6–श्री पंचानन राय–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन से जनपद उद्योग शून्य घोषित हैं तथा किन-किन जनपदों को उद्योग शून्य घोषित करने की संस्तुति केन्द्र सरकार से की गयी है? क्या उद्योग मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उद्योग शून्य घोषित जनपदों के औद्योगीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह योजना क्या है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के निम्न 11 जनपद उद्योग शून्य घोषित हैं :

(1) बांदा
(5) फतेहपुर
(3) हमीरपुर
(4) जालौन
(5) जौनपुर
(6) सुल्तानपुर
(7) कानपुर देहात
(8) चमोली
(9) पौड़ी गढ़वाल
(10) टेहरी गढ़वाल
(11) उत्तरकाशी

किसी जनपद को उद्योग शून्य घोषित करने की संस्तुति केन्द्र सरकार से नहीं की गयी है।

केवल उद्योग शून्य जनपदों के लिए कोई नयी योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, पिछले दिनों में प्रदेश में कुछ नये जनपदों का गठन हुआ है, जिसके कारण कुछ पुराने जनपद उद्योग शून्य हो गये हैं। जैसे मऊ जनपद के बन जाने से आजमगढ़ जनपद में कोई उद्योग नहीं रह गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो जनपद आप की परिस्थिति में उद्योग शून्य हो गये हैं, उन्हें उद्योग शून्य घोषित करने में सरकार को क्या परेशानी हो रही है और सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है, खासतौर से आजमगढ़ को। दूसरा, जो भी जनपद उद्योग शून्य हो गये हैं, उनके औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा प्रयास न किये जाने का कारण क्या है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, श्री पंचानन राय जी ने उद्योग शून्य जिलों के बारे में जो भावनायें रखी हैं, उसके संबंध में मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग शून्य योजना को समाप्त कर दिया गया है। उद्योग शून्य घोषित करके जो रिलीफ मिलती थी, जो सब्सिडी मिलती थी, उसे सन् 1988 में केन्द्र सरकार ने समाप्त कर दिया है। दूसरा, जो नये जिले बने हैं और जो पुराने जिले ऐसे हैं, जहां एक करोड़ से कम के उद्योग लगे हैं, वहां पर हम 2-3 योजनायें चला रहे हैं। एक तो जहां पर उद्योग नहीं हैं, वहां पर हम पायनियर यूनिट चलाते हैं। दूसरे, हम एक स्पेशल कैपीटल सब्सिडी देते हैं। जहां पर उद्योग नहीं हैं वहां पर अपनी तरफ से पायनियर उद्योग में और सब्सिडी उसमें देकर नये उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री पंचानन राय–

आजमगढ़ के बारे में मैंने कहा था कि उद्योग शून्य हो गया है, उस सम्बन्ध में कुछ बता दें।

नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश के औद्योगिक विकास की नीति मंत्रि-परिषद् के विचाराधीन है, उसमें उद्योग शून्य जिलों का प्रश्न भी विचाराधीन है। पिछली सरकार ने उद्योग नीति को अंतिम रूप दे दिया था, पुनर्विचार वर्तमान सरकार कर रही थी। क्या माननीया मंत्री जी बतायेंगी कि उद्योग नीति कब तक पूरी होगी? उसमें उद्योग शून्य जिलों का क्या स्थान होगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

नयी उद्योग नीति बनायी जा रही है, उस पर काफी विचार हो चुका है। जो अगला बजट आयगा उसमें नयी उद्योग नीति की घोषणा करेंगे। जहां तक उद्योग शून्य जिलों का प्रश्न है, हम लोग कोशिश करेंगे और केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे कि उद्योग शून्य जिलों के लिये जो मिलता था, वह फिर मिलना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उद्योग नीति के आधार पर वर्गीकरण आज से बहुत पहले हुआ था। जो इस समय जिला, प्रदेश में उद्योग हैं, आज स्थिति बदल गयी है, उसके अन्तर्गत कुछ जिलों में उद्योग बढ़े हैं और कुछ में कुछ भी नहीं हुआ है, क्या नई नीति निर्धारित करने के पूर्व, सभी जिलों का पुनः सर्वे कराकर वर्गीकरण पुनः किया जायगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

नई उद्योग नीति बनायी जा रही है, उस पर विचार हो चुका है। जहां पर भी असंतुलन रहा है, जहां पर उद्योग नहीं हो सके हैं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उस पर विचार कर रहे हैं। जहां पर उद्योग कम रहे हैं, वहां पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर में हत्याओं की रोकथाम हेतु कृत कार्यवाही

*7–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर में आम चुनाव के बाद 11 कत्ल हो चुके हैं? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु क्या उपाय किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

प्राप्त सूचना के अनुसार गत सामान्य निर्वाचन के पश्चात् थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर में कुल 6 अभियोग पंजीकृत हुए हैं जिनमें सभी अभियोगों में 8 व्यक्तियों की हत्यायें हुई हैं। इन 6 अभियोगों में से 3 अभियोगों का चालान न्यायालय में किया जा चुका है।

हत्याओं की रोकथाम के संबंध में संबंधित थानाध्यक्ष तथा पुलिस स्टाफ को सतर्क, जागरूक एवं क्रियाशील किया गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नामजद मुल्जिम हैं, उनके लाइसेंस क्यों नहीं जमा कराये गये? वे पुलिस के सामने गुण्डागर्दी करते घूम रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इस संबंध में देख लेंगे, लाइसेंस जमा कराने की जरूरत होगी तो जमा कराये जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

कब तक देख लेंगे?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

बहुत जल्द।

राज्य विद्युत परिषद् में मुख्य/अधीक्षण/अधिशासी/सहायक अभियन्ताओं की संख्या एवं निर्धारित कोटे को भरे जाने की मांग

*8—श्री जयराज गौतम—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में इस समय कुल कितने मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियंता कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश के समस्त विद्युत अभियन्ताओं में अनुसूचित/जनजाति के कितने प्रमुख अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक एवं अवर अभियन्ता हैं ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो उसे पूरा न होने का क्या कारण है ?

(श्री शतरुद्र प्रकाश अपने स्थान पर प्रश्न का उत्तर पढ़ने के लिये खड़े होने तथा प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर ।)

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इसके उत्तर को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

[उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की सेवाओं में मुख्य अभियन्ता—63, अधीक्षण अभियन्ता-288, अधिशासी अभियन्ता-1202, सहायक अभियन्ता-2993 तथा अवर अभियन्ता-6798 कार्यरत हैं ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमुख अभियन्ता संवर्ग में शून्य, अधीक्षण अभियन्ता संवर्ग में 2, अधिशासी अभियन्ता संवर्ग में 75, सहायक अभियन्ता संवर्ग में 67 तथा अवर अभियन्ता पद पर 360 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी नहीं, उपयुक्त अभ्यर्थी समुचित मात्रा में न मिलने के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति का निर्धारित कोटा नहीं भरा जा सका ।]

श्री जय राज गौतम—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है और अभी मा0 मंत्री जी के उत्तर में बतलाया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में मुख्य अभियन्ता-63 कार्यरत हैं जिसमें आरक्षण के कोटे के अनुपात में 12 अभियन्ता अनुसूचित जाति के होने चाहिए थे लेकिन बदकिस्मती से इस पद पर कोटे का एक भी अभियन्ता इस पद पर कार्यरत नहीं है । इसी तरह से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर इस समय 288 लोग कार्यरत हैं इसमें भी अनुपातिक ढंग से 58 पद कोटे के होने चाहिये थे जबकि इस संवर्ग में केवल दो ही पद आरक्षण के हैं। ठीक इसी तरह से अधिशासी अभियन्ता 1202 इस समय कार्यरत हैं जिसमें आरक्षण के कोटे के केवल 75 व्यक्ति ही हैं जबकि इसे 240 होना चाहिए था । इसी प्रकार से सहायक अभियन्ता के पद पर 2993 लोग कार्य कर रहे हैं जबकि आरक्षण के कोटे के इसमें 67 लोग हैं जबकि अनुपातिक ढंग से इसमें भी 800 लोग होने चाहिये थे । इस

नोट : [ ] उत्तर पढ़ा हुआ माना गया ।

तरह से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आरक्षण के हिसाब से जो पदों को अभी तक भरा नहीं गया है जिसके संबंध में मुख्य सचिव के द्वारा एक आदेश भी पारित किया गया था कि विशेष भर्ती योजना के अन्तर्गत इन पदों को भरा जाय तो क्या मा0 मंत्री जी विशेष भर्ती योजना के अन्तर्गत आरक्षण के कोटे को पूरा कराने के संबंध में विचार कर रहे हैं ?

श्री शतरूद्र प्रकाश–

जी हां, कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

राज्य विद्युत परिषद् में हुए घाटे को दूर करने हेतु किये गये उपाय

*9–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का 31-12-89 को कितना घाटा था ? घाटे के प्रमुख कारण क्या हैं ? घाटे को दूर करने के लिए सरकार ने क्या योजना तैयार की है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम 1985 के प्राविधानों के अन्तर्गत लाभ-हानि लेखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर, उसके आगे सितम्बर माह तक तैयार करने का प्राविधान है । चूंकि लाभ-हानि लेखा केवल वर्ष में एक बार बनाया जाता है । अतः 31-12-89 के अन्त तक घाटे की राशि सूचित करना सम्भव नहीं है । वार्षिक लेखे 31-3-88 को समाप्त होने वाले वर्ष के अभी तक बनाये एवं सम्प्रेक्षित कराये जा सके हैं । परिषद् का 31-3-88 तक कुल घाटा 753.95 करोड़ रुपये सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर था एवं 31-3-1989 तक अनुमानित घाटे की राशि 678.25 करोड़ रुपये रह जायेगी । उक्त घाटे के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :–

1–परिषद् की पुरानी विद्युत मशीनों की उत्पादकता का कम होना ।

2–विद्युत दरों का उपभोक्ता परिसर तक विद्युत पहुंचाने के व्यय से कम होना ।

3–बाहर से आयातित विद्युत क्रय दर का अधिक होना ।

4–परिषद् की पारेषण एवं वितरण प्रणाली का धनाभाव के कारण सुदृढ़ीकरण न हो पाना एवं फलस्वरूप तकनीकी कारणों से लाइन-हानियों का अधिक होना ।

5–धनाभाव के कारण परिषद् के बिजली घरों, पारेषण लाइनों एवं वितरण प्रणाली का पूर्णरूप से रख-रखाव न कर पाना ।

6–कोयला, रेल-भाड़ा तथा तेल मूल्यों की निरन्तर वृद्धि ।

नोट :–नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं0 8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

7—बकाया राजस्व का कुल वसूल न हो पाने के कारण वित्तीय संस्थाओं से ऋण पर ब्याज का देना ।

8—बिजली की चोरी एवं फलस्वरूप वितरण प्रणाली में लाइन-हानियों का अधिक होना ।

विद्युत परिषद् में घाटा कम करने के सम्बन्ध में मुख्यत: निम्न उपाय किये जा रहे हैं :—

1—परिषद् की पुरानी मशीनों का नवीनीकरण करके उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार किया जा रहा है ।

2—प्रभावी नियन्त्रण द्वारा तापीय विद्युत गृहं में प्रयोग की जाने वाली विद्युत में कमी करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

3—ईंधन एवं तेल की खपत को निरन्तर कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

4—पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न स्रोतों से आर्थिक सहायता लेकर आवश्यक निर्माण कार्यों को किया जा रहा है ।

5—विद्युत प्रणाली को सुदृढ़ करके लाइन-हानियों की कमी करने के लिए एक वृहद योजना बनायी जा रही है जिसमें कानपुर के लिए एक विदेशी विशेषज्ञ-संस्था का सहयोग भी लिया जा रहा है । वाराणसी शहर के कुछ भाग के वितरण प्रणाली के सुधार हेतु पी0 यफ0 सी0 से ऋण लिया जा रहा है । कुछ परियोजनाओं को राज्य सरकार को भेजा जा चुका है ।

6—विद्युत चोरी कम करने व बकाया धनराशि वसूल करने के प्रयत्न बराबर किये जा रहे हैं । सिंचाई विभाग, जल संस्थान/जल निगम, स्थानीय निकाय एवं कतिपय बड़े सरकारी उपभोक्ताओं से वसूली करने में आवश्यकतानुसार राज्य सरकार की सहायता ली जा रही है ।

7—विद्युत गृहों में कर्मचारियों का मानक निर्धारित करने के लिए नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन परिषद् को प्रस्तुत कर दिया है । जिसके आधार पर विद्युत तापगृहों के अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार जनशक्ति का मूल्यांकन करा कर आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को नयी आने वाली परियोजनाओं में स्थानान्तरित करके अधिष्ठान व्यय में कमी करने का प्रयास किया जा रहा है ।

8—परिषद् के कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार कार्य हो रहा है जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।

कृषि प्रसार सेवा संगठन, उ0 प्र0 की मांगों पर कृत कार्यवाही

*10—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि प्रसार सेवा संगठन उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का दिनांक 5-12-89 का कोई मांग पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मांग पत्र की मुख्य मांगें क्या हैं ? उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मांग पत्र में उल्लखित मांगे संलग्न हैं । अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1, 2 तथा 3 के वर्तमान वेतनमानों को पुनरीक्षित करने का औचित्य विसंगति समिति ने नहीं पाया । शेष मांगे मुख्यत: कार्मिक नीति विषयक हैं और उनका परीक्षण कराया जा रहा है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 123 पर)

चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री, सोनभद्र को चालू रखने हेतु कृत उपाय

*11–श्री तीरथ राज–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम द्वारा संचालित चुर्क, सीमेन्ट फैक्टरी सोनभद्र माह जनवरी, 1990 में कोयले के अभाव में बन्द थी ? यदि हां, तो कोयले के अभाव को दूर करने तथा फैक्ट्री को चालू रखने के लिए क्या उपाया किये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री कोयले के अभाव में दिनांक 14 जनवरी, 1990 से 24 जनवरी, 1990 की अवधि में बन्द थी ।

कोयले की आपूर्ति में धनाभाव के कारण उत्पन्न हुए अवरोध को समाप्त कराकर चुर्क फैक्ट्री को कोयला उपलब्ध कराने की व्यवस्था हेतु तथा फैक्ट्री को चालू रखने हेतु निगम के द्वारा आवश्यक धन की व्यवस्था की गयी है ।

नवीन मंडी स्थल, सीतापुर में नये शेड बनवाने की मांग

*12–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि उत्पादन मंडी स्थल, सीतापुर में कृषि उत्पादन की आवक की अधिकता की दृष्टि से जो शेड अब तक बने हैं, वह कम पड़ते हैं जिससे किसानों का गल्ला खुले में पड़ा रहता है ? यदि हां, तो क्या वहां तत्काल एक नया शेड तथा दुकानों के सामने बरामदे बनवाने की कृपा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नवीन मंडी स्थल सीतापुर में 3 शेड बने हुये हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 20,000 कुन्तल है । इस प्रकार नवीन मंडी स्थल में 60,000 कुन्तल प्रति दिन क्षमता का शेड में स्थान उपलब्ध है, जबकि प्रतिदिन औसत आवक 4,690 कुन्तल है । इस प्रकार आवक के दृष्टि से शेड में स्थान प्रर्याप्त है । नये शेड तथा दुकानों के सामने बरामदे बनवाने की अभी आवश्यकता नहीं है ।

*13–श्री जर्नादन प्रसाद ओझा तथा श्री सरदार सिंह–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

*14—श्री रवीन्द्र शुक्ल—

[2रे गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कुमाऊं की पहाड़ियों में चाय उद्योग को पुनर्जीवित रखने हेतु तैयार की गयी योजना को लागू किये जाने की मांग

*15—श्री महेन्द्र सिंह—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1977 व 1988-89 में कुमांऊ की पहाड़ियों में चाय उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए जो रूप रेखा बनाई गई थी, उसे अभी तक लागू न किये जाने का क्या कारण है ? सरकार कब तक इस योजना को लागू करा देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वर्ष 1977 में प्रदेश में चाय उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार की गयी रूप रेखा को विभिन्न कठिनाइयों के कारण शासन द्वारा लागू किया जाना सम्भव नहीं पाया गया था । वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ कराया गया सर्वेक्षण अभी प्रगति पर है जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी । योजना को लागू करने के संबंध में अभी कोई तिथि निर्धारित कर पाना सम्भव नहीं है ।

नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार की मांग

*16—श्री कृष्ण कुमार नवभान—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शासन द्वारा विद्युत आपूर्ति को सुधारने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि घोषणा के बाद 20 दिसम्बर, 1989 से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बदतर हो गयी? यदि हां, तो बिजली आपूर्ति में सुधार कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

दिनांक 12-2-90 से ग्रामीण क्षेत्रों को 14 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति करने के पूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं। नगरों को पूर्व की भांति 24 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है।

शीतकालीन वर्षा समय से न होने एवं प्रदेश में शीतलहर के कारण दिसम्बर, 89 जनवरी, 90 एवं फरवरी, 90 के प्रथम 2 सप्ताह में विद्युत मांग अधिक बढ़ जाने के कारण प्रदेश के शहरों एवं उद्योगों में आपातकालीन कटौती करनी पड़ी जिससे उनको निर्धारित विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकी परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करने के पूर्ण प्रयत्न किये गये।

माह फरवरी के प्रथम पखवाड़े के बाद प्रदेश में शीतकालीन वर्षा हो जाने के कारण विद्युत मांग में कमी आई जिसके कारण वर्तमान विद्युत उपलब्धता के आधार पर सभी उपभोक्ता वर्गों को लगभग निर्धारित विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

आनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में कार्यरत श्रमिकों को प्रदत्त आवासीय/चिकित्सीय सुविधायें

*17—श्री राम कुमार शुक्ल एवं श्री बसन्त लाल गुप्ता—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की आनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के अंतर्गत कार्यरत, जलआपूर्ति संस्थान के ठेका श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी आवासीय चिकित्सा तथा वार्षिक बढ़ोत्तरी की सुविधाएं नही दी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वर्ष 1980 से 1986 के बीच की अवधि में कार्यरत इन श्रमिकों को परिषद् में नियमित/स्थाई कर दिया जायगा? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

आनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के अन्तर्गत पीने वाले पानी की व्यवस्था दो स्थानों से की जाती है। पहला अस्थायी जल शोधक संस्थान तथा दूसरा स्थायी जल शोधक संस्थान । वर्ष 1980 से जनवरी, 1988 तक दोनों जल शोधक संस्थानों का कार्य विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता था। माह फरवरी, 1988 से स्थायी जल शोधक संस्थान के परिचालन का कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन शेष कार्य अभी ठेकेदारी के माध्यम से ही कराया जा रहा है। ठेकेदारों द्वारा अपने कर्मचारियों को किये गये भुगतान का विवरण देखकर राज्य विद्युत परिषद् द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि उन्हें शासनादेश द्वारा देय दरों से कम भुगतान नहीं हो रहा है।

ठेकेदारों के पास कार्यरत मजदूरों/कर्मचारियों को आवासीय/चिकित्सीय सुविधा आदि देना ठेकेदारों की ही जिम्मेदारी है इसमें परिषद् का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

1980 से 1986 तक कार्यरत यह श्रमिक क्योंकि विभिन्न ठेकेदारों के पास कार्यरत थे, अतः इन्हें नियमित करने का दायित्व परिषद् का नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

*18—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनकी पूर्व घोषणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु शासन ने क्या उपाय किये हैं ? अब तक 14 घन्टे विद्युत आपूर्ति न होने के क्या कारण थे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

ग्रामीण क्षेत्रों को दो समूहों में विभाजित कर औसतन 14 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के पूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कभी-कभी स्थानीय दोषों के कारण उपलब्धता में कमी आ जाती है । दोषों का निराकरण करने की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के छात्र निर्विकार त्रिपाठी की हत्या की जांच एवं कृत कार्यवाही

*19—श्री सुबास—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 18 दिसम्बर, 1989 को थाना-बड़हलगंज जनपद गोरखपुर में छात्र निर्विकार त्रिपाठी की पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर संबंधित पुलिस कर्मी को दंडित करेगी तथा मृतक विद्यार्थी के परिवार को आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत घटना की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दिया गया है। जांचोपरान्त यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

मृतक विद्यार्थी के परिवार को रु0 एक लाख अनुग्रह राशि के रूप में प्रदान करने हेतु आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

श्री हरपाल सिंह शैडो तत्कालीन सिंचाई मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

1—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 20-2-89 को पूर्वाह्न 11.50 बजे विधान भवन लखनऊ के गेट नं0 8 पर तैनात विधान भवन रक्षक द्वारा किसी मंत्री के शैडो से गेट पास मांगे जाने पर शैडो ने विधान भवन रक्षक की पिटाई कर दी थी और इस सम्बन्ध में विधान भवन रक्षक ने कोतवाली हजरतगंज में रिपोर्ट अंकित कराई थी ? यदि हां, तो उक्त शैडो के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । प्रश्नगत घटना के संबंध में दिनांक 20-2-1989 को वादी श्री विनोद कुमार, विधान भवन रक्षक, ने श्री हरपाल सिंह शैडो तत्कालीन सिंचाई मंत्री, उ0 प्र0 शासन के विरुद्ध थाना हजरतगंज पर मु0 अ0 सं0 182/89 अन्तर्गत धारा 353, 332, 504, 506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया। विवेचना से मामला पिटाई का नहीं बल्कि मामूली वाद विवाद का पाया गया। अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट दिनांक 7-4-89 द्वारा समाप्त की गयी। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक नहीं पायी गयी।

श्री साहब दीन यादव निवासी ग्राम बाजितपुर द्वारा शिवगढ़ के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को दण्डित किये जाने की मांग

2—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि साहब दीन यादव निवासी ग्राम बाजितपुर, तहसील महराजगंज, थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली द्वारा बोये गये गन्ने को थाना

शिवगढ़ के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1989 को उन्हें गन्ना काटने से मना कर दिया? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर दोषी पाए जाने पर उक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को दण्डित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

मामले की जांच करायी गयी। प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत भूमि पर कब्जे संबंधी विवाद दर्शन आदि बनाम साहबदीन आदि अन्तर्गत धारा 145 सी0 आर0 पी0 सी0 परगना मजिस्ट्रेट महराजगंज के न्यायालय में दायर हुआ था और उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 22-12-89 को थाना शिवगढ़ से मांगी गयी रिपोर्ट के अनुपालनार्थ पुलिस मौके की जांच हेतु गयी थी तथा साहबदीन से भूमि के कागजात दिखाने को कहा था गन्ने की फसल काटने से नहीं रोका था। जांच में कोई पुलिसकर्मी दोषी नहीं पाया गया। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में लाईन मैन ट्रेनिंग सेण्टर खोलने की मांग

3–श्रीमती सरस्वती तिवारी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रशिक्षित लाईन मैनों का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र के केन्द्र स्थान अल्मोड़ा में एक लाईन मैन ट्रेनिंग सेन्टर खोलने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

इस क्षेत्र के आपरेटिंग स्टाफ के प्रशिक्षण की आवश्यकता को समुचित रूप से पूरा किया जा रहा है इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

ग्राम मसवासी में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों को दिये गये विद्युत कनेक्शन

4–श्री देवकी नन्दन–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद के ग्राम मसवासी में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या मामले की जांच करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम मसवासी में कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत कुल 15 कनेक्शन ग्राम प्रधान की संस्तुति के आधार पर दिये गये थे।

कुछ अपात्र व्यक्तियों को कनेक्शन दिये जाने की शिकायत मिलने पर परगनाधिकारी उन्नाव से आवश्यक जांच हेतु अनुरोध किया गया था। तहसीलदार उन्नाव की रिपोर्ट के आधार पर उक्त में से दो विद्युत कनेक्शनों को अपात्र घोषित किया गया था जिनकी लाइन उतार करके उन्हें इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है।

जनपद उन्नाव की विद्युत दुर्व्यवस्था एवं अधिकारियों के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायती पत्र पर कार्यवाही

5—श्री देवकी नन्दन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद की विद्युत दुर्व्यवस्था एवं कतिपय अधिकारियों के भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्नकर्ता ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 को जो शिकायती पत्र उनको दिया था उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 का शिकायती पत्र शासन में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु माननीय विधायक से अनुरोध किया गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के विलम्बित भुगतानों की मांग

6—श्री अमर मणि—

क्या सरकार बतायेगी कि ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के विलम्बित व्यय भुगतान एवं अन्य मामलों के संबंध में सदन में 17-1-90 को नियम—301 के अन्तर्गत सूचना विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-1-90 तथा 25-1-90 ऊर्जा सचिव को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो क्या उन पर कोई कार्यवाही की गयी है? क्या यह सत्य है कि वर्ष 1987-88 तथा 88-89 में बजट राशि समर्पित की गयी है, किन्तु कुछ व्यय भुगतान नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

पत्र विचाराधीन है।

जी हां।

वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में कतिपय मदों हेतु प्राविधानित धनराशि समर्पित की गयी। कुछ बिलों का भुगतान बिलों के समय से प्राप्त न होने तथा कुछ बिलों की राशि उस हेतु प्राविधानित धनराशि से अधिक होने आदि के कारण उनका भुगतान उक्त वर्षों में नहीं किया जा सका।

इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी शाहजहांपुर की संस्तुति पर बन्दूक और रायफल के लाइसेन्स हेतु शासन को दिये गये प्रार्थना-पत्र

7–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1989 से 31 दिसम्बर, 1989 तक कितने व्यक्तियों को बन्दूक और रायफल के लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, शाहजहांपुर व पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर की संस्तुति के साथ शासन को प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से 25 व्यक्तियों के बन्दूक के लाइसेंस के प्रार्थना-पत्र तथा चार व्यक्तियों के राइफल के लाइसेंस के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ।

बन्दूक के लाइसेंस के 11 मामले स्वीकृत किये गये । 8 मामले अस्वीकृत किये गये । 2 मामलों में जिलाधिकारी को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया। शेष 4 मामलें शासन के विचाराधीन हैं।

राइफल के 4 मामलों में एक एक मामले में, मृतक के उत्तराधिकारी के आधार पर जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। शेष तीन मामले शासन के विचाराधीन हैं।

जनपद बलिया के थाना बांसडीह में पंजीकृत अपराध संख्या 517/89, धारा 302/34 भ0 द0 वि0 की जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से कराये जाने की मांग

8–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मु0 अ0 सं0-517/89, धारा 302/34 भा0 द0 सं0, थाना-बांसडीह रोड, जनपद बलिया की "विवेचना" सी बी0 सी0 आई0 डी0 से कराये जाने की मांग प्रधान, ग्राम– "आमघाट" व स्थानीय विधायक श्री शारदा नन्द अंचल द्वारा नवम्बर, दिसम्बर, 89 में की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त मुकदमें में सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 "विवेचना" के आदेश पारित हुए ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हा ।

प्राप्त पत्र की जांच करायी गयी । जांच से सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 से जांच का औचित्य नहीं पाया गया। सम्प्रति अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी रसड़ा द्वारा की जा रही है।

मिर्जापुर के ग्राम दुर्जनीपुर विकास खण्ड हलिया में विद्युतीकरण योजना की कार्यवाही

9–श्री राम अतार मिश्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर के थाना ड्रमण्डगंज के ग्राम महेशपुर में बिजली लगा दी गयी है परन्तु उसी के बगल में स्थित हरिजन आबादी वाले

गांव दुर्जनीपुर में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है ? यदि हां, तो क्या सरकार दुर्जनीपुर में बिजली लगाये जाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

ग्राम दुर्जनीपुर विकास खंड हलिया की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं है। अतः इसका विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं है। विकास खंड हलिया की एक नयी योजना बनायी गयी है जिसमें इसे सम्मिलित कर लिया गया है। इस योजना के स्वीकृत होने पर इस ग्राम के विद्युतीकरण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

जिला कृषि अधिकारी बहराइच के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

10–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि बहराइच जनपद में कृषि उर्वरकों की बिक्री के लाइसेंस जिला कृषि अधिकारी द्वारा जारी किये जा रहे हैं जबकि सरकारी गजट नोटीफिकेशन संख्या85/12 दिनांक 5 जनवरी, 1989 के अनुसार यह अधिकार पौध संरक्षण अधिकारी में निहित है ? यदि हां, तो इस अनधिकृत एवं अनियमित कार्य के लिए उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना के अधीन कतिपय जनपदों में जिला कृषि अधिकारी के पद रिक्त थे । अतः इन जनपदों में जिला कृषि अधिकारी की अनुपस्थिति में उर्वरकों की बिक्री के लाइसेंस प्रदान करने के अधिकार पौध संरक्षण अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दिये गये थे ।

बहराइच जनपद सहित जिस जनपद में नियमित जिला कृषि अधिकारी की तैनाती हो गयी वहां यह कार्य जिला कृषि अधिकारी करने लगे ।

दिनांक 28-2-90 को शासन ने पुनः विज्ञप्ति जारी करके दिनांक 5-1-90 को को संशोधित भी कर दिया है ।

किसी के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं बनता है ।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो में व्याप्त अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के आदेश

11–श्री राम बचन–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो के सचिव द्वारा यू0 पी0 स्टेट एग्रो में बरती गयी गम्भीर अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के संबंध में दिनांक 8 तथा 9 जनवरी,

90 को किसी विधायक और सांसद द्वारा कोई शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायत पर कोई जांच हुई ? यदि हां, तो जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । मामले की जांच के आदेश दे दिये गये हैं । जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम दीदउरा में फर्जी विद्युतीकरण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

12–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के भावल खेड़ा ब्लाक के अंतर्गत ग्राम दीदउरा में फर्जी विद्युतीकरण पिछले 10 साल पूर्व हो चुका है जबकि वहां पर आज तक किसी प्रकार की विद्युत सामग्री नहीं प्रयोग की गई ? यदि हां, तो उक्त ग्राम को विद्युतीकृत ग्रामों की सूची में क्यों रखा गया ? क्या इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी से मई 1980 में प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम दीदउरा को विद्युतीकृत दर्शा दिया गया था । भौतिक सत्यापन कराने पर पाया गया है कि उक्त ग्राम में खम्भे इत्यादि नहीं लगे हैं ।

जी हां । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मामले की जांच करा कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

13–श्री जयराज गौतम–

[दूसरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 1 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

भूतपूर्व विधायक, श्री सुखपाल पाण्डे द्वारा सचिव, सचिवालय प्रशासन (अधि0) को भेजे गये शिकायती पत्र में पाये गये निराधार आरोप

14–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि श्री सुखपाल पाण्डे, भूतपूर्व विधायक का दिनांक 6 जुलाई, 1989 को सचिव, सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित तथा उपसचिव (गोपन), उत्तर प्रदेश शासन को पृष्ठांकित कोई शिकायती पत्र जो राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय में कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1 के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान के अवर वर्ग सहायक की वापसी के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

श्री सुखपाल पाण्डे के उक्त पत्र दिनांक 6-7-89 में उल्लिखित विषयवस्तु पर कार्यवाही सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा की गई है । इस संबंध में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि श्री अशोक कुमार सासन, स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक, सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–5 की पूर्व सहमति के उपरांत खाद्य एवं रसद सचिव शाखा में अवमुक्त होकर राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय उत्तर प्रदेश में गये थे । इनकी सेवायें उक्त निदेशालय को स्थानान्तरित की गई है । सम्यक विचारोपरान्त भू0 पू0 विधायक श्री सुखपाल पाण्डे के शिकायती पत्र दिनांकित 6-7-89 में निहित आरोपों में बल नहीं पाया गया है ।

प्रशासनिक अधिकारी (कार्यालय ग्रेड–1) कार्यालय राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, निदेशालय के विरुद्ध लगाये गये झूठे आरोप

15–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-8-89 को श्री सुखपाल पाण्डे, भूतपूर्व विधायक का प्रशासनिक अधिकारी (कार्यालय ग्रेड–1) कार्यालय राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री सुखपाल पाण्डे के पत्र दिनांक 31-8-89 की प्रतिलिपि श्री अर्जुन सिंह, विधायक के शिकायती पत्र दिनांक 4-1-90 के साथ प्राप्त हुई है

शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की सतर्कता जांच चल रही है ।

श्री सुखपाल पाण्डे शिकायतकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 18-11-89 द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा लगाये गये आरोप भ्रामक एवं गलत सूचना पर आधारित थे और शिकायत निराधार है । श्री सुखपाल पाण्डे ने अपने शिकायती पत्र पर जांच एवं अग्रिम कार्यवाही न किये जाने का अनुरोध किया है ।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड प्रतापपुर व सैदाबाद के शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

16–श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के वि0 खण्ड-प्रतापपुर व सैदाबाद के कितने गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा कितने गांव शेष हैं ? शेष ग्रामों में विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विकास खण्ड प्रतापपुर व सैदाबाद में क्रमशः 27 व 79 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और क्रमशः 103 व 77 ग्राम शेष हैं ।

शेष ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

17–श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

[दिनांक 6-3-90 को अता0 प्र0 सं0 80 द्वारा उत्तरित]

आबरा इकाई सोनभद्र में प्रशिक्षण हेतु भेजे गये अभियन्ताओं की संख्या व्यय धनराशि का विवरण तथा प्रशिक्षण का औचित्य

18–श्रीमती पुष्पा देवी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् की आबरा इकाई सोनभद्र में कितने अभियन्ताओं को गत पांच वर्षों में अमेरिका एवं जापान प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था ? उनके प्रशिक्षण पर कितना धन व्यय हुआ ? क्या उनकी तैनाती उक्त इकाई में की गयी है ? यदि नहीं, तो उन्हें प्रशिक्षण दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गत पांच वर्षों में विद्युत परिषद् की आबरा इकाई से आनपारा तापीय परियोजना पर डाटा एक्वीजीशन सिस्टम में प्रशिक्षण के लिए दो सहायक अभियन्ता एवं एक अधिशासी अभियन्ता को जापान भेजा गया था । अमेरिका के लिए आबरा से प्रशिक्षण पर पिछले पांच वर्ष में कोई अभियन्ता नहीं गया ।

इन तीनों अभियन्ताओं के प्रशिक्षण पर रुपये 4,01760.00 की परिषद् द्वारा स्वीकृति दी गई ।

इनमें से केवल एक सहायक अभियन्ता की तैनाती ही आबरा में की गई है ।

क्योंकि इन अभियन्ताओं को स्पष्ट रूप से आनपारा के लिए डाटा एक्वीजीशन सिस्टम में प्रशिक्षण के लिए भेजा था, इसलिए प्रशिक्षण से लौटने पर इन तीनों अभियन्ताओं को आनपारा में तैनात कर दिया गया । परन्तु बाद में प्रशासन ने सोचा कि एक प्रशिक्षित अभियन्ता को आबरा में ही रखना परिषद् के हित में है, इसलिए एक सोफ्टवेयर में प्रशिक्षित सहायक अभियंता के आनपारा के तैनाती आदेश रद्द कर उसे आबरा परियोजना पर ही रोक लिया गया । लगभग तीन वर्ष आनपारा परियोजना पर रहने के उपरान्त अधिशासी अभियंता के अनुभव एवं प्रशिक्षण का पूर्ण लाभ उठाने के लिए उसे दूसरी नयी तापीय परियोजना टाण्डा में 1988 के जून में स्थानान्तरित कर दिया गया ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

19–श्रीमती पुष्पा देवी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता संघ ने इस वर्ष यह मांग की है कि परिषद् के मुख्यालय की भांति उसकी इकाइयों के अभियन्ताओं को मार्ग भत्ता दिया जाय और उन्हें वाहन न दिये जायें ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? वाहन भत्ता दिये जाने के फलस्वरूप प्रति वर्ष परिषद् पर परिवहन पर कितना व्यय भार कम होगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस वर्ष राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता संघ से ऐसे कोई मांग परिषद् में प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आबरा विद्युत इकाई सोनभद्र में तेल खपत मापन यंत्र एवं कोयले से वाह्य पदार्थ अलग करने वाले संयन्त्र को ठीक करवाने की मांग

20–श्रीमती पुष्पा देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य विद्युत परिषद् की आबरा इकाई सोनभद्र में तेल की खपत नापने हेतु अमेरिका से कोई यंत्र मंगाया गया है, जो खराब पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? उक्त यंत्र की खराबी के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तेल की खपत नापने हेतु अमेरिका से कोई संयत्र नहीं मंगाया गया है ।

21–श्रीमती पुष्पा देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य विद्युत परिषद् की आबरा इकाई में कोयले से वाह्य पदार्थ अलग करने हेतु लगाया गया (यंत्र) गत तीन वर्षों में कितनी बार खराब हुआ और उसे बनवाने में कितना धन व्यय हुआ ? क्या सरकार उक्त कार्य के प्रभारी अभियन्ता को हटाकर इसे बार-बार खराब होने की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आबरा इकाई के कोयला संचालन संयत्र में कोयला के वाह्य पदार्थ अलग करने हेतु लगे सस्पेंशन मेगनेट पिछले तीन वर्षों में खराब नहीं हुए । एक बार जून, 86 में (ब) ताप विद्युत गृह में कन्वेयर 4 अ और 4 ब पर लगे सस्पेंशन मेगनेट क्षतिग्रस्त हुये थे और उनको पुनः मार्च और जून 1988 में मरम्मत के उपरान्त चालू कर दिया गया था । इन दोनों मेगनेटों की मरम्मत पर 2.08 लाख रुपये व्यय हुआ था । यह संस्पेशन मेगनेट वर्ष 1978-79 में प्लांट के साथ कमीशन किये गये थे और यह लगभग 7-8 वर्षों तक लगातार परिचालन में रहे । इनके क्षतिग्रस्त होने का कारण इलेक्ट्रिकल बाइन्डिगं में लगे इन्सुलेशन का पुराना हो जाना था ।

क्योंकि यह मेगनेट अब तक केवल एक बार ही क्षतिग्रस्त हुये, जिसका मुख्य कारण पुराने होने के साथ-साथ इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन कमजोर हो जाना था और इसके लिए किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने का कोई औचित्य नहीं था और न ही यह बार-बार खराब हुये । अतः इस विषय में किसी प्रकार की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद बांदा के ग्राम पोहार में उप निरीक्षक श्री महेश सिंह की हत्या एवं कृत कार्यवाही

22—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा के थाना बदौसा में सेवारत एस0 आई0 श्री महेश सिंह से दिनांक 19-3-88 को ग्राम पोहार में सुबह 10 बजे डाकू दल से मुठभेड़ हुई और श्री महेश सिंह ने थाना पर मुठभेड़ की सूचना भेज कर पुलिस दल को मांग की लेकिन तुरन्त पुलिस दल घटना स्थल पर नहीं पहुंचा ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस बल न भेजे जाने के कारण डाकू-दल ने श्री महेश सिंह की हत्या की ? क्या इस प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 को 2-6-88 को दी गई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19-3-88 को प्रातः 10.30 बजे ग्राम पोहार के निकट जंगल में बैगन नदी के किनारे खूंखार डकैत भउवा एवं राजाभइया उर्फ फौजी गिरोह की थाना बदौसा, जनपद बांदा के उप निरीक्षक श्री महेश सिंह एवं उनकी पुलिस पार्टी से मुठभेड़ हुई थी । उक्त उपनिरीक्षक द्वारा भेजे गये मुखबिर खास ने दिनांक 19-3-88 को 15.05 बजे थाना बदौसा आकर उपरोक्त घटना का उल्लेख करते हुए श्री महेश सिंह, उपनिरीक्षक द्वारा अतिरिक्त फोर्स मांगने के संबंध में सूचना दी । उक्त सूचना प्राप्त होते ही तत्कालीन थानाध्यक्ष, बदौसा श्री राजपाल सिंह दो उपनिरीक्षकों एवं दो कांस्टेबिलों तथा डेढ़ सेक्शन पी0 ए0 सी0 लेकर ग्राम पोहार को रवाना हो गये और शीघ्रातिशीघ्र घटनास्थल पर पहुंच गये थे ।

यह कहना सही नहीं है थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस बल न भेजे जाने के कारण डाकू दल ने उक्त उपनिरीक्षक की हत्या की क्योंकि थानाध्यक्ष सहित पुलिस बल के मौके पर पहुंचने के उपरांत ही हुई मुठभेड़ में उपनिरीक्षक श्री महेश सिंह को गोली लगी थी, जिनकी अस्पताल जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग को दिनांक 31-5-88 को सौंपी गई । अपराध शाखा की जांच से यह पाया गया कि ग्राम पोहार में भोला के घर (जहां बदमाश छिपे थे) दबिश देने के समय उपनिरीक्षक श्री महेश सिंह के साथ थानाध्यक्ष, बदौसा दो उपनिरीक्षकों एवं दो कांस्टेबिलों के साथ मौजूद थे, इसके बावजूद भी डकैत श्री महेश सिंह की हत्या करके उनका रिवाल्वर व कारतूसों की बडोलियां लूटकर, खपरैल तोड़कर निकल भागने में सफल हो गये । इस सम्बन्ध में जांच से थानाध्यक्ष, बदौसा श्री राजपाल सिंह एवं उनके साथी पुलिस कर्मियों को कर्तव्य-पालन में घोर लापरवाही एवं अकर्मण्यता का दोषी पाया गया एवं इस संबंध में उनके विरुद्ध धारा 7 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है । अपराध शाखा की जांच से तत्कालीन थानाध्यक्ष, बदौसा को श्री भोला के घर को गिरवाकर समतल करा देने का दोषी पाया गया है एवं इस संबंध में उनके विरुद्ध धारा 427 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत करके क्षेत्राधिकारी कर्वी द्वारा विवेचना की जा रही है । अपराध

शाखा की जांच से मुठभेड़ के मध्य चलाये गये खोखा कारतूस दाखिल न करने के संबंध में 4 पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया एवं इस संबंध में उन्हें पुलिस रेगुलेशन्स के प्रस्तर 478 ए0 की कार्यवाही कर दुश्चरित्र लेखा प्रदान कर दिये गये हैं ।

उपभोक्ता श्री एच0 पी0 पाण्डे मोहल्ला नगरिया न्यू ठाकुरगंज लखनऊ का विद्युत मीटर बदलने एवं विद्युत शुल्क बिल के संबंध में सांसद श्री मान्धाता सिंह एवं विधायक श्री गोपी नाथ वर्मा के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

23–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 नगरिया (न्यू) ठाकुरगंज, लखनऊ में विद्युत मीटरों की तकनीकी खराबी को सुधारने तथा विद्युत उपभोग का बिल वितरित किये जाने आदि के संबंध में मा0 मान्धाता सिंह, सदस्य, लोक सभा तथा मा0 गोपी नाथ वर्मा, एम0 एल0 ए0 के पत्र क्रमशः दिनांक 6-1-90 व 9-1-90 अधिशासी अभियंता (वाणिज्य) लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो संदर्भित विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । यह दोनों पत्र केवल उपभोक्ता श्री एच0 पी0 पाण्डे नगरिया (न्यू) ठाकुरगंज का मीटर बदलने एवं संशोधित न्यूनतम विद्युत शुल्क बिल देने के संबंध में हैं । संबंधित उपभोक्ता का मीटर दिनांक 4-11-89 को बदला जा चुका था एवं संशोधित विद्युत बिल भी उन्हें दिनांक 21-1-90 को उपलब्ध करा दिया गया था । इसकी सूचना मा0 सांसद श्री मान्धाता सिंह जी एवं मा0 विधायक, श्री गोपीनाथ वर्मा जी को अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य–2) लेसू, लखनऊ के पत्र संख्या–79-लेसू/वाणिज्य-2, दिनांक 29-1-90 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला अलीगढ़ में साधू आश्रम पर राजकीय पशु चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव

24–श्री कल्यान सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र अतरौली, जिला अलीगढ़ में साधू आश्रम पर राजकीय पशु चिकित्सालय स्थापित करने की स्वीकृति के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 19-1-90 का कोई पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । मा0 सदस्य का कथित पत्र प्राप्त हुआ है ।

जिला पशुधन अधिकारी, अलीगढ़ को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे प्रश्नगत पशु चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव जिला नियोजन समिति से अनुमोदित कराकर भेजें, ताकि परिव्यय उपलब्ध होने पर उस प्रस्ताव पर विचार किया जा सके ।

जिला हरदोई में संडीला से गौसगंज तक के ग्रामों में बिजली आपूर्ति की मांग

25—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जिला हरदोई में संडीला से लेकर 24 कि0 मी0 दूरी पर स्थित गौसगंज तक बिजली के खम्भे लगे हैं, परन्तु वर्षों से तार न होने के कारण गौसगंज तथा बीच के ग्रामों में बिजली नहीं पहुंची ? यदि हां, तो वहां बिजली आपूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । सण्डीला से गौसगंज तक 11 के0 वी0 लाइन बनी थी । यह लाइन हसनपुर से गौसगंज तक 4.685 कि0 मी0 पूर्णतः चोरी हो चुकी है । शेष सण्डीला से हसनापुर तक लाइन सही हालत में है । इस लाइन पर कोई कनेक्शन न होने के कारण लाइन का रख-रखाव ठीक प्रकार से नहीं हो सका । इस लाइन पर पर्याप्त मात्रा में विद्युत कनेक्शन आने पर ही विद्युत आपूर्ति करना संभव हो सकेगा ।

श्री कपिल देव सिंह को अग्निशस्त्र दिये जाने संबंधी पूर्व विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही

26—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि श्री कपिलदेव सिंह पुत्र श्री ताराशंकर, निवासी देवारोड, बाराबंकी को अग्निशस्त्र दिए जाने हेतु श्री बाबूलाल कुषमेष पूर्व विधायक के पत्र दिनांक 13-2-89 जो गृह सचिव को सम्बोधित था के उत्तर में श्री एस0 पी0 बरनवाल, संयुक्त सचिव ने अपने अर्द्ध शा0 सं0 933 आर/आठ-5-1989 गृह/पुलिस/अनुभाग-5 दिनांक 7 मार्च, 1989 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

विचारोपरांत लाइसेंस देने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

27—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निधासन विधान सभा क्षेत्र, जनपद-लखीमपुर खीरी के कौन-कौन से गांव विद्युतीकरण हेतु विभाग द्वारा सूची बद्ध किये गये हैं तथा ऐसे गांवों का विद्युतीकरण कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

निधासन विधान सभा क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी के निम्नलिखित ग्राम वर्ष 1989-90 में एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण हेतु सूची बद्ध किये गये हैं :–

क्रम सं0 ग्राम	कोड संख्या
1–बगलहाकुटटी	69
2–खगीरिया	183
3–बरसोला कला	178
4–सिधोना	185

विकास खण्ड पलिया कला

1–वेलाकला	76
2–अटरिया	70
3–फरसइया	69
4–पकरिया	53
5–छोला	27
6–मरौंचा	55
7–बवौरा	82

विकास खण्ड निधासन के चार ग्रामों में से क्र0 सं0–1 पर स्थित ग्राम बगलहाकुटटी का विद्युतीकरण 31-12-1989 को कर दिया गया है । शेष ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और आशा है यह मार्च 1990 में पूरा हो जावेगा ।

विकास खंड पलियाकलां के सात ग्रामों में से क्रम सं0 1 से 4 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और मार्च 1990 तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा । शेष तीन ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की कमी के कारण इस वर्ष (89-90) में पूरा करना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

जिला वाराणसी में विद्युत वितरण मण्डल द्वारा वर्षवार दिये गये विद्युत कनेक्शन एवं ट्रान्सफार्मरों की व्यवस्था

28–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग महुआडीह (भिखारीपुर जिला वाराणसी द्वारा सन 1986-87 व 88-89 तथा 10 दिसम्बर, 1989 तक पम्पिंग सेट के कनेक्शन हेतु अलग-अलग अधिशासी अभियन्ताओं के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों का पूरा रुपया जमाकर एग्रीमेंट उपरोक्त वर्षों में किया गया और उसमें से उपरोक्त वर्षों में कितने कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी के अधीन, जिला वाराणसी के अंतर्गत आने वाले खण्डों की सूचना इस प्रकार है :–

1986–87	1987–88	1988–89	1989–90 (12/89 तक)
451	237	254	243
433	221	199	32
434	109	160	97
350	106	135	29
–	–	165	114
–	–	188	80

29–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत विभाग, वाराणसी के पास तार ट्रांसफार्मर तथा दूसरे सामान अत्यन्त कम मात्रा में हैं ? क्या सरकार सिर्फ पिंडरा ब्लाक व बड़ांगांव ब्लाकों में सब स्टेशन पिंडरा अनेई व हरहुआ के स्टोरों की जांच कराकर पूरे जिले का आंकड़ा निकालेगी और तुरन्त विद्युत लाइनों से संबंधित प्रत्येक सामान की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? क्या सरकार 63 के0 वी0 के ट्रांसफार्मरों की भी व्यवस्था करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान में विद्युत विभाग वाराणसी के पास सामानों की कमी है ।

पिण्डरा व बड़ागांव ब्लाकों में सब-स्टेशन पिण्डरा, अनेई व हरहुआ के स्टोरों की जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि इन उपकेन्द्रों पर कोई स्टोर नहीं है । विद्युत लाइनों से संबंधित सामान परिषद् के भण्डार संगठन द्वारा व्यवस्था करके उपलब्ध कराया जा रहा है । 63 के0 वी0 ए0 ट्रांसफार्मर भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

जनपद गोण्डा के कतिपय थानों में कार्यरत पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण की मांग

30–श्री रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत ललिया, तुलसीपुर, महराजगंज तराई एवं हरैया थानों में कुल कितने पुलिस कर्मी नियुक्त हैं ? इनमें से कितने ऐसे कर्मी हैं जो विगत कई वर्षों से एक ही थाने में नियुक्त हैं ? सरकार पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण की नीति के अनुसार निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से कार्यरत पुलिस कर्मियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ललिया, तुलसीपुर, महराजगंज तराई एवं हरैया थानों में कुल 120 पुलिस कर्मी नियुक्त हैं । इन पुलिस कर्मियों में से कोई भी पुलिस कर्मी

ऐसा नहीं है, जो स्थानान्तरण हेतु निर्धारित न्यूनतम अवधि सीमा अर्थात तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही थाने पर नियुक्त हों ।

जी हां । निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण के समय तथा प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय स्थानान्तरण किया जाता है । फिलहाल स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

31—श्री रिजवान जहीर उर्फ रज्जू—

[तीसरे बुधवार के लिए स्थगित]

32—श्री केशव प्रसाद—

[माननीय सदस्य का स्वर्गवास हो जाने के कारण हटाया गया ।]

श्री अफजाल अन्सारी की वरिष्ठता का श्रम न्यायालय के समझौते के अनुसार निर्धारण एवं अन्य कृत कार्यवाही

33—श्री मयंकर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री अफजल अहमद, दैनिक श्रेणी लिपिक का वरिष्ठता निर्धारण मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा दिनांक 15-4-1978 से निर्धारित न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् व श्री अफजल अहमद, दैनिक श्रेणी लिपिक के मध्य श्रम न्यायालय लखनऊ में किए गये समझौते में यह स्पष्ट रूप से बिन्दु-3 में लिखा है कि विनियमितीकरण की कार्यवाही परिषद् पत्रांक-7425-कार्मिक (9) राविप-81-143 ए/78, दिनांक 1-12-81 के अनुसार व वरिष्ठता का निर्धारण दिनांक 15-4-78 से किया जायेगा ? यदि हां, तो उक्त समझौते के अनुसार कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा श्री अफजल अहमद की वरिष्ठता का निर्धारण दैनिक श्रेणी लिपिक के पद पर दिनांक 1-5-85 से परिषदीय आदेश संख्या 7425-कार्मिक (9)/राविप-81-143 ए/78, दिनांक दिसम्बर 1, 1981 में निहित प्रक्रिया के अनुसार एवं अभिनिर्णय वाद संख्या 22/84 में दिए गये पंचाट के अनुरूप किया जा चुका है । परिषदाज्ञा दिनांक 1-12-1981 के अधीन दर्शित शर्तों को पूर्ण करना था जिसके अन्तर्गत इन्हें विभागीय सेवा में 1-12-1981 को कार्यरत होना चाहिए था परन्तु उनकी सेवायें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण दिनांक 1-1-1981 को ही समाप्त कर दी गयी थी । इसलिए श्री अफजल अहमद उक्त परिषदाज्ञा की परिधि में नहीं आते हैं । उक्त समझौते के अनुसार कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ।

श्री जी0 सी0 वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) का उच्च-न्यायालय में लम्बित मुकदमा

34–श्री मयंकर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि श्री जी0 सी0 वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) को जब ये अधिशासी अभियंता लखनऊ में थे तो किन आरोपों में सेवा से बर्खास्त किया गया था ? क्या यह सही है कि इनके विरुद्ध आज भी उच्चतम न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है ? यदि हां, तो इनकी पदोन्नति किए जाने का क्या आधार है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । उन्हें सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया था । विषय माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है ।

जिला वाराणसी के तसनी एवं पिंडरा टाउन में जर्जर तारों को बदलने की कार्यवाही एवं इटहां आदि ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग

35–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बसनी टाउन व पिंडरा टाउन जिला वाराणसी में विद्युत लाइन के तार बिल्कुल पुराने एवं जर्जर हो गये हैं और टूट-टूट कर गिरते हैं जिससे जान माल को खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों स्थानों की विद्युत लाइन का तार बदलने की व्यवस्था करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बसनी टाउन का सर्वे कराकर प्राक्कलन बनाया जा रहा है जिसकी स्वीकृति के पश्चात संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र जर्जर तारों को बदल दिया जायेगा । पिंडरा टाउन के जर्जर तारों के बदलने के लिए प्राक्कलन स्वीकृति किया जा चुका है और तारों के बदलने की कार्यवाही की जा रही है ।

36–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव इटहां व विश्वनाथपुर ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो गांव इटहां की हरिजन बस्ती तथा विश्वनाथपुर के मूल विश्वनाथपुर, हरिजन बस्ती एवं खांवपुर जो उसके पुरवे हैं का विद्युतीकरण अब तक न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच सरकार इसकी जांच कराकर उक्त पुरवों का विद्युतीकरण करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

ग्राम इटहां की हरिजन बस्ती तथा ग्राम विश्वनाथपुर, के मूल विश्वनाथपुर हरिजन बस्ती एवं खांवपुर का विद्युतीकरण मुख्य ग्राम से अधिक दूरी पर होने के कारण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में पुरवों के विद्युतीकरण का कोई प्राविधान न होने के कारण नहीं किया जा सका है ।

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम तोक डोबा बिनौली में विद्युतीकरण की मांग

37—श्रीमती सरस्वती तिवारी—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड धौलादेवी के ग्राम डोबा बिनौली में दो वर्ष पूर्व विद्युत लाइन बिछाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त लाइन में विद्युत आपूर्ति न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त विद्युत लाईन में विद्युत आपूर्ति कराने के आदेश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, दो वर्ष पूर्व लाइन ग्राम चंगेठी के विद्युतीकरण हेतु बिछायी गयी थी, न कि डोबा बिनौली के लिए जो मुख्य राजस्व ग्राम चंगेठी का एक तोक है ।

उक्त लाइन से ग्राम चंगेठी को विद्युत आपूर्ति की जा रही है । तोक डोबा बिनौली का विद्युतीकरण नहीं किया गया है क्योंकि विद्युतीकरण योजना में मुख्य राजस्व ग्राम का ही विद्युतीकरण प्रस्तावित था । तोक डोबा बिनौली के निवासियों से वांछित मात्रा में आवेदन प्राप्त होने पर प्रतिलाभ के आधार पर इसका विद्युतीकरण सम्भव हो सकेगा ।

जनपद लखनऊ, थाना मोहनलालगंज के श्री माता प्रसाद के शिकायती पत्र पर जांच एवं कृत कार्यवाही

38—श्री ऊदल एवं श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माता प्रसाद पुत्र श्री केशराम, निवासी ग्राम कल्ली पश्चिम थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ का प्रार्थना-पत्र मा0 सदस्य श्री शारदा नन्द अंचल के उपरिपत्र के साथ दिनांक 27-1-90 को जान-माल की सुरक्षा एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी न करने तथा पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच क्या है तथा जांच में पाए गए दोषी व्यक्तियों एवं पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री माता प्रसाद का विषयगत प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-1-90 मा0 विधायक श्री शारदा नन्द अंचल के उपरिपत्र दिनांक 24-1-90 (27-1-90 नहीं) के साथ प्राप्त हुआ है ।

उक्त प्रार्थना-पत्र की शिकायतों की जांच कराई गई । प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थी श्री माता प्रसाद उसके भाइयों शत्रुघन एवं हनुमान तथा पिता केशराम व अन्य के बीच कई बार आपसी बटवारे को लेकर मारपीट हुई है, जिसके संबंध में प्रार्थी ने उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध समय-समय पर मुकदमें दर्ज कराये हैं --

वर्ष 1984 में माह अगस्त में दर्ज मु0 अ0 सं0 314/84 धारा 323/324 भा0 द0 वि0 में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र दिनांक 21-9-84 को न्यायालय भेजा गया । वर्ष 1984 में ही माह जुलाई में दर्ज एन0 सी0 आर0 संख्या 235 धारा 323/504 भा0 द0 वि0 अदम तफतीश रहा ।

वर्ष 1986 में दिनांक 8-4-86 को दर्ज एन0 सी0 आर0 115/86 धारा 323/504 भा0 द0 वि0 अदम तफतीश रहा ।

दिनांक 1-11-89 को श्री माता प्रसाद द्वारा अपने भाई शत्रुघन व एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मारपीट की शिकायत पर मु0 अ0 सं0 339/89 अन्तर्गत धारा 325/323/504 भा0 द0 वि0 थाना मोहनलालगंज पर पंजीकृत हुआ । विवेचनोपरान्त अभियुक्त शत्रुघन एवं रमेश का चालान दिनांक 20-12-89 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

श्री माता प्रसाद के शिकायती-पत्र पर जांच कर उनकी व उनके परिवार की सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है । उनके गांव में पुलिस कर्मी सुरक्षा व्यवस्था हेतु बराबर लगाये जा रहे हैं । प्रार्थी द्वारा पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप जांच में प्रमाणित नहीं हुए अतः पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

39—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[पहले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

40—श्री कल्यान सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कृषि उत्पादन मंडी समिति चन्दौसी जिला मुरादाबाद में कार्यरत मंडी सहायकों की सेवाओं के विनियमितीकरण संबंधी जैसे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

41—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मण्डी निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ को संबोधित और माननीय मुख्य मंत्री जी को पृष्ठांकित प्रश्नकर्ता का दिनांक 18-1-90 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, चंदौसी, जिला मुरादाबाद में सेवारत मंडी सहायकों की सेवाओं के विनियमितीकरण की मांग की गयी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ? क्या यह सच है कि तत्कालीन मंडी परिषद् के निदेशक श्री बृजेन्द्रपाल और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उ0 प्र0 के उपाध्यक्ष श्री बी0 पी0 मिश्र, मंत्री कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री बीरपाल सिंह और मंत्री कर्मचारी यूनियन के महामंत्री श्री आर0 के0 निगम के बीच दिनांक 10-2-89 को कोई समझौता हुआ था, जिसकी मांग संख्या-9 के सम्बन्ध में मंडी निदेशक ने यह बात समझौते में स्वीकार की थी कि 240 दिवस से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को सेवा से निकाला नहीं जायेगा ? और पदों की उपलब्धि के अनुसार उन्हें नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कृषि उत्पादन मंडी परिषद् चंदौसी, जिला मुरादाबाद में सेवारत ऐसे कर्मचारियों, जिनकी सेवावधि 900 दिनों से भी अधिक बैठती है, की सेवाओं के विनियमितीकरण न किये जाने के क्या कारण हैं ? इन कर्मचारियों की सेवाओं का विनियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न कर्ता का दिनांक 18-1-90 का नहीं बल्कि दिनांक 19-1-90 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कृषि उत्पादन मण्डी समिति, चंदौसी, जिला मुरादाबाद में कार्यरत दो मण्डी सहायकों की सेवाओं के विनियमितीकरण की मांग की गयी है। कृषि उत्पादन मण्डी कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों तथा मंडी निदेशक के बीच दिनांक 10-2-89 को हुए समझौते के परिपेक्ष में मंडी परिषद् के संचालक मण्डल के दिनांक 24-10-89 के प्रस्ताव के अनुसार मंडी समिति कर्मचारियों के नियमितीकरण के विस्तृत निर्देश मंडी निदेशक द्वारा दिनांक 28-12-1989 को निर्गत कर दिए गये हैं, जिसमें दिनांक 1-10-1986 अथवा उसके पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए गये हैं।

यह सच है कि दिनांक 10-2-89 को समझौता हुआ था, परन्तु मांग सं0-9 के संबंध में समझौते में केवल यह लिखा है कि पूर्व प्रसारित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु अनुस्मारक जारी किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जो कर्मचारी दिनांक 1-10-1986 के बाद से कार्यरत हैं, जारी किये गये आदेशों के अनुसार इनको नियमित नहीं किया जा सकता।

जनपद बाराबंकी, थाना रामनगर की पुलिस द्वारा श्रीमती अजीजुन्निसां को उत्पीड़ित करके लूटपाट करने संबंधी रिपोर्ट की जांच

42–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 27 फरवरी, 1989 की रात में जनपद बाराबंकी अन्तर्गत थाना रामनगर की पुलिस ने उसी थाना क्षेत्र के ग्राम बदोसरांय निवासिनी श्रीमती अजीजुन्निसां पत्नी श्री मो0 अमीन खां को नाजायज उत्पीड़ित करके लूटपाट किया था जिसकी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी के निर्देश पर थाना रामनगर में अपराध संख्या 77/89 अन्तर्गत धारा 457/323/379/342 आई0 पी0 सी0 दिनांक 2-4-89 अंकित की गई थी ? यदि हां, तो सन्दर्भित रिपोर्ट में उल्लिखित पुलिस कर्मी कौन थे और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत मामला उपनिरीक्षक पी0 के0 मिश्रा, का0 हनुमान एवं का0 बेनी माधव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। सम्प्रति मामले की जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है।

बाराबंकी के थाना टिकैत नगर के एस0 आई0 श्री राम शिरोमणि सिंह पर घूसखोरी के आरोप संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

43—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30 जुलाई, 1988 को बाराबंकी जनपद के भूतपूर्व विधायक श्री अशर्फीलाल यादव ने बाराबंकी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के नाम रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपना एक शिकायती पत्र भेजा था, जिसमें स्थानीय थाना टिकैतनगर के एस0 आई0 श्री रामशिरोमणि सिंह पर कस्बा टिकैतनगर निवासी जैन राईस मिल के मालिक श्री प्रभाष चन्द्र जैन को हब्स बेजा में रखकर डरवा धमका कर पांच हजार रुपये की घूसखोरी करने का गंभीर आरोप था ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जांच में गवाहों के बयान एवं अभिलेखों की समीक्षा करने से पाया गया उपनिरीक्षक रामशिरोमणि सिंह व का0 राम विलास द्वारा श्री प्रभाष चन्द्र जैन से थाना टिकैतनगर पर बुलाकर उत्कोच ग्रहण किया गया, परन्तु अभियोग चलाने हेतु प्रभावी साक्ष्य के अभाव में दोनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई अभियोग चलाये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी परन्तु उनका आचरण संदिग्ध पाये जाने के कारण विभागीय कार्यवाही करके उनकी वर्ष 1988 की सत्यनिष्ठा रोक दी गई है ।

श्री यूनुस खां, ग्राम पीपरपाती पर विद्युत देयों का बकाया

44—श्री जनार्दन प्रसाद आभा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गांव पिपरपाती ब्लाक परतावल जनपद महराजगंज के श्री यूनुस खां के नाम पर हजारों रुपया बकाया था और बकाया छिपाने के लिए पुनः कनेक्शन को उनके भतीजे शमीम खां के नाम कर दिया गया ? यदि हां, तो इस समय इन पर बकाये की कितनी राशि है और इस प्रकार की जालसाजी करने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री यूनुस खां, ग्राम पीपरपाती ब्लाक परतावल के नाम एक 7.5 अश्व शक्ति का औद्योगिक कनेक्शन है जो विद्युत देयों का बकाया अदा करने के कारण माह दिसम्बर, 1988 से कटा हुआ है । इस समय इस कनेक्शन पर रु0 25015,46 बकाया है । उक्त कनेक्शन को उनके भतीजे श्री शमीम खां के नाम ट्रांसफर नहीं किया गया है ।

आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ एवं हरैया विकास खण्ड में सिंचाई के पम्पिंग सेट हेतु आवेदकों को विद्युत कनेक्शन देने की मांग

45–श्री पंचानन राय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खण्ड में सिंचाई के पम्पिंग सेट हेतु विद्युत कनेक्शन के लिए किन-किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र, जिन्हें कनेक्शन नहीं प्राप्त हो सका है, दिनांक 31 दिसम्बर, 89 तक लम्बित थे, इन्हें कनेक्शन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

82 व्यक्तियों के आवेदन लम्बित थे जिनकी सूची संलग्न है ।

इनका परीक्षण किया जा रहा है । तकनीकी दृष्टि से इनकी उपयुक्तता, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आवेदकों द्वारा आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने पर इन्हें कनेक्शन देना संभव होगा ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 124 पर)

46–श्री पंचानन राय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरैया विकास खण्ड में सिंचाई के पम्पिंग सेट हेतु विद्युत कनेक्शन के लिए किन-किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र जिन्हें कनेक्शन प्राप्त नहीं हो सका, 31 दिसम्बर, 89 तक लम्बित थे ? उन्हें कनेक्शन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

40 व्यक्तियों के आवेदन पत्र लम्बित थे जिनकी सूची संलग्न है ।

इनका परीक्षण किया जा रहा है । तकनीकी दृष्टि से इनकी उपयुक्तता, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आवेदकों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने पर इन्हें कनेक्शन दिया जाना सम्भव होगा ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 126 पर)

सिंधौरा पुलिस चौकी के इन्चार्ज एवं कुछ पुलिसजनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

47–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15-1-90 को डा0 चुन्नीलाल वर्मा गांव सिंधौरा साठी, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनके भाई गुलाब को सिंधौरा पुलिस चौकी इन्चार्ज मुन्नीलाल तथा कुछ सिपाहियों ने 13-1-90 को मारा एवं दुर्व्यवहार किया ? यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, जनपद वाराणसी को नहीं दिया गया है । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पिपरौला में खाद के कारखाने हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के मुआवजे की प्रतिकर दर का निर्धारण

48–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पिपरौला में खाद के कारखाने हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के द्वारा मात्र 16000 रुपये प्रति एकड़ ही प्रस्तावित किए जाने का क्या कारण है जबकि इस भूमि को क्रय-विक्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी 55000 रुपया प्रति एकड़ की दर पर वसूल की जाती है ? क्या सरकार मुआवजे की दर स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद शाहजहांपुर में ग्राम पिपरौला में खाद के कारखाने के लिए उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर द्वारा जिलाधिकारी शाहजहांपुर के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है । निगम द्वारा रु0 16000/-प्रति एकड़ की दर से कोई प्रतिकर प्रस्तावित नहीं किया गया है । प्रतिकर की दर का निर्धारण भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट/जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी के द्वारा उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार किया जा रहा है । अभी तक जिस भूमि का अनुमानित प्रतिकर लगाया गया है, उसका बाजार मूल्य रु0 15,500 से रु0 19,000 प्रति एकड़ तक किस्म जमीन के अनुसार आता है । इस पर 30 प्र0 श0 सोलेशियम भी दिया जा रहा है । स्टाम्प ड्यूटी के लिए जिलाधिकारी द्वारा किस्म जमीन के अनुसार निर्धारित सूची के अन्तर्गत भी अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की दर रु0 15,500 से रु0 19,000 के मध्य रु0 55,000 प्रति एकड़ की दर स्टाम्प ड्यूटी, केवल सड़क के किनारे के भूखण्ड के लिए है, जो अभिनिर्णय में प्रतिकर के निर्धारण का भी आधार होगा ।

उ0 प्र0 में वर्ष 1989 में हुए साम्प्रदायिक दंगों में जान-माल की हानि का विवरण

49–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश में कुल कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए तथा किन-किन जिलों में हुए तथा उसमें कितने लोग मारे गए तथा कितनी सम्पत्ति की हानि हुई?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1989 में प्रदेश में दो साम्प्रदायिक दंगे बदायूं एवं वाराणसी जनपदों में हुए । इन दंगों में मृत एवं सम्पत्ति की अनुमानित क्षति का विवरण निम्नवत् है :–

स्थान	मृतकों की संख्या	सम्पत्ति की अनुमानित क्षति
1. बदायूं नगर	31	रु0 4.5 करोड़
2. वाराणसी नगर	9	रु0 10 लाख

50–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[दूसरे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

51–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रवर्तन दल उ0 प्र0, राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कतिपय जनपदों में पकड़े गये विद्युत चोरी के मामले

52–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रवर्तन दल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ में वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 में जिलेवार कुल कितने विद्युत चोरी से संबंधित मामले पकड़े गए तथा उनमें से कितने केस कोर्ट में दाखिल हुए एवं कितने का मूल्यांकन किया गया? मूल्यांकित धनराशि में कितनी धनराशि अब तक प्राप्त हुई?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रवर्तन दल उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर, देवरिया, बस्ती एवं आजमगढ़ में निम्न विवरणानुसार विद्युत चोरी के मामले पकड़े गये :–

वर्ष	गोरखपुर	देवरिया	बस्ती	आजमगढ़
1984–85	2	1	—	1
1985–86	192	16	40	30
1986–87	54	56	21	76
1987–88	113	49	6	77
1988–89	253	94	198	151
1989–90 .. .. (28–2–90 तक)	28	5	2	50
योग ..	643	221	367	385

उपरोक्त कुल मामलों में से 1504 मामले कोर्ट में भेजे गये तथा रु0 23,93,803.00 मूल्यांकन किया गया। 12 मामले पुलिस के पास विवेचनाधीन हैं जो विवेचना के उपरान्त कोर्ट में शीघ्र भेजे जायेंगे।

चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः इनमें से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

कैन्टोमेन्ट क्षेत्र लखनऊ में बिजली आपूर्ति

53—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैन्टोमेन्ट विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में निरन्तर बिजली आपूर्ति हेतु क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

कन्टोमेन्ट क्षेत्र लखनऊ में निरन्तर बिजली आपूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :—

1—33 के0 वी0 कैन्ट उपग्रह की क्षमता 5 एम0 वी0 ए0 से बढ़ाकर 10 एम0 वी0 ए0 कर दी गई है।

2—कैन्ट सबस्टेशन पर विद्युत उपलब्धता अब दो दिशाओं से सुनिश्चित की जा रही है—सरोजनीनगर से तथा 132 के0 वी0 सब स्टेशन एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 से।

3—सदर कैन्ट स्थित सब्जी मंडी में एक 400 के0 वी0 ए0 का 11/4 के0 वी0 का नया विद्युत सबस्टेशन बना दिया गया है जिससे उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है।

प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र रसड़ा में अनैतिक एवं असामाजिक घटनाओं का विवरण

54—श्री राम वचन धूसिया—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र, रसड़ा जनपद बलिया के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वर्ष 88-89 व 89-90 में हत्या, लूट, हत्या के प्रयास, राहजनी, चोरी व अन्य अनैतिक व असामाजिक कितनी घटनायें घटित हुयीं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में वांछित सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ष 88-89

हत्या	7
लूट	—
हत्या के प्रयास	8
राहजनी	—
चोरी	19

अनैतिक	7
असमाजिक	–

वर्ष 89-90 (28-2-90 तक)

हत्या	5
लूट	–
हत्या के प्रयास	10
राहजनी	–
चोरी	20
अनैतिक	2
असमाजिक	–

यू0 पी0 हार्टिकों द्वारा रामगढ़ उद्योगशाला का नवीनीकरण

55–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हार्टिकों द्वारा रामगढ़ उद्योगशाला का एक करोड़ की लागत का संयंत्र लगाकर नवीनीकरण किया गया है? यदि हां, तो यह संयंत्र कितने दिनों में कार्य करना आरम्भ करेगा? क्या इस संयंत्र से उत्पादित फल पदार्थों की विपणन की समुचित व्यवस्था कर ली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यू0 पी0 हार्टिकों की रामगढ़ उद्योगशाला के नवीनीकरण के लिए कुल एक करोड़ रुपये पर्वतीय विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में उपलब्ध कराये गये थे। हार्टिकों के प्रबन्ध निदेशक ने अवगत कराया है कि संयंत्र के माह जुलाई, 1990 तक कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है। हार्टिकों में उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था हेतु सेना से सम्पर्क किया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की समीक्षा हेतु शासन द्वारा गठित समिति की समाप्ति

56–श्री श्याम नारायन तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा एवं समस्याओं के निराकरण हेतु शासन स्तर पर ऊर्जा विभाग द्वारा कोई समन्वय समिति गठित की गयी है ? यदि हां, तो इसके सदस्य व अधिकारियों के पदनाम तथा उसका नाम तथा अवधि क्या है ? इसकी पहली बार गठन कब हुआ ? क्या यह सत्य है कि इसे भंग किये जाने का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की समीक्षा हेतु शासन द्वारा एक समिति गठित की गयी थी जिसे शासकीय निर्णय के अंतर्गत समाप्त किया जा चुका है ।

इसका पहली बार गठन 1980 में हुआ था । समिति समाप्त हो चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समितिके लम्बित बिलों के भुगतान हेतु कृत आवश्यक कार्यवाही

57—श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के विभिन्न व्ययों के भुगतान संबंधी मामले वर्ष 1985 से शासन के ऊर्जा विभाग में लम्बित हैं ? यदि हां, तो 31-12-89 तक विभिन्न मदों की बकाया राशि का वर्षवार विवरण क्या है? क्या यह सत्य है कि वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में बजट की कुछ राशि समर्पित की गयी किन्तु अवशेष का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? लम्बित के भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं, अपितु वर्ष 1986 से भूतपूर्व अध्यक्ष, ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के द्वारा किये गये यात्राओं के टैक्सी बिल भुगतान हेतु लम्बित हैं ।

विभिन्न मदों की बकाया धनराशि का वर्षवार विवरण निम्न है :—

वर्ष 1986-87

यात्रा मद—80 हजार रुपया

1987-88

यात्रा मद—79 हजार रुपया

1988-89

यात्रा मद—34 हजार रुपया

कार्यालय व्यय मद—41/2 हजार रु0

टेलीफोन मद—4 हजार रु0

1989-90

यात्रा मद—$2\frac{1}{2}$ हजार रु0

कार्यालय व्यय मद—$1\frac{1}{2}$ हजार रु0

जी हां ।

वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में बजट में प्राविधानित कुछ धनराशि समर्पित की गयी । कुछ मदों से संबंधित बिलों का भुगतान उस हेतु आय-व्ययक में आविधानित धन-राशि से अधिक होने के कारण नहीं किया जा सका ।

लम्बित बिलों के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

स्टोर डिवीजन साहूपुरी, वाराणसी में ट्रान्सफार्मरों की उपलब्धता एवं उनका वितरण

58—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विद्युत विभाग का एक स्टोर डिवीजन साहूपुरी, वाराणसी में है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि साहूपुरी स्टोर में अप्रैल, 1989 से दिसम्बर 89 तक कितने ट्रान्सफार्मर कितने-कितने हार्स पावर के स्टोर में उपलब्ध थे और उनका वितरण प्रत्येक डिवीजन में किस प्रकार किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, इस स्टोर में 1-4-89 से 31-12-89 तक क्षमतावार ट्रान्सफार्मरों की उपलब्धता एवं उनका वितरण निम्न प्रकार है :–

विवरण	क्षमता के0वी0ए0 में 25	63	100	160	250	400	630	योग
1-4-89 से 31-12-89 तक क्षमतावार ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता	671	359	94	2	34	46	2	1208
1-4-89 से 31-12-89 तक क्षमतावार ट्रांसफार्मरों का वितरण								
1-विद्युत वितरण खण्ड प्रथम वाराणसी ..	240	137	35	..	4	..	..	416
2-विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय वाराणसी ..	145	37	6	1	2	4	–	195
3-विद्युत वितरण खंड भदोही ..	177	112	19	1	3	2	..	314
4-नगरीय विद्युत वितरण मंडल, वाराणसी (वेसू)	8	13	24	..	25	40	2	112
5-विश्व बैंक डिवीजन वाराणसी ..	3	20	....	..	....	....	..	23
6-अन्य जिलों के भण्डारों को स्थानान्तरित ..	59	19	9	..	....	....	..	87

जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमा

59–श्री रमापति शास्त्री–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के थाना खरगूपुर में दिनांक 1-12-89 से 31-12-89 तक कितने मुकदमें अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराये गये हैं ? क्या उनमें अपराध संख्या 150/89 का भी मुकदमा सामिल है ? यदि हां, तो उक्त मुकदमा किस व्यक्ति द्वारा पंजीकृत कराया गया और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

थाना खरगूपुर में प्रश्नगत अवधि में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत केवल एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया ।

उपरोक्त अपराध ही अपराध संख्या 150/89 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

उक्त मुकदमा श्री अब्दुल मुजीब, प्रधान, ग्राम सभा-विश्नापुर बेलभरिया, थाना खरगूपुर, गोण्डा द्वारा पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है।

60—श्री रूद्र प्रसाद—

[पहले गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 97 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री जी0 एस0 आना वरिष्ठ लिपिक, भूमि संरक्षण के शिकायती प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

61—श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री जी0 एस0 आना वरिष्ठ लिपिक, भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय रामपुर के शिकायती प्रार्थना-पत्र पर श्री सी0 एल0 गुप्ता भूमि संरक्षण अधिकारी रामपुर द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने संबंधी आडिट रिपोर्ट दि0 6-5-89 को कृषि निदेशालय में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां श्री आना के शिकायती पत्र के साथ सहायक लेखाकार की जांच रिपोर्ट दिनांक 6-5-89 कृषि निदेशालय में दिनांक 2-9-89 को मिली।

कृषि निदेशालय से सम्प्रेक्षण टोली भेजकर दिनांक 13-9-89 से 20-9-89 तक भूमि संरक्षण अधिकारी रामपुर के कार्यालय का सम्प्रेक्षण कराया गया। जिसके फल-स्वरूप प्रकाश में आयी अनियमितताओं पर उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण बरेली से अनुपालन आख्या मांगी है।

जिला उद्यान अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री रघुवीर सिंह के शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रतीक्षित जांच रिपोर्ट

62—श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि निदेशक उद्यान एवं फल उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को श्री रघुवीर सिंह एवं अन्य 9 कर्मचारियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 1989 को जिला उद्यान अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ उक्त निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच करायी गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

जांच करायी जा रही है।

जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में सेवकों के वेतनमानों के पुनरीक्षित किये जाने की मांग

63—श्री राम कुमार शुक्ल तथा श्री बसन्त लाल गुप्ता—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में विद्युत कर्मचारियों के वेतन पांच वर्षों के अन्तराल पर पुनरीक्षित किये जाने की वेतन समिति की संस्तुति है ? यदि हां, तो वर्ष 1-4-89 से विद्युत कर्मचारियों के वेतन कब तक पुनरीक्षित कर दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव,-

जी नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में सेवकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर किये जाने की वेतन समिति की कोई संस्तुति नहीं है।

प्रश्नकर्ता तथा कतिपय सदस्यों का राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना पत्र पर विचार

64—श्री बाबू लाल सरोज—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12 दिसम्बर, 1989 को प्रश्नकर्ता तथा श्री अर्जुन सिंह यादव व श्री शारदानन्द अंचल तथा अन्य कई विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, सचिवालय के कार्यकलापों एवं उसके सुदृढ़ीकरण आदि किए जाने के संबंध में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें वर्णित बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण आदि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

लखनऊ में घटित अपराधों की रोकथाम हेतु की गयी निरोधात्मक कार्यवाही

65—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी लखनऊ में अलग-अलग थानावार धारा 302, 304, 307, 392 की कितनी घटनाएं 1 दिसम्बर, 1989 से 8-1-90 के बीच में हुईं ? ऐसी घटनाओं की बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना तालिका संलग्न है।

प्रश्न में संदर्भित धाराओं के अन्तर्गत घटित अपराधों की रोकथाम हेतु असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारियों को समुचित निर्देश दिए गए हैं। अपराधों के नियंत्रण हेतु प्रचुर मात्रा में निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस पिकेट एवं गश्त को अधिक चुस्त एवं सक्रिय बनाया गया है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 127 पर)

वाराणसी मण्डल में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों हेतु दिए गए सामान का विवरण

66—श्री ऊदल—

ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विद्युत विभाग वाराणसी में तार, खम्भा, कलैम्प, ट्रान्सफार्मर तथा दूसरे सामानों की आपूर्ति के संबंध में प्रश्नकर्ता ने मा0 मुख्य मंत्री को 18-1-90 को पत्र दिया था ? यदि हां, तो अब तक कितना सामान वाराणसी विद्युत विभाग को दिया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

वर्ष 1989-90 में जनवरी, 1990 तक वाराणसी मण्डल में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों हेतु मुख्यतः निम्न सामान दिया गया :—

1—सीमेंट	1591 बोरी
2—केबिल	11247 मीटर
3—पीसीसी पोल	13498 अदद
4—बीजल तार	1580 कि0मी0
5—एट वायर	31459 कि0ग्रा0
6—जी0 आई0 वायर	25952 कि0ग्रा0
7—11 के0 वी0 टीपीएमओ0	64 अदद
8—25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर	473 अदद
9—63 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर	68 अदद

जनपद बाराबंकी के भू0 पू0 ग्राम प्रधान श्री दुजई राम के हत्यारों की गिरफ्तारी एवं आत्मसमर्पण

67—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नानिकपुरा मजरे, थाना मसौली, जनपद बाराबंकी के भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री दिजई राम यादव की हत्या दिनांक 3-1-90 को कर दी गई थी तथा घटना की नामजद रिपोर्ट भी हुई थी ? यदि हां, तो क्या मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

नामजद 10 अभियुक्तों में से (1) महेश (2) अम्बरलाल (3) सन्तराम (4) रामशरण को दिनांक 7-1-90 को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों में से गया प्रसाद, गुलाब, अनन्तराम व लालसिंह ने दिनांक 10-1-90 तथा मायाराम व जगन्नाथ ने दिनांक 11-1-90 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया ।

"घटना का विवरण निम्नवत् है :—

श्री ओंकार प्रसाद दिनांक 3-1-90 को जब अपने बरसीम व गेहूं के खेत की सिंचाई हेतु नहर को पानी लगाया था खेत सींच जाने पर जब वह नहर का कुलाबा बन्द

करने नहर पर गया । सड़क की पटाई का कार्य कर रहे बाहरी ट्रैक्टर से मेड़ टस्ट जाने के कारण ओंकार के खेत का पानी भी रामसरन यादव के खेत में चला गया जिस कारण अनन्तराम, सन्तराम व गया प्रसाद को गाली देने लगे बाद में एक राय होकर अभियुक्त गया प्रसाद व गुलाब ने बन्दूक लेकर तथा महेश, अनन्तराम, मायाराम, अम्बर लाल, जगन्नाथ, सन्तराम, लालसिंह यादव व रामशरन ने लाठियां लेकर ओंकार को घेर लिया । ओंकार के शोर करने पर उसके पिता दुजई राम व उसकी पत्नी गायत्री देवी व दादा भभूती आदि दौड़ आए तब गया प्रसाद ने बन्दूक से दुजई राम को गोली मार दी जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी । गुलाब ने बन्दूक से राम सेवक को मार कर चोटहल कर दिया तथा शेष अभियुक्तों ने लाठी से ओंकार प्रसाद यादव, उसके दादा भभूती यादव व उसकी पत्नी गायत्री देवी को घायल कर दिया ।

आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज विकास खण्ड में सिंचाई पम्पिंग सेट हेतु विद्युत कनेक्शन की मांग

68—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज विकास खण्ड में सिंचाई पम्पिंग सेट हेतु विद्युत कनेक्शन के लिए किन-किन व्यक्तियों के आवेदन 31 दिसम्बर, 1989 तक लम्बित थे ? इन्हें कनेक्शन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

77 व्यक्तियों के आवेदन लम्बित थे जिनकी सूची संलग्न है ।

इनका परीक्षण किया जा रहा है तकनीकी दृष्टि से इनकी उपयुक्तता, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आवेदकों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने पर इन्हें कनेक्शन देना सम्भव होगा ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 128 पर)

जिला फर्रुखाबाद ग्राम हारापुर के श्री सुरेन्द्र कुमार को राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अनुग्रह धनराशि

69—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवपाल निवासी ग्राम हारापुर थाना राजेपुर जि0 फर्रुखाबाद दिनांक 24-2-85 को गांव के बाहर बिजली के टूटा तारों में हो रही विद्युत प्रवाह से बुरी तरह जल गया था एवं जिला अस्पताल में उपचार के समय उसका दायां हथ काट दिया गया ? यदि हां, तो क्या सी0 जेड0 इ0 उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 कानपुर ने उक्त पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायता स्वीकृत की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

ऐसे मामलों में क्षेत्रीय समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाती है । तद्नुसार उक्त समिति की संस्तुति पर परिषद् द्वारा रु0 6,000 की अनुग्रह धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है ।

राजकीय कृषि फार्म डेहवा (लखनऊ) में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी भुगतान हेतु की गयी जांच एवं कृत कार्यवाही

70—श्री श्याम सुन्दर वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 में राजकीय कृषि फार्म डेहवा (लखनऊ) पर गेंहू की मड़ाई व ढुलाई आदि कार्य कराया गया था ? क्या यह सही है कि इस कार्य से संबंधित मजदूरों की मजदूरी एवं अन्य देयों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

इसके पूर्व ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी ।

पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है । यथास्थिति कार्यवाही की जावेगी ।

जनपद बांदा के चित्रकूट विकास खण्ड में विद्युतीकरण की मांग

71—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में चित्रकूट विकास खण्ड में कौन-कौन से ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है तथा ऐसे कितने गांव हैं जिनमें विद्युतीकरण हेतु खम्भे खड़े कर दिये गये हैं किन्तु तार नहीं खींचे गए हैं ? अब तक विद्युत तार न खींचे जाने के क्या कारण हैं ? इन गांवों में विद्युत आपूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद बांदा में चित्रकूट विकास खण्ड में ऐसे 89 ग्राम हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है । सूची संलग्न है ।

ऐसे कोई ग्राम नहीं हैं जहां खम्भे खड़े कर दिये गये हैं परन्तु तार नहीं खींचे गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन गांवों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 130 पर)

जनपद बांदा के पहाड़ी विकास खण्डों में विद्युतीकरण की मांग

72—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के पहाड़ी विकास खण्ड में कौन-कौन से गांव ऐसे हैं, जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? इनका विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बांदा जनपद के पहाड़ी विकास खण्ड में ऐसे 61 ग्राम हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इन ग्रामों की सूची संलग्न है।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 133 पर)

जनपद बांदा की तहसील मऊ में एक अपर पुलिस अधीक्षक के पद सृजित करने की मांग

73–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की कर्वी मऊ तहसीलों के सब डिवीजन में अपर पुलिस अधीक्षक का पद सृजित था ? यदि हां, तो अब उक्त पद समाप्त क्यों कर दिया गया है ? क्या उक्त पद को बरकरार रखते हुए उस पर नियुक्ति की जायगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बांदा के लिए एक अपर पुलिस अधीक्षक का पद सृजित है। कर्वी व मऊ तहसीलों के लिए अपर पुलिस अधीक्षक के अलग से कोई पद स्वीकृत नहीं है। जनपद बांदा की तहसील मऊ के क्षेत्र में ददुआ डकैत द्वारा अत्यधिक आतंक के फलस्वरूप एक अपर पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गयी थी जिसके हटने के पश्चात अब वर्तमान में जनपद बांदा में एक ही अपर पुलिस अधीक्षक नियुक्त है।

जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण की कार्यवाही

74–श्री राम बचन–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सरजू प्रसाद उप प्रधान ग्राम नेवादा नरपति द्वारा ग्राम सभा गौरी दायमपुर तहसील-सण्डीला जनपद हरदोई के ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने अपने पत्र संख्या-4088/वी0/एम0 ई0/86, दिनांक 12-11-86 द्वारा उन्हें यह सूचित किया था कि उनके पत्र को उचित कार्यवाही हेतु अति0 मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण विद्युतीकरण) को भेज दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? पत्र में सन्दर्भित ग्राम का विद्युतीकरण न किए जाने का क्या कारण है ? इस ग्राम का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम नेवादा नरपति (कोड सं0 48) तथा ग्राम सभा गौरी दायमपुर (कोड सं0 49) विद्युतीकरण हेतु ब्लाक-बेहदर की आर0 ई0 सी0 योजना में सम्मिलित हैं परन्तु वार्षिक लक्ष्यों के अन्तर्गत जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा इन ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन न किये जाने के कारण विद्युतीकरण की कार्यवाही अभी संभव नहीं हो सकी है। समिति द्वारा चयनित होने के बाद ही विद्युतीकरण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

सीतापुर जनपद में आम की फसल में भुनगा कीट तथा खर्रा रोग नियंत्रण कार्य हेतु मिलने वाले अनुदान की मांग

75—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री अशोक कुमार सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) उ0 प्र0 ने सीतापुर जिला कृषि रक्षा अधिकारी को पत्र सं0-3991 दिनांक 5-1-90 लिखकर आम की फसल में भुनगा कीट तथा खर्रा रोग नियंत्रण कार्य हेतु मिलने वाले अनुदान को समाप्त कर दिया ? यदि हां, तो सीतापुर में आम की फसल की हो रही बरबादी को देखते हुए भी उक्त अनुदान निरस्त करने का क्या कारण है ? अनुदान पुनः कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । किन्तु सीतापुर सहित 20 अन्य जनपदों के विषय में भी यही निर्णय जनहित में लिया गया है ।

कृषि तथा उद्यान विभाग के विशेषज्ञों की संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर यह अनुदान केवल वर्तमान में आमफल पट्टी घोषित जनपदों तथा विचाराधीन आमपट्टी जनपदों के लिए ही देना उचित पाया गया है ।

सीतापुर जनपद इस श्रेणी में नहीं आता है । अतः प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड महम्मदपुर के ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य

76—श्री राम बचन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के ब्लाक महम्मदपुर में किन-किन गांवों में जनता विद्युतीकरण के अन्तर्गत खम्भे लगाये गये हैं या कार्य कराया जा रहा है परन्तु तार नहीं खींचा गया है तथा कनेक्शन नहीं दिया है ? वहां कब तक तार खींचकर विद्युत कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनता कनेक्शन योजना के अन्तर्गत खम्भे गाड़कर कनेक्शन नहीं दिया जाता है वरन इस योजना में उन व्यक्तियों को कनेक्शन दिया जाता है जिनकी सर्विस लाइन 30 मीटर के अंदर होती है । जनता कनेक्शन योजना के अंतर्गत खम्भे गाड़ने का कोई कार्य नहीं किया गया है । अतः तार खींच कर कनेक्शन देने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

यदि प्रश्न का तात्पर्य एल0 टी0 मेंस द्वारा ग्रामों के विद्युतीकरण से है तो विकास खण्ड महम्मदपुर, जनपद आजमगढ़ में ग्राम उत्तर गांवों (कोड सं0 834), अक्लीपुर (कोड संख्या 865) तथा अमोड़ा (कोड संख्या 863) में विद्युतीकरण हेतु खम्भे गाड़े गये हैं परन्तु तार के अभाव में तार खींचने का कार्य नहीं हो सका है । तार उपलब्ध होते ही यह कार्य संभव हो सकेगा ।

जनपद आजमगढ़ के महम्मदपुर ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले गांवों को दिए गए बल्ब पर खर्च का ब्योरा

77—श्री राम बचन यादव—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजममगढ़ जनपद महम्मदपुर ब्लाक में किन-किन ग्राम सभा के प्रधानों को बल्ब लगाने के लिए पैसा दिया गया है ? क्या उन ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण हुआ है ? यदि नहीं, तो वह पैसा किस मद में खर्च किया जायेगा ? क्या मंत्री जी तुरन्त उन गांवों में विद्युतीकरण करायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं, ऊर्जा विभाग/राज्य विद्युत परिषद् द्वारा इस प्रकार की कोई धनराशि ग्राम प्रधानों को नहीं दी जाती है । जहां तक ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण का प्रश्न है, ग्रामों के नामों का उल्लेख न होने के कारण स्थिति स्पष्ट करना संभव नहीं है ।

78—श्री ऊदल—

[पहले गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 98 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के दो सिपाहियों तथा जीप ड्राइवर के विरुद्ध लूट-पाट का झूठा आरोप

79—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस कोतवाली चन्दन चौकी जनपद लखीमपुर खीरी के दो सिपाहियों तथा जीप-ड्राइवर के विरुद्ध दिसम्बर, 89 में लूट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत मामले में दिनांक 16-12-89 को श्री ज्ञान प्रकाश निवासी मौहल्ला काकूपुरियान, थाना पलिया, खीरी द्वारा कोतवाली चन्दन चौकी के कान्सटेबिल तेज सिंह व जय पाल सिंह तथा जीप ड्राइवर के विरुद्ध लूट का मुकदमा अपराध संख्या 19/89 अन्तर्गत धारा 394 भा0 द0 वि0 थाना चन्दन चौकी पर पंजीकृत कराया गया ।

विवेचना से अपराध का होना नहीं पाया गया अतः अंतिम रिपोर्ट दिनांक 20-2-89 न्यायालय प्रेषित की गयी जो विचाराधीन है ।

मुकदमा झूठा होने के कारण आरोपित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड हरैया में उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने की मांग

80—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के ग्राम-एकवन डांड विकास खण्ड हरैया में किन-किन व्यक्तियों ने वर्ष 1987 में विद्युत कनेक्शन के लिए

रुपया 25 प्रति व्यक्ति की दर से तथा किन-किन व्यक्तियों ने पम्पिंग सेट के कनेक्शन के लिए रुपया 600 प्रति व्यक्ति की दर से जमा किया ? इन्हें अब तक कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है ? इन्हें कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आजमगढ़ जिले के हरैया विकास खण्ड के ग्राम एकवन डांड में 27 व्यक्तियों (सूची संलग्न) ने 25 रुपये बत्ती, पंखा कनेक्शन हेतु जमा किया था । ग्राम का सर्वे किया गया परन्तु निर्धारित रिटर्न न आने से कनेक्शन देना सम्भव नहीं हुआ ।

पम्पिंग सेट के कनेक्शन हेतु दो व्यक्तियों श्री कफील अहमद व श्री मु0 मुजतबा ने 335 रुपये सर्विस लाइन चार्ज और 240 रुपये जमानत कुल धनराशि 575 रुपये की दर से जमा किया था । संयोजन में उपयोग होने वाले कुछ सामान आदि को उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाना है । फसल कटने के बाद उपभोक्ता द्वारा सामानों की ढुलाई एवं खम्भा आदि गड़ने के बाद कनेक्शन देना सम्भव होगा ।

(देखिए 'ज' आगे पृष्ठ 135 पर)

जनपद उन्नाव, ग्राम खड़वल के श्री दूलभ के मकान पर किए गए अवैध कब्जे के मामले में क्षेत्राधिकारी हसनगंज द्वारा की गयी जांच

81–श्री अशोक कुमार सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री दूलभ ग्राम खड़वल थाना औरासा जनपद उन्नाव का प्रार्थना पत्र भूतपूर्व सदस्य, श्री राम आसरे वर्मा के उपरिपत्र के साथ गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन व पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को दिनांक 7-4-85 को प्राप्त हुआ है, जिस में उल्लिखित श्री दूलभ के मकान को श्री मुन्नूलाल सिंह दरोगा द्वारा जबरदस्ती गांव के ही दूसरे व्यक्ति को दिलाये जाने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो क्या उन्हें मकान वापस दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उक्त मकान कब तक वापस दिला दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । शासन में संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

परन्तु प्रश्नगत मामले से संबंधित श्री दूलभ का संदर्भित पत्र पुलिस अधीक्षक उन्नाव को प्राप्त हुआ था । जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी हसनगंज से करायी गयी थी ।

प्राप्त सूचना के अनुसार विवादित मकान व भूमि तहसील अभिलेखों के अनुसार श्री नन्हा पुत्र श्री छेदा रैदास निवासी ग्राम खड़वल थाना औरास के नाम वर्ष 1973 से दर्ज है एवं उस पर उसी का कब्जा है । उक्त भूमि व मकान पर श्री दूलभ अनधिकृत कब्जा चाहते हैं । अतः श्री दूलभ को मकान वापस दिलाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला हरदोई, ग्राम पलिया के श्री भूधर के प्रार्थना-पत्र पर पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही

82—श्री अशोक कुमार सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री भूधर हरिजन ग्राम पलिया थाना सण्डीला जिला हरदोई का प्रार्थना पत्र भूतपूर्व सदस्य श्री राम आसरे वर्मा के उपरिपत्र के साथ गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन व पुलिस अधीक्षक, हरदोई को दिनांक 17-5-88 को प्राप्त हुआ है जिसमें बबूल के पेड़ को अवध सिंह द्वारा जबरदस्ती काटने व अन्य पेड़ों पर कब्जा करने के संबंध में उल्लेख है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत आरोपों के संबंध में श्री राम आसरे वर्मा पूर्व विधायक के उपरिपत्र दिनांक 12-2-88 के साथ श्री भूधर का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10-2-1988 को शासन में तथा पुलिस अधीक्षक हरदोई को प्राप्त हुआ था । 17-5-88 को नहीं ।

उक्त प्रार्थना पत्र में श्री अवध सिंह निवासी ग्राम पलिया हरदोई द्वारा प्रार्थी के पेड़ काटने का जो आरोप था जांच करने पर इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई क्योंकि उक्त पेड़ ग्राम समाज की भूमि में होना पाया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 24-8-88 को शान्ति भंग होने का अंदेशा को दृष्टिगत रखते हुये दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गई ।

जनपद हरदोई थाना कासिमपुर में श्री शिव बक्श की बन्दूक जमा कराने का औचित्य

83—श्री अशोक कुमार सिंह—

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि श्री शिव बक्श पुत्र श्री धरम निवासी गौरी फर्सुदन थाना-कासिमपुर जनपद हरदोई की बन्दूक थाना-कासिमपुर की पुलिस द्वारा दिनांक 21-1-89 को परगनाधिकारी, सण्डीला के आदेश से थाने में इस आधार पर जमा करा ली गई है कि उसने सरकारी ऋण की वसूली हेतु स्थगन ले लिया था ? यदि हां, तो यह किस नियम के अंतर्गत जमा कराई गयी है ? इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री शिव बक्श पुत्र धरम, निवासी-गौरी फर्सुदन, थाना-कासिमपुर, जनपद-हरदोई की बन्दूक शान्ति भंग होने की आशंका के कारण थाना-कासिमपुर में जमा करा ली गयी थी, न कि इसलिए कि उसने वसूली हेतु स्थगन प्राप्त कर लिया था ।

शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जमा करायी गयी थी ।

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला हरदोई, ग्राम नैरा के श्री छोटाई द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों द्वारा न्यायालय में सुलह

84—श्री राम पाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटाई हरिजन ग्राम-नैरा, थाना कछौना जिला हरदोई का प्रार्थना-पत्र भूतपूर्व सदस्य, श्री राम आसरे वर्मा के उपरिपत्र के साथ गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन व पुलिस अधीक्षक, हरदोई को दिनांक 13-7-89 को प्राप्त हुआ है जिसमें छोटई के घर के पूरब तथा पश्चिम के दरवाजे गांव के ही सरकश व्यक्तियों द्वारा बन्द करने की शिकायत का उल्लेख है ? यदि हां, तो क्या प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शिकायतों का निस्तारण स्थानीय पुलिस द्वारा करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? दरवाजे कब तक खोलवा दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री छोटई का विषयगत प्रार्थना पत्र दिनांक 5-8-88 भूतपूर्व विधायक श्री राम आसरे वर्मा के पत्र दिनांक 4-8-89 के साथ शासन में प्राप्त हुआ है ।

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी, सदर द्वारा करायी गयी । प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थी ने इसी संबंध में एक मुकदमा दीवानी न्यायालय में कर दिया था । दिनांक 10-12-89 को दोनों पक्षों ने न्यायालय में सुलह कर लिया है । अतः अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता पुलिस द्वारा नहीं पायी गयी ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला में विद्युतीकरण की मांग

85—श्री राम पाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में विकास खण्ड सण्डीला के ग्राम महमूदपुर में विद्युतीकरण हेतु शासन द्वारा 14 खम्भे लगाने की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में विद्युतीकरण कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

विकास खण्ड सण्डीला में महमूदपुर नाम का कोई ग्राम नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, ग्राम दमगढा के श्री तुलसी के प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पर कृत आवश्यक कार्यवाही

86—श्री राम पाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री तुलसी ग्राम-दमगढ़ा, ताना-कासिमपुर, जनपद-हरदोई का प्रार्थना-पत्र जिसकी प्राप्ति की सूचना तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री सईदुज्जमा के पत्रांक 3929/वी0 आई0 पी0/8 एस0 एम0 ए0/89, दिनांक 26-9-89 द्वारा पूर्व सदस्य श्री राम आसरे वर्मा को दी गयी है पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा गलियारे से अवैध कब्जा हटा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक अवैध कब्जा हटाकर गलियारे को आवागमन के लिए मुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में संदर्भित प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की जांच करायी गयी । प्राप्त सूचना के अनुसार जांच से श्री तुलसी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित उनके विपक्षियों द्वारा अपने घरों के सामने चबूतरा बनाकर व दरवाजे के सामने छप्पर डालकर आम रास्ता तंग करने के आरोप प्रमाणित हुये । स्थानीय पुलिस द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध आम रास्ता तंग करने के संबंध में दिनांक 6-2-90 को धारा 133 द0 प्र0 सं0 की रिपोर्ट परगना मजिस्ट्रेट सण्डीला के न्यायालय में की गई । वाद विचाराधीन है । न्यायालय में वाद के निर्णय के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

अचल सरोवर, अलीगढ़ के सुधार एवं सौन्दर्यीकरण की मांग

87–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ नगर के ऐतिहासिक अचल सरोवर के सुधार तथा सौन्दर्यीकरण के लिए पिछले पांच वर्षों में कितना धन स्वीकृत किया गया तथा उसमें से कितना खर्च हुआ ? क्या सौन्दर्यीकरण का उक्त कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा केवल राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों का अनुरक्षण संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण कराया जाता है । प्रश्नगत अचल सरोवर, अलीगढ़ राज्य सरकार द्वारा संरक्षित नहीं है । अतः सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा इसके सुधार तथा सौन्दर्यीकरण के लिए धन स्वीकृत करने और व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के थाना सण्डीला में कार्यरत पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण की मांग

88–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के थाना सण्डीला में कुल कितने पुलिस कर्मी कार्यरत हैं इनमें कितने पुलिस कर्मी ऐसे हैं जो एक ही ग्रामीण क्षेत्र में कई वर्षों से तैनात हैं ? क्या सरकार ऐसे सब इन्सपेक्टर तथा सिपाहियों को अन्यत्र स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद हरदोई के थाना सण्डीला में कुल 34 (चौंतीस) पुलिस कर्मी कार्यरत हैं, जिनमें से कोई भी पुलिस कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में कई वर्षों से तैनात नहीं है ।

अधिकांश पुलिस कर्मियों को गत माह के प्रारम्भ में ही ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया गया है ।

स्थानान्तरण हेतु निर्धारित न्यूनतम अवधि सीमा के पूर्व बिना किसी विशेष कारण के फिलहाल किसी पुलिस कर्मी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बंदरिया बाग, लखनऊ के कतिपय चतुर्थ श्रेणी आवासों में लैट्रिन, बाथरूम की व्यवस्था विषयक कार्यवाही

89—श्री मोहम्मद हयात—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैबिनेट गंज, बंदरिया बाग, लखनऊ में सभी चतुर्थ श्रेणी आवास सं0-सी-50, सी-40 तथा सी-27 में अभी तक लैट्रिन, बाथरूम की व्यवस्था नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त तीनों आवासों में कब तक लैट्रिन, बाथरूम की व्यवस्था कर दी जायगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित आवासों में प्रश्नगत कार्य तकनीकी कारणों से नहीं कराया जा सका ।

अब वांछित कार्य शीघ्राशीघ्र कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मुफीमुर्रहमान के निधन पर शोकोद्गार

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, बड़े दुख के साथ सदन को सूचना देनी पड़ रही है कि हमारे साथी और इस विधान सभा के भू0 पू0 सदस्य, श्री मुकीमुर्रहमान का निधन 3 मार्च, 1990 को हो गया । श्रीमन्, उनकी उम्र केवल 43 वर्ष की थी, बहुत ही अल्पायु में उनका निधन हो गया ।

श्री मुकीमुर्रहमान साहेब का जन्म 15 अगस्त, 1947 को हुआ था, यद्यपि 9वीं कक्षा तक ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी की उनको अच्छी जानकारी थी । हमारा उनसे निकट का सम्पर्क रहा है । वे वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर इस विधान सभा में निर्वाचित होकर आये थे । हमारी व्यक्तिगत क्षति इसलिए हुई है क्योंकि वे हमारे अभिन्न मित्रों मे से थे और उनकी ओजस्वी वाणी से कार्य करने में हम लोगों को सहयोग मिला करता था । खास करके अल्पसंख्यकों के बारे में, दलितों के बारे में हम सबको और इस प्रदेश को वे नई दिशा देने वालों में से थे ।

श्रीमन् †ठाकुरद्वारा निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद जनपद से वे निर्वाचित हुए थे । इससे पूर्व वे वर्ष 1971 से 1977 तक रामगंगा परियोजना राष्ट्रीय मजदूर महासंघ के महामंत्री रहे । वे मुरादाबाद में संगठन कांग्रेस के महामंत्री तथा उत्तर प्रदेश युवक सगठन के संयुक्त मंत्री रहे । इस प्रकार से सार्वजनिक जीवन से निरन्तर वे जुड़े रहे । उनके निधन से सिर्फ बिजनौर जनपद को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक दलितों,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†यह निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद जनपद में है ।

अल्पसंख्यकों तथा गरीबों के प्रवक्ता के रूप में क्षति हुई है । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारी ओर से तथा हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी तथा पूरे सदन में व्यक्त की गयी सम्वेदनाओं को भेजने का कष्ट करें ।

*नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, मा0 मुकीमुर्रहमान जी की तत्काल असामयिक व आकस्मिक निधन के समाचार को जानकर हम सभी लोग बिलकुल स्तब्ध रह गये । अभी कुछ ही दिन पहले हमारी उनसे मुलाकात हुयी, लेकिन ऐसी आशा नहीं थी कि वह हम सभी लोगों को इतनी जल्दी छोड़कर चले जायेंगे, इस बात की कल्पना भी हम लोगों को नहीं थी । मान्यवर, मुकीमुर्रहमान जी बड़े ही मेधावी कार्यकर्ता थे । वह उत्तर प्रदेश पुल निगम के अध्यक्ष के रूप में सन् 1978-79 में जबकि स्व0 बनारसी दास जी के मुख्य मंत्रित्व काल था, में रहे, बड़ी ही तत्परता से उसमें इन्होंने कार्य और काफी हद तक उस निगम को प्रगति दी । फिर काफी बोर्ड के सदस्य भी रहे । मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि इनके काफी बोर्ड में जाते ही भले ही वह दक्षिण भारत का काफी बोर्ड था, क्योंकि काफी वहीं पर अधिकतर पैदा होती है, एकांध हफ्ते ही वहां कार्य को समझा और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर वहां के लोगों में अपना एक स्थान बना लिया और जब मैं वहां गया तो वहां के लोगों ने स्वयं मुझे से इनके बारे में बताया कि आपके उत्तर भारत के एक सदस्य हैं, जिन्होंने काफी कार्य को थोड़े वक्त में समझा और काफी आगे को गति दी है, इस तरह से उन लोगों के दिल को इन्होंने जीत लिया, बल्कि उनके दिलों पर अधिकार प्राप्त कर लिया ।

मान्यवर, लगता कुछ भूलवश इनके बारे में कहा गया कि यह बिजनौर के ठाकुरद्वारा के निवासी थे, ऐसा नहीं है, ठाकुरद्वारा मुरादाबाद जनपद में है लेकिन मात्र वह जनपद मुरादाबाद के ही नहीं थे अपितु पूरे उत्तर प्रदेश के थे, हर जगह की फिक्र थी उनको, सम्भल में रहकर काफी दिनों तक कार्य किया और इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए वह आवाज उठाते रहे, गरीबों, दलितों पिछड़े वर्ग के लोगों के हित के लिए बराबर आवाज उठाते रहे और यही नहीं राम गंगा परियोजना के राष्ट्रीय मजदूर महासंघ, कालागढ़, जो मुरादाबाद के पास ही है, के महामंत्री के रूप में मेरा उनसे एक बार परिचय हुआ, उस वक्त की हुई बात चीत से मुझे अंदाजा हो गया था कि यह किस मेधावी प्रकृति के कार्यकर्ता हैं, आज इनके न रहने से हम सभी लोगों को गहरा दुख पहुंचा है । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी व हमारे दल की हार्दिक संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, भूतपूर्व विधायक स्व0 मुकीमुर्रहमान जी का हमारा साथ बहुत रहा, एक साथ ही बैठते रहे और घर भी साथ ही जाते। बहुत ही अच्छी प्रकृति व मिलनसार विधायक थे, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, इनके बारे में जो कुछ माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल ने शोकोद्गार व्यक्त किए, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं तथा भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी यह संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, माननीय मुकीमुर्रहमान साहब का जो आकस्मिक व अल्पायु में निधन हुआ, इसको सुनकर हम लोगों को हार्दिक कष्ट हुआ। इनके बारे में जो भी बातें मा0 नेता सदन तथा मा0 नेता विरोधी व डा0 जौहरी साहब ने कहीं, उससे मैं अपने आपको भी सम्बद्ध करता हूं तथा आपसे अनुरोध है कि हमारी यह संवेदनाएं इनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, माननीय स्वर्गीय मुकीमुर्रहमान साहब इस सदन के भूतपूर्व सदस्य थे, जिनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गयी और उनके इस आकस्मिक निधन से हमें और हमारे दल को गहरा दुःख हुआ है क्योंकि वह एक अच्छे कार्यकर्ता थे विभिन्न पदों पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये हैं। उनके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य माननीय नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की सम्वेदनायें शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने जो शोक संवेदनायें श्री मुकीमुर्रहमान जी के निधन पर व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राजधारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य सम्मानित नेताओं ने जो उद्गार श्री मुकीमुर्रहमान जी के निधन पर व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। आज बड़े दुख की बात है कि श्री मुकीमुर्रहमान हमारे बीच में नहीं रहे। वह एक नवयुवक सामाजिक कार्यकर्ता थे और दलित वर्ग से सम्बद्ध थे और 43 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। श्री मुकीमुर्रहमान जी 1977 में मेरे साथ इसी सदन के सदस्य रहे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं और उनके साथ उनके क्षेत्र में उनके कार्य क्षेत्र-कालागढ़ में–जहां पर वह यूनियन का काम करते थे, जाने का अवसर मिला। बहुत कम ऐसे श्रमिक नेता मिलते हैं, जो 24 घण्टे जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके कल्याण की चिन्ता रखते हैं। वह लखनऊ में सचिवालय में मंत्रियों के पास–अपने क्षेत्र या यूनियन के लिए कुछ न कुछ बात करते हुए मिलते थे। जब वह काफी बोर्ड के सदस्य हुए और मुझे एक दिन यू0 पी0 भवन दिल्ली में मिल गये–तो बताया कि वर्तमान नेता विरोधी दल ने उन्हें काफी बोर्ड का सदस्य बनाया है, तो मुझे काफी पिलाने जबरदस्ती ले गये। काफी बोर्ड में उन्होंने अपनी धाक जमा ली थी और उसमें जितना उत्पादन कर दिया था, उससे आशा की लहर दिखाई पड़ रही थी कि उनके अध्यक्ष बनने से काफी के एक्सपोर्ट में काफी मदद मिलेगी। जब उनकी मृत्यु का हमें समाचार मिला तो हम स्तब्ध रह गये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य दलों के नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनको निश्चित रूप से उनके परिवार तक और उनके क्षेत्र और यूनियन में जहां वह कार्य करते थे, तक पहुंचा दूंगा। सभी से निवेदन है कि दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।)

व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी व्यवस्था कहां से आ गयी ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैंने लिखकर भी दिया है। मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

इस मद के उपरान्त।

श्री उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा विधान सभा के नव-निर्वाचित उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान को बधाई

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है कि आज का दिन उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए नियत किया गया है। नियमानुसार नाम-निर्देशन-पत्र दिनांक 6 मार्च, 1990 के मध्याह्न

12-00 बजे के पूर्व तक आ जाने चाहिए थे। उक्त अवधि के अन्दर जो नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं उनका विवरण इस प्रकार है :—

क्र0सं0 नाम निर्देशित अभ्यर्थी	प्रस्तावक	समर्थक
1—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	मुलायम सिंह यादव	कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी
2—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	श्री नारायण दत्त तिवारी	श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना
3—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	श्री राम औतार दीक्षित	श्री विनोद कुमार चौधरी
4—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	श्री कल्यान सिंह	डाक्टर दिनेश जौहरी
5—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	श्री सुलेमान	श्री मोहम्मद उल्लाह
6—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	श्री रामचन्द्र बख्श सिंह	श्री राज किशोर सिंह

उक्त नाम-निर्देशन-पत्रों में एक ही नाम का प्रस्ताव है। अतः प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 9(4) के अनुसार इस निर्वाचन के लिए औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं है और मैं श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान को उपाध्यक्ष पद के लिए सर्व सम्मति से निर्वाचित किये जाने की घोषणा करता हूं।

("अवतरित कराइये" की आवाजें)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान जी मेरे अभिन्न साथी रहे। आपका जन्म 2 जनवरी, 1944 को अलीगढ़ में हुआ और क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ से वे चुनकर आते रहे। सन् 1974 के निर्वाचन में आप प्रथम बार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1980 में, मार्च, 1985 में तथा नवम्बर, 1989 के सामान्य निर्वाचन में चौथी बार वे विधान के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। राजनीतिक आन्दोलन में आप चार बार (1977, 1979 तथा 1980 में) जेल गये। दो बार लखनऊ तथा दो बार अलीगढ़ कारागार में बन्दी रहे। विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, प्रतिनिहित विधायन समिति तथा संसदीय शोध, संदर्भ एवं अध्ययन समिति के सदस्य रहे हैं। विद्यार्थी जीवन काल में वाद-विवाद प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। आप 13-3-85 से 24-9-85 तक ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, 21-1-86 से 24-6-88 तक गृह तथा न्याय राज्य मंत्री तथा 31-7-88 से नवम्बर, 1989 तक शिक्षा राज्य मंत्री रहे।

समाज सेवा, कृषि तथा ग्रामोत्थान में आपकी विशेष रुचि है और सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन तथा मुशायरा आदि से विशेष लगाव है। मुझे स्वयं इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान को सर्व सम्मति से इस विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। उनकी लोकप्रियता के बारे में मुझे स्वयं जानकारी है। मैंने अलीगढ़ में देखा कि उनकी लोकप्रियता एक असाधारण जनसेवी के रूप में है। इसके अतिरिक्त

विधान सभा सदस्य के रूप में, मंत्री के रूप में उत्तर देने में जो आपका अनुभव है मैं समझता हूं कि उनके इस अनुभव का बहुत बड़ा लाभ इस सदन को मिलेगा। मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूं।

अब मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल, अन्य नेताओं से कहूंगा कि इस सदन के अन्दर जहां कहीं माननीय सुरेन्द्र सिंह चौहान जी हों उन्हें ढूंढ कर यहां लाने का कष्ट करें।

(संसदीय कार्य मंत्री और नेता विरोधी दल द्वारा श्री उपाध्यक्ष को पीठ पर लाये जाने पर मेजों की थपथपाहट)

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर नवीनर्वाचित उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पीठासीन हुए।)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, विधान सभा के इस अतिमहत्वपूर्ण पद पर आपके निर्वाचित होने पर हमें और हमारे दल को तथा पूरे सदन को अतिहार्दिक प्रसन्नता है। श्रीमन्, हमें पूरा विश्वास है कि आप जैसे अनुभवी संसदीय ज्ञाता के रूप में इस पद पर सुशोभित होने से संसदीय मर्यादाओं का न सिर्फ परिपालन होगा बल्कि उत्तरोत्तर जो इस सदन की गरिमा रही है उसमें वृद्धि होगी। श्रीमन्, आपने विधान सभा की विभिन्न समितियों में काम करके यह साबित कर दिया है कि हर जोखिम उठाकर संसदीय मर्यादाओं का अनुपालन होना चाहिए। इस पद पर आप जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के सर्वसम्मति से निर्वाचित होने से इस पद की मर्यादा बनी है। श्रीमन्, वर्ष 1974 में हम और आप पहली बार इस सम्मानित सदन में आये और तबसे हमारे और आपके बीच निकट का सम्पर्क है।

आपके अनुभव के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। मंत्रि मंडल के सदस्य के रूप में, विधान सभा की समितियों में कार्य करने और अन्य क्षेत्रों में जो आपने सराहनीय कार्य किये हैं उससे मुझे पूरा विश्वास है कि इस पद पर आप उन सभी अनुभवों से प्राप्त ज्ञान का पूरा लाभ हम सभी लोगों को और पूरे सदन को देंगे। हम अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो सदन की मर्यादा है, जो लोकतांत्रिक मर्यादायें हैं जो संसदीय परम्परायें हैं उनके परिपालन में हमारा आपको पूरा सहयोग रहेगा और जैसे कि इस सदन की मर्यादा रही है कि यह देश की जितनी भी विधान सभायें हैं उनमें यह सबसे बड़ी विधान सभा का सबसे बड़ा सदन है, आपके इस पद पर बैठने से जो नई संसदीय परम्परायें बनी हैं उनका अनुपालन पूरा देश करता है। विरोध पक्ष के लोग हों चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों सभी का कर्तव्य है कि जबतक संसदीय परम्परायें और लोकतांत्रिक मर्यादायें नही रहेंगी तो जो हमारी व्यवस्थायें हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है इसलिए उनको अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी ओर से आपको पूरा सहयोग रहेगा। मुझे विश्वास है कि आप जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के इस पद पर आसीन होने से हम सबको बल मिलेगा बल्कि यह विधान सभा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भविष्य में अच्छी परम्पराओं के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी । इन शब्दों के साथ, मैं आपको पुनः बधाई देता हूं कि आप इस पद पर शोभायमान हुये। धन्यवाद ।

*नेता विरोधीदल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

सम्मानित उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा हर्ष है कि आज यह सुअवसर मिला है कि इस महत्वपूर्ण पद पर आप सर्वसम्मति से निर्वाचित हुये और पार्लियामेन्टरी पद्धति की प्रक्रिया के प्रति आपने जो निष्ठा अपने प्रथम निर्वाचन काल से 1974 से आजतक लगातार दिखाई है उसका प्रतिबिम्बन, उसका कार्यान्वयन आज उपाध्यक्ष के पद पर पदारूढ़ होकर देखने को मिला इसकी हमें हार्दिक प्रसन्नता है । मैंने आपको पिछले वर्षों में इस सदन में भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्वों को निर्वहन करते देखा है चाहे वह सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सदस्य के रूप में हो चाहे वह प्रतिनिहित विधायन समिति के सदस्य के रूप में हो और चाहे संसदीय शोध एवं संदर्भ अध्ययन समिति के सदस्य के रूप में हो, यह तीनों समितियां ऐसी हैं जिनका पार्लियामेन्टरी पद्धति और प्रक्रिया बनाने में योगदान रहता है । इन तीनों समितियों में प्राप्त अनुभव और और विशेषकर प्रतिनिहित विधायन समिति में विधायन और विधेयक जो पास होते हैं उसमें नियम ठीक से बने हैं कि नही, देखा जाता है जिससे आप सम्बद्ध रहे संसदीय शोध संदर्भ एवं अध्ययन समिति, तो ऐसी समिति रही है जो संसदीय मर्यादाओं का परम्पराओं का विश्वव्यापी अध्ययन किया करती है। इन तीनों कमेटियों के आप सदस्य रहे हैं । यह जो पठन-पाठन के प्रति आपकी रुचि है, उसका भी प्रतीक रहा है । मुझे याद है कि आप इस संसदीय शोध समिति का सदस्य होने का आग्रह लेकर मेरे पास आए थे, और मैं उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ था कि संसदीय शोध के बारे में आपको कितनी प्रगाढ़ रुचि है ? प्रश्नोंतर काल में भिन्न-भिन्न विभागों की ओर से उत्तर देते समय आपने जो शालीनता बरती है और जिस गम्भीरता से और सौजन्यता पूर्ण ढंग से प्रत्येक कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर दिया, उसकी भी छाप समय-समय पर इस विधान सभा में रही है। मुझे विश्वास है कि इस अध्ययनशीलता और ज्ञानोपार्जन के बीच और किसी भी विभाग का उत्तर देने की गम्भीरता और योग्यता, तथा उनकी सौजन्यता उनकी सहायक होगी और इस सदन के गुरुतर कार्यभार को चलाने में आपको सहयोगी होगी ।

उपाध्यक्ष पद का बड़ा महत्व है। हमारी नियमावली के अनुसार जो विशेषाधिकार समिति है तथा अन्य कई समितियां हैं, जिनके पदेन सभापति आप होते हैं, मुझे विश्वास है इन सभी कमेटियों के गुरुतर कार्यभार को आप सुचारू रूप से निभायेंगे और इसमें हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा । यह ऐसी स्थिति हमेशा रहेगी, इसका मुझे विश्वास है। मैं फिर एक बार आपको हार्दिकतम बधाई देता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए । मुझे विश्वास है कि आपके इस उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए इस विधान सभा की कार्यवाही नियमानुसार चलेगी और साथ ही साथ जो विधान सभा के निर्णय हैं वे मुखरित होकर जन-जन के स्वर बन कर इस विधान सभा के कार्य को सुचारू रूप से करने में सक्षम होंगे ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के इस सबसे बड़े प्रदेश की विधान सभा के सर्व-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्मति उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं । मान्यवर, इस गरिमामय पद पर आपके आसीन होने से मैं और मेरा दल यह अपेक्षा करता है कि सदन के संचालन में, उसको सुव्यवस्थित रखने में आप अपनी योग्यता, प्रतिभा और कुशलता का अच्छा परिचय देंगे और तद्नुसार इस सदन का संचालन करेंगे। आशा है कि आपकी निष्पक्षता द्वारा यह सदन व्यवस्थित रूप से संचालित होगा। मान्यवर, यह विधान सभा जिसकी ओर प्रदेश की 12 करोड़ जनता की निगाहें लगी रहती हैं, इस प्रकार से संचालित हो सके कि व्यवस्थित रूप से यहां पर आने वाले विधायक अपनी बात कह सकें और उनको अपनी बात कहने के लिए अवसर मिल सके, इसे आपकी गरिमामय पीठ से यह अवसर हम सबको सुलभ हो और इस अवसर को देने में किसी प्रकार का अन्याय न हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी इस पीठ से इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा । मान्यवर, आपके सर्वसम्मत निर्वाचित होने से यह सिद्ध है कि सभी ने आपमें विश्वास प्रकट किया है आप हम लोगों से अच्छी तरह परिचित हैं और काफी लम्बे समय का कार्य संचालन का आपका इस सदन का दीर्घकालीन अनुभव है। मैं पुनः आपको बधाई देते हुए और स्वागत करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा भी इस विश्वास की रक्षा करते हुए हमें हर तरह का सरंक्षण प्राप्त होगा, जिससे हम लोग अपने कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की कोताही न कर सकें । अन्त में पुनः मैं एक बार अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के लिए बधाई देता हूं ।

*श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सर्वसम्मति आपके चुने जाने पर मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपके कार्य संचालन में मेरा और मेरे दल का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहेगा । मैं आपको लम्बे अर्से से जानता हूं । मैंने विभिन्न रूप में आपको कार्य करते हुए देखा है । माननीय मंत्री और माननीय सदस्य के रूप में आपको इस सदन की गरिमा बनाए रखते हुए, कार्य करते देखा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मेरा और मेरे दल का पूरा सहयोग मिलता रहेगा ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, आपके निर्विरोध चुनाव पर, जिस पीठ पर आप बैठे हैं उसके लिए जो हुआ है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की ओर से आपको बधाई देता हूं । मान्यवर, आप बहुत पहले से हम लोगों से परिचित हैं । आपका व्यवहार एवं आचरण बहुत संतोषजनक रहा है । आप शिक्षा एवं न्याय राज्य मंत्री भी रहे हैं । ऐसे गरिमामय पदों पर आप आसीन रहे हैं । हमें तथा हमारे सदन को यह आशा है कि आपसे न्याय मिलेगा । आपकी पीठ से संसदीय प्रणाली और संसदीय मूल्य जो हैं, लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं, जो हर सदस्य को मिलने चाहिए, वह आपकी पीठ से बराबर मिलते रहेंगे । मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने उपाध्यक्ष काल में ऐसे कार्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेंगे जो हमारी विधान सभा की कार्यवाही में ऐतिहासिक कार्यवाही के रूप में देखे जायेंगे और मुझे विश्वास है आपकी पीठ से हर सदस्य के अधिकार सुरक्षित रहेंगे । उनको हमेशा आपका संरक्षण प्राप्त होता रहेगा । उनको अपने विचारों को रखने में हमेशा स्वतन्त्रता रहेगी । आपकी पीठ से कभी पक्षपातपूर्ण कार्यवाही नहीं होगी । मैं अन्त में अपने दल की ओर से आपका अभिनन्दन करता हूं, आपको बधाई देता हूं ।

*श्री शिवराज सिंह कुशवाहा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं अपनी तथा अपनी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपके निर्विरोध चुने जाने पर आपको बधाई देता हूं । मान्यवर, मैं आपका ध्यान नवनिर्वाचित सदस्यों की तरफ ले जाना चाहता हूं मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो सदन में नये सदस्य चुनकर आए हैं आपकी तरफ से उनको भी बोलने का अपनी बात कहने का बराबर मौका मिलना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको सहयोग करता रहूंगा।

*श्री राजधारी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की विधान सभा देश की सबसे बड़ी विधान सभा है यह सबसे बड़ा प्रदेश है और यह प्रदेश बड़ी कठिनाई व पिछड़ेपन से जूझ रहा है । उत्तर प्रदेश के गांव में गरीब लोग रहते हैं जिनके सामने तमाम समस्यायें हैं जिनको आपको सुनना होगा, सरकार को सुनना होगा और सही नतीजे पर पहुंचना होगा, इसमें हम आपको सहयोग करेंगे, आपके राजनैतिक जीवन के बारे में जो जानकारियां हमें मिली हैं उससे हमें आशा बंधती है कि आप अपनी पीठ से हमेशा न्याय करेंगे और जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि नये सदस्य जो विधान सभा में चुनकर आये हैं उनकी क्षेत्र की समस्या पर, पूरे प्रदेश की समस्या पर विचार करेंगे । आपके उपाध्यक्ष चुने जाने पर आपको अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं । हमारा तथा हमारी पार्टी का सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

सम्मानित नेता सदन, सम्मानित नेता विरोधी दल, सम्मानित नेता भारतीय जनता पार्टी, सम्मानित नेता सी0पी0आई0, सम्मानित नेता बहुजन समाजवादी पार्टी, सम्मानित नेता जनता पार्टी (जेपी) और सभी परम सम्मानित सदन के सदस्यगण, मैं सम्पूर्ण सदन के सभी सम्मानित सदस्यों, सभी दलों के सम्मानित नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस मेरे जीवन के ऐतिहासिक अवसर पर आपने मुझे बड़ा सम्मान दिया है और इस ऐतिहासिक तथा भारतवर्ष के सबसे बड़े सदन के उपाध्यक्ष के पद का भार मुझ पर सौंपा गया है। जो शब्द माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने और सम्मानित नेता विरोधी दल ने और अन्य दलों के सम्मानित नेताओं ने मेरे लिए कहे, मैं उन शब्दों के योग्य अपने को नहीं पाता हूं, मेरे लिए ज्यादा ही कुछ कह दिया गया, फिर भी मैं इस सम्मानित सदन में नतमस्तक होता हूं और यह सभी सम्मानित नेताओं को, सभी सम्मानित सदस्यों का आश्वासन देता हूं कि मेरा यह प्रयास होगा कि जो भावनायें सम्मानित नेताओं ने सम्मानित सदन में मेरे प्रति व्यक्त की मैं उन संसदीय परम्पराओं, संसदीय गरिमा और संसदीय मर्यादा के प्रति जागरूक रहूं और निष्पक्ष भाव से उनका निर्वहन करूं, यह मेरा सतत् प्रयास होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे नेता बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि नये सदस्यों का खासतौर से ध्यान रखा जाय । मेरा यह प्रयास होगा कि जो नये सम्मानित सदस्य चुनकर इस सम्मानित सदन में आये हैं उनको समय मिले, उनको अधिक समय देने का मेरा प्रयास होगा ।

मेरा सभी सम्मानित सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी का सहयोग मुझे मिलता रहे क्योंकि यह बहुत ही दुरूह और कठिन काम है सदन को चलाना । ब-हैसियत सदन के एक सदस्य के, मैंने स्वयं देखा है कि कभी-कभी बड़ा कठिन हो जाता है, निर्णय करना और निर्णय लेना और कभी-कभी कुछ सम्मानित सदस्यों के मन में शंका भी पैदा हो जाती है लेकिन मैं यह पुनः सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा यह प्रयास होगा कि मैं बड़े ही निष्पक्ष भाव से इस सम्मानित सदन की सेवा करूं । जैसा कि परम सम्मानित नेता विरोधी दल ने कहा कि इस प्रदेश की जन आकांक्षाओं के अनुरूप, प्रदेश की समस्याओं के अनुरूप और हालात को देखते हुए आप निर्णय करेंगे, तो मेरा यह प्रयास होगा कि सम्मानित सदन के समक्ष मैं इस योग्य और इस तरह का साबित होऊं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 लेता हूं । आज दिनांक 7 मार्च, 1990 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 65 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 माननीय सदस्यों की सूचनाएं नियमानुकूल न होने के कारण अस्वीकार की गयीं, जिनके नाम निम्नवत् हैं:--

1–श्री छोटे लाल,
2–श्री बदन सिंह,
3–डाक्टर दिनेश जौहरी,
4–डाक्टर सरजीत सिंह डंग,
5–श्री श्याम बिहारी सिंह,
6–श्री नेमपाल सिंह,
7–श्री अकबर हुसैन बाबर ।

शेष 58 सूचनायें स्वीकार की गयीं । इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र बारा में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम दुलारे सिंह–

[महोदय, जनपद इलाहाबाद में बारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड शंकरगढ़ व जसरा में नागरिकों को पीने का पानी का संकट सदैव से रहा है । गर्मी के दिनों में शासन के अनेक गांवों में प्रति वर्ष ट्रैक्टरों से पानी देना पड़ता है, लेकिन उन गांवों में पीने के पानी की स्थायी रूप से व्यवस्था अब तक नहीं की गयी है । गर्मी के दिन पुनः आ रहे हैं और पीने के पानी का भारी संकट प्रारम्भ हो गया है ।

नोटः–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्नों को आप तथा सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस संबंध में तत्काल पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करे ।]

लखनऊ, फैजाबाद एवं गोरखपुर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा कथित रूप से भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यशवन्त–

[महोदय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद गोरखपुर वि0 वि0 गोरखपुर में कुलपतियों द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार के विरुद्ध वहां के छात्र आन्दोलित हैं तथा 5-3-90 को उपरोक्त विश्वविद्यालय के छात्रों ने इन कुलपतियों के भ्रष्टाचार को जनता एवं शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जी0 पी0 ओ0 पार्क में धरना दिया था । पुनः दिनांक 20-3-90 को वहां के छात्रों को प्रदेश की रैली लखनऊ में निकलने जा रही है ।

इन कुलपतियों के भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग एवं मनमानी से तीनों विश्वविद्यालयों के परिसर के अन्दर छात्रों में आक्रोश व्याप्त हो गया है । अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग कर रहा हूं कि उपरोक्त कुलपतियों को तत्काल सेवा से निवृत्त कर छात्रों द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच की जाय ।]

सरयू नहर खण्ड-उथाना कलगी बहराइच के अन्तर्गत लकड़ी स्केप चैनल के निर्माण कार्य में घोर अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिव करन सिंह–

[महोदय, जनपद बहराइच में अधिकारियों की स्वार्थ लिप्सा के कारण लकड़ी स्केप चैनल के प्राविधिक दृष्टि से गलत निर्माण कार्य को पूर्व नियोजित ढंग से प्रारम्भ कराया गया जिससे इस पर सरकार द्वारा खर्च किया गया लगभग 35 लाख रुपया बेकार हो गया है तथा इस चैनल के न बनने के कारण बरसात में संबंधित इमामगंज शाखा के किसी भी समय फट जाने की आशंका से यहां के नागरिकों को भय व्याप्त है । चैनल की खुदाई हेतु ठेकेदारों से अनेकों अनुबन्ध किये गये फिर भी अधिकारियों के द्वारा जान बूझ कर भूमि का मुआविजा न बांटने के कारण काश्तकारों ने कार्य नहीं करने दिया जिससे चैनल पर डिवाटरिंग हेतु कराई गई लगभग 5 लाख रु0 की बोरिंग भी अनुपयोगी हो गयी । इस चैनल पर कुछ अनुबन्धों के अन्तर्गत कराया गया मिट्टी का कार्य एवं बनायी गयी डिवाटरिंग ड्रेन, जल भराव की जमीन होने एवं काफी मिट्टी काश्तकारों के पुनः बराबर कर देने से इस पर खर्च किया गया सरकारी धन भी बेकार हो गया । तत्पश्चात् योजनाबद्ध तरीके से संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा उक्त चैनल की एवं इसी पर पी0 आर0 वी0 कम फाल की बोरिंग को उखड़वा कर बेच लिया गया, फिर भी विभाग द्वारा न तो कोई कार्यवाही की गई और न ही कोई एफ0 आई0 आर0 ही दर्ज कराई गई अपितु बिना किसी आधार के

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अनुचित ढंग से संबंधित निर्दोषी ठेकेदारों के अवशेष भुगतानों को बिना कोई कारण बताये संबंधित खण्ड में एवं अन्य खण्डों में रोक लिया गया । अब चूंकि समूचे प्रकरण की सच्चाई सामने आ गयी है तो अपने बचाव के लिए संबंधित अधिकारी, उक्त रोके गये ठेकेदारों के धन को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार दाल के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं । इस प्रकरण से सीधे जुड़े हुए पूर्व अधिशासी अभियंता जिनकी नियुक्ति इस समय परिकल्प लखनऊ में है परन्तु उच्चाधिकारियों की मेहरबानी से जांच सेल में बैठते हैं तथा अपने गुनाहों पर परदा डालने के लिए वहां के अधिकारियों के द्वारा मुख्य अभियन्ता सरयू को पत्र लिखवाते हैं कि जो क्षति शासन की हुई है उसे उपरोक्तानुसार रोके, ठेकेदारों के धन से कर ली जावे जिससे कि जन असन्तोष व्याप्त है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर प्रभावी कार्यवाही हेतु माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।]

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन की इकाई बिनको जनपद बदायूं में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री शिवराज सिंह चौहान–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्व पूर्ण सूचना लाना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन की इकाई "बिनको" बदायूं में विगत वर्षों में 3 करोड़ से अधिक घाटा हुआ है किन्तु केवल वर्ष 1988-89 तक एक करोड़ की जो हानि हुई उससे प्रदेश कोआपरेटिव संगठन पर घातक असर पड़ने के साथ-साथ सहकारिता पर से ही विश्वास उठ रहा है। अतएव मेरा स्पष्ट मांग है कि उक्त हानि की जांच कराकर दायित्व निर्धारित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जाय जिससे सहकारिता को बल मिल सके ।]

जनपद गाजीपुर में ओलावृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान जनपद गाजीपुर में दिनांक 17/18 फरवरी, 1990 की रात्रि को हुयी भीषण ओलावृष्टि की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं जिसमें विधान सभा क्षेत्र जमानियां में भारी क्षति हुई, जिसमें किसानों की पूर्णतया फसलें, मकान ध्वस्त हो गये, जानवर मरे तथा कहीं-कहीं लोगों को चोटें भी आयी हैं । इस ओलावृष्टि से लोग तबाह हो गये हैं । तरह-तरह की बीमारियां फैल गयी हैं। यहां का जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारों ओर से तबाही-तबाही ही नजर आ रही है। जिला प्रशासन समुचित राहत पहुंचाने में असफल हो रहा है। इस कारण वहां की जनता में भारी रोष एवं आक्रोष व्याप्त हो गया है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि किसानों की फसलों का मुआवजा, मकान की मरम्मत हेतु क्षतिपूर्ति दिलाने, सरकारी मालगुजारी माफ करने सिंचाई आदि माफ किये जाने की मांग करता हूं ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बुलन्दशहर के कस्बा स्याना से खानपुर जहांगीराबाद मार्ग को पेंटिंग स्तर तक बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के विषय के सन्दर्भ में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्याना कस्बा जनपद बुलन्दशहर में एक नव तहसील स्थापित की है, सावजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपरोक्त तहसील से सम्पर्क करने वाले लगभग 50 ग्रामों की जनता की यातायात सुविधा हेतु स्याना से खानपुर से जहांगीराबाद मार्ग पर 23 कि0 मी0 के खड़ंजे की सड़कों का निर्माण कराया है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण मेरठ ने इस रूट का क्लासीफाई करके 20 बस परमिट स्वीकृत किये हैं। बसें इस खड़ंजे मार्ग पर संचालित हैं इस मार्ग के महत्व को देखते हुए माननीय भू0 पू0 मुख्य मंत्री ने 23 जुलाई, 1989 को जन सभा में घोषणा की थी कि राज्य सेक्टर से उपरोक्त मार्ग का पेन्टिंग स्तर तक निर्माण करा दिया जायेगा।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि लगभग 50 ग्रामों की जनता की सुविधा हेतु स्याना खानपुर, जहांगीराबाद मार्ग जो 23 कि0 मी0 की0 लम्बाई का है राज्य सैक्टर से पेंटिंग तक तत्काल निर्माण कराने के निर्देश सरकार को देने का कष्ट करें]

लखनऊ जनपद के ग्राम जलालपुर, शिवपुरी आदि में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शारदा देवी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय महत्वपूर्ण सूचना की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। ग्राम जलालपुर, शिवपुरी, मर्दनखेड़ा, पो0, राजाजीपुरम जनपद लखनऊ में पानी की टंकी न होने के कारण पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। उक्त ग्राम में सरकारी हैण्ड पाईप अवश्य लगे हैं परन्तु वह भी अक्सर खराब रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट हैण्ड पाईप लगे हैं उनमें से 80 से 100 फिट तक की बोरिंग कराने के बावजूद भी पानी नहीं मिलता है।

अतः शासन से मांग करता हूं कि जनता की परेशानी को देखते हुए उक्त क्षेत्र में जल के संकट को दूर करने के लिए यथाशीघ्र एक टंकी का निर्माण कराने का कष्ट करें।]

जनपद अल्मोड़ा में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की गृह विज्ञान की परीक्षा में एक ही केन्द्र पर सोलह सौ परीक्षार्थियों को बुलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्रीमती सरस्वती तिवारी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना लाना चाहती हूं कि क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली द्वारा अल्मोड़ा जनपद में हाईस्कूल गृह विज्ञान के 1600 परीक्षार्थियों की

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रयोगात्मक परीक्षा 1990 के लिए एक ही परीक्षा केन्द्र आर्य कन्या इण्टर कालेज, अल्मोड़ा बनाया गया जबकि बोर्ड के मानकों के अनुसार एक परीक्षक मात्र 40 परीक्षार्थियों की परीक्षा एक दिन में ले सकता है। चूंकि अल्मोड़ा जनपद में पिछले दिनों भारी वर्षा कड़ी सर्दी, भारी हिमपात तथा ओलावृष्टि के कारण कई रास्ते अवरुद्ध हो गये थे, जिसके फलस्वरूप सारे जनपद की बालिकायें एक ही केन्द्र पर दिनांक 1 से 4 मार्च, 1990 तक परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं हो सकीं ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा की गई इस व्यवस्था से परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों तथा संबंधित विद्यालयों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है तथा 150 कि0 मी0 से भी अधिक दूरी से बालिकाओं को पहली बार परीक्षा देने के लिए अल्मोड़ा मुख्यालय पर आने के निर्देश दिए गये हैं।

अतः अनुरोध है कि सरकार प्राकृतिक प्रकोपवश अनुपस्थित परीक्षार्थियों की परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए यथा शीघ्र संबंधित विद्यालयों में परीक्षक नियुक्त कर परीक्षा सम्पन्न करायें तथा इस हेतु आवश्यकता पड़ने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिकृत कर दिया जाय ।]

जनपद बरेली में डाम से बिना पूर्व सूचना के किच्छा नदी में पानी छोड़ने से किसानों के फसलों की क्षति होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री मंजूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि जनपद बरेली में तहसील बहेड़ी में किच्छा नदी के किनारे सैकड़ों किसान सब्जी, खरबूजे तरबूज की खेती किच्छा नदी के किनारे करते हैं । यह खेती उनकी जीविका का मूल साधन है और हर वर्ष यही खेती करके यह किसान अपना पालन-पोषण करते हैं । इस वर्ष पहली बार डाम का पानी अनावश्यक रूप से छोड़ दिया गया ।

यह भी कहा जाता है कि डाम अधिकारियों ने मछली वालों से पैसा लेकर डाम का पानी किच्छा नदी में छुड़वा दिया जिससे किव्सानों क कई लाख रुपये की फसल की क्षति हुई और सैकड़ों परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से सदन के इलम में लाते हुए तत्काल सरकार से मांग करता हूं कि फसलों की क्षति का सर्वे कर पूर्ण रूप से जांच कराकर मुआवजा दिलाया जाये ।]

जनपद देवरिया में यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के केन्द्र देवरिया के गोडाउन कीपर द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अर्जुन सिंह यादव–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन केन्द्र देवरिया के तत्कालीन गोडाउन कीपर जिनको गम्भीर भ्रष्टाचार में देवरिया से तत्कालीन माननीय सहकारिता

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मंत्री के निर्देशों से दण्डात्मक रूप से हटाया गया था इसकी शिकायत स्थानीय विधायक एवं केन्द्र के तत्कालीन प्रभारी ने किया था, को गन्तव्य स्थान पर न भेजकर क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में रोकर देवरिया केन्द्र से ही अटैच कर दिया गया जिससे उनके भ्रष्टाचार में कोई परिवर्तन नहीं आया साथ ही इन्होंने लखनऊ से देवरिया लखनऊ मार्ग भत्ते आदि में निगम की काफी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं ।

इसके साथ ही देवरिया में पी0ए0एफ0 केन्द्र बोरे के रिवैंगिंग का ठेका फर्जी नाम पर लेकर स्वयं अपने कराते हैं, क्योंकि जिस नाम से ठेका है वह व्यक्ति देवरिया में रहता ही नहीं है । ठेकेदारी इनके एक भाई जो लगभग 12 वर्षों से देवरिया जनपद में वेयर हाउस में ही कार्यरत हैं ।

अतः मैं मांग करता हूं कि अविलम्ब इनकी जांच करें तथा इनको लखनऊ केन्द्र से गन्तव्य स्थान हेतु कार्य मुक्त किया जाय ।]

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खण्डर से फतेहपुर तक के मार्ग के बाई पास के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

[मान्यवर, जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जलालाबाद के ग्राम खण्डर तक जिला बरेली फतेहगंज पूर्वी 40 कि0मी सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क बनाना है, जो ग्राम गढ़िया रंगी तक बन चुकी है और बसें भी चल रही हैं किन्तु ग्राम गढ़िया रंगी में बाई पास न बनने से गत दो वर्ष से सड़क का निर्माण रुका हुआ है बाई पास बनना वर्ष पूर्व स्वीकृत हो चुका है किन्तु निर्माण न होने से जनता दुखी है । इस पिछले क्षेत्र के ग्रामीण भाई अत्यन्त परेशान हैं और आवागमन की सुविधाओं से वंचित हैं ।

अतः इस बाई पास का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में तत्काल कराया जाय ।]

जनपद बाराबंकी के ग्राम मेहदिया में एक सिपाही तथा एक होमगार्ड सिपाही की हत्या के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

[मान्यवर, जनपद बाराबंकी के सुनेहा थाना के अन्तर्गत मेंहदिया गांव सभा के प्रधान के घर पर 3-4 फरवरी 1990 की रात में एक सिपाही व एक होमगार्ड की सुनियोजित हत्या कर दी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा सत्ता के कुछ राजनीतिक लोगों के दबाव में अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज तक कोई कार्यवाही न करने के कारण पुलिस कर्मियों के साथ ही सामान्य नागरिकों में भी दहशत की लहर फैलने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि अपराधी खुले आम घूम रहे हैं ।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रकरण पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उच्च स्तरीय जांच करके अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ महानगर के सिविल अस्पताल में आंखों के उपचार में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अरुण कुमार–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर लाना चाहता हूं कि वर्ष 87-88 से अब तक सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ में आंख उपचार में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों की शिकायतें गरीब कमजोर वर्ग के आंख से पीड़ित मरीजों की आंखें धन के प्रलोभन और फीस के न पाने के कारण लापरवाही करके खराब कर दी गयी है तथा विशेष रूप से अनुसूचित जाति के मरीजों की आंखें फोड़ दी गई हैं उदाहरण स्वरूप श्री शिवदेनी पुत्र सखरज ग्राम फरहदा उर्फ पूरा बलिया तथा श्री राम अवध, चौकीदार, दारुलशफा-ए ब्लाक, एक महिला, जाति धोबी, जियामऊ, श्री कालिका सिंह, सेवा निवृत्त कर्मचारी, राज्य सम्पत्ति, लखनऊ का नाम उल्लेखनीय है। इस तरह इस प्रकार से आज नियम विरुद्ध 5-6 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत डा0 वी0 कुमार गुप्त एवं डा0 आर0 एम0 सिंह, सिविल अस्पताल के नेत्र उपचार करने वाले डाक्टरों के द्वारा किया जा रहा है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न को गम्भीरता से स्वीकार करते हुए उक्त दोनों डाक्टरों को तत्काल हटाकर वर्ष 87-88-89 तक आंख का आपरेशन किये गये सभी मरीजों की लिस्ट मंगाकर मेडिकल बोर्ड से शीघ्र जांच कराने की कृपा की जाय और उक्त पीड़ित व्यक्तियों को क्षति पूर्ति देते हुए संबंधित दोषी डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर में मड़ियाहूं तहसील मुख्यालय पर बाई पास निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सावित्री देवी–

[मान्यवर, मैं, जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं तहसील मुख्यालय पर बाई पास मार्ग न होने से उत्पन्न स्थितियों के बारे में आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं।

तहसील मुख्यालय के व्यस्ततंग मार्गों पर बस, जीप तथा यातायात के अन्य साधनों के आवागमन, दुकानों और उस पर आने वाली भीड़, कोतवाली तथा कचेहरी में आने वाली भीड़ तथा इन्टरमीडिएट कालेज, डिग्री कालेज, जूनियर हाई स्कूल के छात्रों का आवागमन होने के कारण मड़ियाहूं म–ख्यालय बाजार में आये दिन घंटों-घंटों रास्ता जाम रहता है, दुर्घटनायें होती रहती हैं तथा आये दिन संघर्ष की नौबत बनी रहती है। दिन भर में दर्जनों बार रास्ता जाम और दर्जनों छोटी-बड़ी दुर्घटना हो जाया करती है। कभी-कभी स्थिति बहुत विस्फोटक बन जाती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन और सरकार के संज्ञान लाते हुए मैं सरकार से मांग करती हूं कि मड़ियाहूं में अविलम्ब बाई पास मार्ग का निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराया जाय।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मऊ की तहसील घोसी के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की लगान माफी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[मान्यवर, जनपद मऊ के तहसील घोसी में तहसील क्षेत्र का एक चौथाई हिस्सा जो हमेशा घाघरा नदी से प्रभावित रहता है, के तरफ शासन का ध्यान आकृष्ठ कराते हुए यह अवगत कराना चाहता हूं कि शासन के आदेशानुसार उक्त नदी से प्रभावित मुख्य मौजों जैसे धरमपुर, विशुनपुर, मौलानापुर, बरोहा, धोहानपुर, चक्कीमुसा, डोही, परसिया, जयरामगिर आदि को दरियाबुर्ज घोषित करके लगान माफ कर दी गयी थी, परन्तु वर्तमान समय में 10 वर्ष पूर्व से जोड़ कर इन दरियाबुर्ज क्षेत्रों की लगान वसूल की जा रही है, जिससे क्षेत्र की जनता में काफी असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस महत्वपूर्ण मामले को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करता हूं तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाय।]

जनपद लखीमपुर खीरी के नगर क्षेत्र समिति सिंचाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निरवेन्द्र कुमार–

[मान्यवर, आपके माध्यम से जनपद खीरी, तहसील निघासन में नगर क्षेत्र समिति सिंगाई (गंडारा) में दिनांक 22-1-90 से कर्मचारियों की हड़ताल 17 माह का बकाया वेतन, एरियर इत्यादि मिलने वाली सुविधाओं सहित अनुमानित 8 लाख रुपया भुगतान हेतु बकाया होने के कारण चल रही कर्मचारी हड़ताल से मौके पर काम-काज पूर्णरूपेण ठप्प है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से तत्काल सिंगाई नगर क्षेत्र समिति के कर्मचारियों को 17 माह का बकाया वेतन दिलाने तथा नगर सिंगाई की जनता को भयानक बीमारियों से बचाने की मांग करता हूं।]

गाजीपुर जनपद के दिलदार नगर क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश–

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र दिलदार नगर में ओलावृष्टि से किसानों की फसल बड़े पैमाने पर नष्ट हो गयी है किसानों की फसल बर्बादी के बाद अभी तक सरकारी मदद नहीं पाने से बड़े पैमाने पर असंतोष है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग कर रहा हूं कि तत्काल किसानों को सरकारी सहायता दी जाय।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बांदा के तहसील कर्वी में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम प्रसाद सिंह–

[मान्यवर, बांदा जनपद और उसमें विशेष प्रभावित तहसील कर्वी एवं मऊ में पिछले लगातार दो वर्षों से वर्षा की कमी चली आ रही है । फलस्वरूप आम तौर पर तालाब सूख गये हैं । यहां तक कि कुछ शास्वत नदियां पानी की कमी के साथ-साथ सूख रही हैं । क्षेत्र में भूमि के नीचे पानी का जल स्तर करीब 10 से 15 फुट नीचे गिर गया है । व्यापक तौर पर पेयजल कुयें सूख चुके हैं । पूरे क्षेत्र में मनमानस एवं पशुओं के पेयजल का संकट एक गंभीर समस्या पैदा हो गयी है । आने वाली गर्मी के महीने में पेयजल की संकट की भीषण समस्या का गहराते जाने की संभावना को देखते हुए तथा उसकी कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण वहां क्षेत्र की जनता में अत्यन्त क्षोभ एवं रोष व्याप्त है ।

अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि बांदा जनपद एवं विशेष प्रभावित क्षेत्र कर्वी एवं मऊ में व्यापक पैमाने पर रिमोट सेंसिंग मशीन से गहरे बोर कराकर उनसे तथा जिन क्षेत्रों में डाल सिंचाई एवं डाइवर्स सिंचाई योजनायें हैं उन्हें गर्मियों में लगातार चालू रख कर पेयजल की संकट पूर्व समस्या का समाधान कराने संबंधी आदेश शासन को देने का कष्ट करें ।]

आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनकट जनपद आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन राय–

[महोदय, इस सूचना के माध्यम से मैं माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान आदर्श उ0 मा0 विद्यालय बनकट जनपद आजमगढ़ में व्याप्त भारी आर्थिक गोल माल तथा शिक्षकों के उत्पीड़न की ओर आकृर्षित करना चाहता हूं ।

विद्यालय के एक सहायक अध्यापक श्री नामवर सिंह को 14 जुलाई, 1981 से विद्यालय में बलपूर्वक कार्य करने से रोक दिया गया है तथा उन्हें वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है । विभागीय अधिकारी केवल पत्र लिखकर वेतन देने का निर्देश देते हैं किन्तु क्रियान्वित नहीं कराते हैं ।

विद्यालय में कई लाख का गबन है । विभाग द्वारा एक बार किसी प्रकार विद्यालय के कुछ वर्षों के खातों का सम्प्रेक्षण कराया गया किन्तु उसके आधार पर भी कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गयी है ।

जिन वर्षों का सम्प्रेक्षण नहीं हुआ है उनमें भी भारी गबन है किन्तु विभागीय अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते । अनेक अध्यापकों को अवैधानिक तरीके से नियुक्त करके उनके नाम पर वेतन निकाला जा रहा है ।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश की गंडक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गनपति सिंह–

[महोदय, पूर्वान्चल में हरित क्रान्ति के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गंडक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना की महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की थी । पता चला है कि सरकार ने इस परियोजना को समाप्त करके जहां हजारों कर्मचारियों को बेरोजगार बनाने का निर्णय ले लिया है वहीं किसानों तथा मजदूरों का भी इस योजना के ठप्प होने से व्यापक अहित सुनिश्चित है ।

गंडक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना में अभी काफी कार्य बाकी है । जबकि आयुक्त एवं परियोजना प्रशासन ने इस परियोजना को आगामी 31 मार्च, 90 से बन्द कर देने की घोषणा कर दी है । आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक की इस घोषणा से गंडक कर्मचारियों में तीव्र रोष व्याप्त है और सभी कर्मचारी पिछले एक माह से आन्दोलनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं । आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक कार्यालय पर धरना तथा प्रदर्शन आज की कार्यवाही जारी है एवं स्थिति प्रतिदिन तनावपूर्ण होती जा रही है ।

इस संबंध में यह भी कहना है कि कर्मचारियों के बकाये दावों का निस्तारण तथा लम्बित प्रशासनिक मामले निलम्बन आदि पर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है और गन्डक समादेश टूटने की स्थिति में कर्मचारियों का समायोजन की कोई नीति स्पष्ट नहीं की गयी है । अधिकारियों की इस अदूरदर्शी नीति से पूर्वान्चल का विकास पूरी तरह से ठप हो जायेगा । परियोजना का जनहित में बने रहना अत्यावश्यक है ।

अतः आपसे आग्रह है कि लोक महत्व के इस तात्कालिक मामले को माननीय सदन में उपस्थित करने हेतु माननीय अध्यक्ष की अनुमति चाहता हूं ।]

बाराबंकी ब्रांच नहर की पटरी को कस्बा दरेवा से निगोहा तक पक्का कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एक महत्वपूर्ण लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । कस्बा दरेवा से निगोहा तक बाराबंकी ब्रांच (नहर) की बायीं पटरी लगभग 40 गांवों के लोगों के आवागमन हेतु एक मात्र रास्ता है । रास्ते में कुछ-कुछ भाग पर खड़न्जा भी लगा है, परन्तु शेष भाग कच्चा है, जिससे आवागमन में जनता को कष्ट होता है तथा नहर की पटरी खराब हो जाने से नहर के कट जाने का भी भय रहता है।

अतएव मेरी मांग है कि जनहित में उक्त 15 किमी0 मार्ग पुख्ता बनाया जाय ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

राजाजीपुरम कालोनी, लखनऊ के एल0 आई0 जी0 श्रेणी के भवन आवंटियों को वाटर मीटर की आपूर्ति न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम धनी–

[मान्यवर, राजाजीपुरम कालोनी, लखनऊ के मिनी एल0 आई0 जी0 के आवंटियों ने आवास विकास परिषद्, राजाजीपुरम् द्वारा निर्गत प्रदर्शन पत्र में दिए गये निर्देशानुसार ही भवन का भौतिक कब्जा लेने से पूर्व वाटर मीटर का मूल्य तथा जमानत की धनराशि सम्पत्ति प्रबन्धक अधिकारी, आवास विकास परिषद्, राजाजीपुरम्, लखनऊ के पक्ष में भुगतान कर दिया था किन्तु परिषद् के अधिकारियों एवं तत्कालीन निर्माण खण्ड अष्टम के संबंधित अभियन्ताओं ने प्रत्येक आवंटी से इस विश्वास के साथ इन्वेन्ट्री फार्म पर हस्ताक्षर करवा लिए थे कि वाटर मीटर उपलब्ध हो जाने पर ठेकेदार प्रत्येक मकान में लगा देगा। परन्तु अधिकारियों की मिलीभगत के कारण 1000 भवनों में से अब तक केवल 98 भवनों को ही वाटर मीटर उपलब्ध हो सके हैं।

ज्ञातव्य है कि आवास विकास परिषद्, राजाजीपुरम् ने दिनांक 1 फरवरी, 1987 से जलापूर्ति करने का दायित्व जल संस्थान, लखनऊ को सौंप दिया। 1 फरवरी, 1987 से जल संस्थान द्वारा जो जलकर बिल उपभोक्ताओं को प्रेषित किये गये हैं, उनमें वाटर मीटर युक्त भवनों का वार्षिक जलकर बिल रु0 168/-तथा वाटर मीटर रहित भवनों के जलकर बिल रु0 384/- प्रेषित किये गये हैं जबकि जल संस्थान, लखनऊ को सौंपने से पूर्व आवास विकास परिषद् कालोनी के समस्त आवंटियों से समान रूप से भवनों कव वार्षिक जलकर रु0 144/-लेती थी। जल संस्थान ने वाटर मीटर लगाने के लिए प्रत्येक आवंटी से लगभग 500/- की पेशकश की है जो कि न्यायसंगत नहीं है।

ज्ञात हुआ है कि आवास विकास परिषद पूर्व में जमा वाटर मीटर की धनराशि आवंटियों को लौटाने पर विचार कर रही है जो न्यायसंगत नहीं है। आवंटियों को केवल वाटर मीटर की ही आपूर्ति की जाय न कि धनराशि की

अनुरोध है कि सभी आवंटियों को रु0 144/-प्रति वर्ष की दर से जलकर भुगतान करने का आदेश देने का कष्ट करें।]

जनपद देवरिया में ओलावृष्टि से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुक्ति नाथ–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान देवरिया जनपद में रुद्रपुर तहसील व सम्पूर्ण जिले में ओले से भीषण बर्बादी की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ।

2 फरवरी को रुद्रपुर तहसील तथा देवरिया जिले में वृहद ओलावृष्टि हुयी, जिससे किसानों की रबी फसल चौपट हो गयी। झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोगों की मकानों के छप्पर उड़ गये हैं, इससे किसानों में हाहाकार मचा है व भुखमरी की स्थिति है। तत्काल राहत पहुंचायी जाय, और उन्हें विशेष सुविधा प्रदान कर दैवी आपदा से बचाया जाय।]

नोटः–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र में विद्युतीकरण में हुई धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा नन्द अंचल–

[मान्यवर, बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड सीयर व रतनपुरा तथा नगरा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को कार्यान्वित करने में वर्ष 1980 से 1990 तक लगातार धांधली की गयी है। गांववार विद्युतीकरण के लिए जो प्राक्कलन स्वीकृत किये गये हैं, उनके अनुसार न तो बिजली के खम्भे लगाये गये हैं न तार, विद्युतीकरण में धांधली और अनियमितता की अनेक शिकायतें मैंने 1985 से 1990 तक किया है लेकिन रिशवत के चलते अधिशासी अभियन्ताओं ने मामले को दबा दिया, जिससे सरकार के साथ अधिकारियों का विश्वासघात परिलक्षित होता है। सीयर और नगरा विकास खंड में विद्युतीकरण के क्रमवार दस-दस गांवों की प्राक्कलन के मुताबिक जांच हेतु मैंने कई बार शासन को लिखा, लेकिन जांच न होने से भ्रष्टाचारी विद्युतकर्मियों का मनोबल बढ़ा है।

अतः इस लोक महत्व के मामले को आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाते हुए समाधान की मांग करता हूं।]

नवम् मण्डल सिंचाई कार्य बहराइच के अन्तर्गत सरयू मुख्य नहर के निर्माण कार्य में अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कुमार सिंह–

[महोदय, नवम् मण्डल सिंचाई कार्य बहराइच के अन्तर्गत सरयू मुख्य नहर के निर्माण कार्य में घोर अनियमितताओं के संबंध में पूर्व अधीक्षण अभियन्ता श्री सिद्दीकी के कार्यकाल में सरयू मुख्य नहर की खुदाई का कार्य इनकी भ्रष्ट नियती के कारण गलत तरीके से कराया गया है। नहर की खुदाई का कार्य कि0मी0 40.00 से 50.00 में निर्धारित लेबिल तक न कराये जाने एवं ठेकेदारों को निर्धारित लेबिल तक भुगतान करके बन्दर बांट किया गया है जिससे सरकार का कई करोड़ रुपया व्यर्थ हो गया है। इसे पुनः निर्धारित लेबिल तक कराने में करोड़ों रुपया मात्र डिबाटरिंग पर खर्च होगा। जो कि जनहित में नहीं है इनकी ही स्वार्थ लिप्सा के कारण कि0मी0 38.100 पर निर्माणाधीन सुपर पैलेस का कार्य अब तक भी प्रारम्भ नहीं हो पाया है जिससे बरसात में संबंधित क्षेत्र जल मग्न हो जाने की सम्भावना है। निविदाओं पर विलम्ब से निर्णय लेने एवं अनुबन्ध के लिए ठेकेदारों से पूर्ण सौदेबाजी करने के लिए इनको ख्याति प्राप्त है। इन्हीं सब अनियमितताओं के कारण सरयू परियोजना की लागत 350 करोड़ रुपया के स्थान पर 1600 करोड़ रुपया पहुंच जायेगी तथा निर्धारित समय से लगभग 5 वर्ष के बाद तक भी यह परियोजना पूरी होने की सम्भावना नहीं है। उक्त अधीक्षण अभियन्ता जब अधिशासी अभियन्ता थे तो इनके विरुद्ध विजिलेंस जांच हुई, विजीलेन्स ने इन्हें निलम्बित करके 75 लाख रुपया वसूलने एवं इन्हें

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जेल भेजने की सिफारिश की थी, इनके विरुद्ध अभियोजन भी स्वीकृत है फिर भी यह विभाग में कार्यरत है जिससे जन असंतोष व्याप्त है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर प्रभावी कार्यवाही हेतु माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था में गड़बड़ी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मज्ञ मिश्रा–

[महोदय, मैं उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं । 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में सन् 1977 में आर0 ई0 सी0 स्कीम के अन्तर्गत परगना कछौन्दा में लाइन बिछाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था आज तक उस क्षेत्र के किसी भी गांव में विद्युत का प्रकाश नहीं हुआ है जबकि शासन के अधिकारियों द्वारा मात्र कागजों पर ही विद्युतीकरण दिखाया गया है । इसी प्रकार सन् 1980 में 33 के0 वी0 का सब-स्टेशन बनाने का कार्य किया गया जोकि अधिकारियों की लापरवाही के कारण पूरा नहीं हुआ है । इससे जनता में महान कष्ट है । इन सब कार्यों के निर्माण में लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है ।

इसके साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में गंगा नदी की भीषण बाढ़ से हर वर्ष सैकड़ों गांव कट जाते हैं । हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है । उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने की अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है और न ही उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गयी है । इस कटान को रोकने के लिए गंगा नदी के किनारे-किनारे अगली वर्षा ऋतु के पहले एक बांध का बनना नितान्त आवश्यक है । हमारे क्षेत्र में जो सड़कों का निर्माण कराया गया है जिनमें से किसानों की जो भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है उसका मुआवजा किसानों को आज तक नहीं दिलाया गया है जिसे तुरन्त दिलाया जावे ।

अतः इस लोक महत्व पर अविलम्ब चर्चा करायी जाये और उक्त तथ्यों की किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराकर दोषी अधिकारियों के प्रति अविलम्ब कार्यवाही की जाये ।]

जनपद बांदा में रसिन बांध का निर्माण न होने से किसानों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[महोदय, बांदा जनपद की तहसील अतर्रा के अन्तर्गत रसिन बांध का निर्माण न होने से क्षेत्रीय किसानों में आक्रोश व्याप्त है इस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि में सिंचाई की सुविधा न होने से या तो फसल बोई नहीं जाती है, जो बोई जाती है, वह भी सूख जाती है, जिससे इस क्षेत्र का किसान मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है इस क्षेत्र के सैकड़ों किसान मजदूर अपने घर छोड़कर दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए पलायन कर गये हैं

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

क्षेत्र की स्थिति विस्फोटक हो रही है । रसिन बांध के निर्माण के लिए किसान मजदूर लगातार मीटिंग सभायें एवं धरना दे रहे हैं ।

अतः मांग करता हूं कि रसिन बांध के निर्माण को इसी प्लान में सम्मिलित करते हुए धन आवंटित करके निर्माण करवाया जाये ।]

वाराणसी जनपद के आराजी लाइन्स ब्लाक के राजा तालाब क्षेत्र में स्वीकृत पाइप लाइन योजना के कार्यान्वयन न होने से उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह—

[मान्यवर, वाराणसी जनपद के आराजी लाइन्स विकास क्षेत्र के अन्तर्गत राजा तालाब ग्राम समूह पेयजल योजना बहुत पहले से स्वीकृत है और पेयजल आपूर्ति के लिए नलकूप का निर्माण हुए लगभग दो साल व्यतीत हो रहे हैं । किन्तु अभी तक न ओवर टैंक का निर्माण हुआ और न ही पाइप लाइन बिछाने का कोई कार्य हुआ जिससे उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले गांवों में पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है । इस योजना के चलते गांवों में हैण्ड पम्प भी यह कह कर नहीं लगाये जा रहे हैं कि यह क्षेत्र ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत है । ऐसी स्थिति में पेयजल के लिये कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी है जिससे ग्रामीण जनता में असंतोष व्याप्त है । यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की गयी तो गर्मी के दिनों में पेयजल के लिए हाहाकार मच जायेगा ।

अत एव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान मे लाकर शासन से उपरोक्त योजना को तत्काल कार्यान्वित करने और गांवों में गर्मी आने के पूर्व पेयजल उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद गाजीपुर के थाना भांवरकोल के ग्राम मांचा व सियाड़ी में कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अफजाल अन्सारी—

[महोदय, ग्राम मांचा में सामन्तों ने डुग्गी पिटवाकर मुनादी करायी है कि कमजोर वर्ग का आदमी गांव के रास्तों पर नहीं चलेगा । खेतों, खलिहानों, नहरों, सड़कों के किनारे घास नहीं काटेगा, पोखरियों में पशुओं को नहीं धोयेगा । खेतों में शौच नहीं करेगा । यदि ऐसा करेगा तो 50 रुपया से लेकर 200 रुपया तक दण्ड का भागी होगा । विरोध करने पर कई पुरूष व महिलाओं को मारा पीटा गया और जब उनकी हत्या करने व बस्तियों को फूंकने की धमकी दी जा रही है । ग्राम सियाड़ी में यही स्थिति है । इस ग्राम में रूरवार जाति के दो परिवार की सम्पत्ति लूटकर गांव से भगा दिया गया है। विधवा सजना देवी रूरवार का घर गिरा दिया गया व सब सामान लूट लिया गया इन ग्रामों से गरीब लोग पलाइत हो रहे हैं । पूरे क्षेत्र में इसके चलते भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही स्थगित करके चर्चा कराने की मांग करता हूं ।]

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उन्नाव जनपद में प्रदूषण एवं बीमारियों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल–

[महोदय, उन्नाव जनपद में जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से कैमिकल्स फैक्टरियों व अन्य कारखानों का गंदा पानी आसपास के महदिनवां, धाधी, रवतापुर, हबेतपुर, पूनी, जालिमखेड़ा, गहरा, पीपरखेड़ा आदि गावों में भर रहा है। यह गन्दा पानी गांवों के कुओं तक पहुंच रहा है जिससे पेयजल दूषित हो गया है जिसके कारण भीषण बीमारी फैल रही है, जानवर मर रहे हैं हैं। भीषण प्रदूषण की वजह से हजारों बीघे जमीन प्रदूषित पानी से खराब होकर बेकार हो गयी है, प्रशासन द्वारा इस तरह का कोई कदम न उठाने से उन्नाव की भीषण प्रदूषण की समस्या की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र ही इस समस्या के समाप्त किये जाने की मांग करते हैं।]

जनपद वाराणसी के वाराणसी इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग कार्यालय में मीटर के अभाव से जन असन्तोष व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

[महोदय, वाराणसी इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग कार्यालय में बिजली के मीटर का घोर अभाव है। वर्षों से प्रतीक्षारत रहने के बाद भी उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं जिससे आम उपभोक्ता के साथ ही उद्योग धन्धे भी प्रभावित हो रहे हैं फलस्वरूप अवैध कनेक्शन द्वारा बिजली चोरी और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिल रहा है जिससे सरकार को लाखों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है।

लगे हुए मीटरों की नियमत: दिमासिक रीडिंग लिया जाना चाहिए, परन्तु वर्षों रीडिंग नहीं लिये जाते हैं। उपभोक्ताओं को हमेशा बिना रीडिंग और मनमाने बिल भेजे जा रहे हैं जिसे ठीक कराने में जनता को काफी दौड़ धूप और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है जिससे नागरिकों में भयंकर असन्तोष व्याप्त है।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय और सुनिश्चित विषय को आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि पर्याप्त मात्रा में मीटरों को उपलब्ध कराये जाने और दिवमासिक रीडिंग लिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।]

जनपद गोण्डा में मंजगवा जलाशय के वीयर टूटने से पानी के अभाव में किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबाल हुसैन–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के संज्ञान में इस अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा के तहसील तुलसीपुर में मंजगवा जलाशय से किसानों के 15 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई पचासों साल से होती चली आ रही है। परन्तु पिछले 3 वर्षों से वहां का वीयर टूट गया है जिससे जलाशय में पानी नहीं आता और किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती है। केवल 10 लाख रुपये से वीयर की मरम्मत हो सकती है। परन्तु कुछ अधिकारी डेढ़ करोड़ की लम्बी योजना

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बनाये हैं कि काम न करना पड़े, इस मुद्दे को लेकर किसान आन्दोलित हैं और हिंसा पर उतारू हैं जिससे क्षेत्र में आतंक व्याप्त है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि शासन 10–15 लाख रुपये की जो योजना शासन में पिछले साल से लम्बित है स्वीकृत करके वीयर बनवाकर आन्दोलन समाप्त किया जाय ।]

जनपद नैनीताल के शक्ति फर्म कालोनी के विस्थापित नमोराम जाति के लोगों को अनुसूचित जाति घोषित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

[महोदय नैनीताल जनपद के शक्ति फार्म कालोनी में रह रहे लगभग 20 वर्ष से 25 हजार बंगाली विस्थापितों में से अधिकांश नमोराम जाति के जो कि अनुसूचित हैं किन्तु उत्तर प्रदेश में इन विस्थापितों को अनुसूचित नहीं माना जा रहा है जबकि उनके पूर्वजों को बंगाल में अनुसूचित माना जाता है ।

विस्थापितों को अनुसूचित न माने जाने के कारण इन गरीब लोगों को प्रदेश सरकार से निर्धारित सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं जिससे यह अत्यंत पिछड़े लोग और पिछड़ते जा रहे हैं ।

अतः मैं मांग करता हूं कि शक्ति फार्म जनपद नैनीताल व अन्य जिलों में रह रहे नमोराम जाति के बंगाली विस्थापितों को अनुसूचित घोषित किया जाय ।]

नलकूप निर्माण खण्ड सीतापुर क्षेत्र में किसानों को अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[महोदय, नलकूप निर्माण खण्ड सीतापुर क्षेत्र में किसानों की भूमि काफी दिनों पूर्व अर्जित की गयी है । उसका 6,63,000 रुपया विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी लखीमपुर द्वारा एवार्ड किया गया । उसके द्वारा ही रुपया काफी दिनों से मांगा जा रहा है कि उसे किसानों में बांटा जा सके । भूमि अध्याप्ति अधिकारी लखीमपुर ने नलकूप निर्माण खंड सीतापुर को अनेक पत्र तथा अनुस्मारक दिये परन्तु अभी तक रुपया नहीं दिया गया । अंतिम पत्र 2-12-89 का है ।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर शासन का ध्यान तुरन्त आकृष्ट कर तुरन्त रुपया दिलाने की मांग करता हूं ।]

जनपद नैनीताल स्थित कुमायूं विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा पद के दुरुपयोग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री श्याम बिहारी सिंह–

[महोदय, नैनीताल स्थित कुमायूं विश्वविद्यालय के कुलपति के पद के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद व अनियमितताओं के कारण प्रशिक्षकों एवं छात्रों में असंतोष बढ़ता जा रहा है एवं वातावरण दूषित हो रहा है जिसकी शिकायत लगभग 40 सांसदों

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

व विधायकों की संस्तुति से जनवरी, 1990 में भी राज्यपाल को भेजी गयी है । कुलपति का दूसरी बार कार्यकाल बढ़ाये जाने के बाद से असंतोष और बढ़ा है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि कुमायूं विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ की गयी शिकायतों की जांच कराकर उन्हें अविलम्ब हटाया जाय ।]

जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज में चीनी मिल की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री गेंदन लाल गंगवार–

महोदय, बरेली जनपद की नवाबगंज तहसील में कोई चीनी मिल न होने के कारण गन्ना किसानों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है । नवाबगंज में अधिकांश क्षेत्रों में गन्ने की खेती होती है और पिराई के लिए या तो क्रेशर मालिकों के हाथ कम दाम पर गन्ना बेचना पड़ता है अथवा 25, 30 मील दूर स्थित चीनी मिलों में ले जाना पड़ता है । चीनी मिल खोलने की मांग को लेकर नवाबगंज क्षेत्र की जनता व किसान आन्दोलित हो रहे हैं । अतिशीघ्र ही एक व्यापक आन्दोलन शुरू किया जाने वाला है । कांग्रेस सरकार बार-बार वायदा करने पर भी चीनी मिल नहीं खुलवा सकी ।

अतः मैं मांग करता हूं कि नवाबगंज जनपद बरेली में अतिशीघ्र चीनी मिल लगायी जाये ।]

जनपद फैजाबाद में फ्री बोरिंग कार्य में धांधली के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सन्त श्रीराम द्विवेदी–

[माननीय अध्यक्ष जी, फैजाबाद जनपद में निःशुल्क बोरिंग में की जा रही बड़े पैमाने पर घपले व कमीशन खोरी से किसानों के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। अभी तक लक्ष्य से आधी भी बोरिंग का कार्य पूरा नहीं किया गया है । फ्री बोरिंग में कृषकों को घटिया सामानों की आपूर्ति के साथ ही उपकरणों की ढुलाई व मजदूरी उन्हें स्वयं अपने पास से खर्च करना पड़ रहा है जबकि शासन की तरफ से लघु किसानों को 3 हजार रु0 व सीमान्त किसानों को 4 हजार रु0 की धनराशि स्वीकृत की गयी है । है ।

जनपद के तारून बीकापुर, हरिदीगंज, समेत सभी ब्लाकों पर फ्री बोरिंग में लाखों का घपला प्रकाश में आया है । तारून में फ्री बोरिंग के लिए किसानों से धूस लिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ।

मान्यवर, फ्री बोरिंग के नाम पर हो रही किसानों पर लूट तथा बोरिंग में की जा रही गड़बड़ी से जनपद के किसानों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट का निदान तुरन्त किया जाना आवश्यक है तथा जिम्मेदार, कर्मचारियों को कठोर दण्ड देने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गोण्डा के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

भूधर नारायण मिश्रा–

[माननीय अध्यक्ष, मुझे आपके माध्यम से शासन का ध्यान विशेष रूप से मा0 स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान गोण्डा जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा किये जा रहे तमाम आपराधिक कार्य करने तथा स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा दी जा रही छूट की ओर आकृष्ट करना है । विगत 30 जून/जुलाई, 1986 की रात्रि में यही मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा तथा बलरामपुर (नगर) गोण्डा, डा0 आनन्द सिंह को लेकर वहां पर तैनात तत्कालीन सर्जन (डा0 उमेश चन्द्र द्विवेदी) को अपने बलरामपुर अस्पताल पर रात्रि में बुलाया और श्री द्विवेदी पर जान लेवा हमला कराया जिसकी रिपोर्ट श्री द्विवेदी द्वारा कोतवाली बलरामपुर (नगर) गोण्डा में जुलाई, 1986 को दर्ज कराई गयी और 2–3 दिन के बाद ही अपने अधिकारियों को भी सी0 एम0 ओ0 के इस अपराधिक व्यवहार पर आवश्यक कार्यवाही की मांग की । शासन ने इस मामले की सी0 आई0 डी0 जांच बैठायी । जिसमें जनवरी, 1990 के अंत में शासन को रिपोर्ट भेजते हुए तत्काल उन सबको स्थानान्तरित करने की संस्तुति की है । ठीक इसी प्रकार गृह विभाग ने भी संस्तुति की है ।

श्री सिंह जो जून 1990 में सेवा निवृत्त होने वाले हैं । इसलिए इसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें जानबूझकर दोष सिद्ध पाये जाने के बाद भी स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है । अंत में सबल रूप से सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बदली हुई परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया जाय और उनके भ्रष्ट कार्य कलापों की जांच की जाय ।]

जनपद इलाहाबाद के मल्लपुर क्षेत्र में दोहरा विकास शुल्क वसूल किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद के मल्लपुर क्षेत्र में दोहरा विकास शुल्क (6.90 रुपये व 101 रुपये) वसूले जाने से भारी असंतोष है । इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के इस भेदभावपूर्ण रवैये व शोषण से जनता त्रस्त है । इस शोषण के विरुद्ध अक्तूबर, 1988 में मेरे वर्तमान राजस्व मंत्री द्वारा विधान सभा सदन में धरना दिये जाने पर संबंधित मंत्री, अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधिगण की एक समिति समस्या समाधान हेतु गठित की गयी थी । उक्त समिति ने कई बार बैठकें करने के उपरान्त मंडलायुक्त इलाहाबाद की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन भौतिक स्थल परीक्षण करके संस्तुतियां देने हेतु 9-1-89 को करा दिया । 13 मार्च, 1989 को भौतिक नगर विकास मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट तौर पर कहा कि उक्त उप समिति जो भी संस्तुति करेगी उसे उसी रूप में अमल में ला दिया जायेगा । समिति ने 6-7-89 को भौतिक स्थल परीक्षण आदि करके विकास शुल्क 7.70 रु0 निश्चित करके संस्तुति शासन को भेज

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दी किन्तु दुर्भाग्यवश शासन आंख मूंदकर पड़ा है तथा जनता का शोषण अभी भी जारी है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल 6-7-89 की संस्तुतियों को लागू कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद पीलीभीत में सहकारी चीनी मिल बीसलपुर, सेमीखेड़ा व सितारगंज के विस्तार कार्यक्रम में धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री हरीश कुमार गंगवार–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक महत्व के इस प्रश्न को नियम 301 के अंतर्गत विधान सभा में उठाना चाहता हूं । किसान सहकारी चीनी मिलें बीसलपुर सेमीखेड़ा सितार गंज आदि में विस्तार किया जा रहा है । यह विस्तार 1989 में हो जाना चाहिए था, परन्तु विस्तार पूरा होना तो दूर यह अपनी पिराई क्षमता का आधा भी गन्ना अभी तक नहीं पेर पायी है, गन्ना क्रय केन्द्र दूसरी मिलों को कागज पर स्थानान्तरित किये गये हैं परन्तु इन क्रय केन्द्रों से गन्ने की ढुलाई की कोई सुविधा नहीं है । अतः किसानों का गन्ना 1990 के अंत से पहले नहीं कट पायेगा ।

विस्तार के लिए ली गयी इन सभी मिलों विशेषकर बीसलपुर चीनी मिल में विस्तार के उपकरण व अन्य सामान एवं साज सज्जा बहुत ही घटिया स्तर की बिना टेंडर के ब्लैक लिस्टेड फर्मों व दुकानदारों से खरीदी गयी है, अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कार्य पूरा होने से पूर्व ही ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया । बहुत सा सामान बिना जरूरत के मंगवाया गया है । अतः विस्तार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है साथ ही करोड़ों रुपये कमीशन व दलाली में हड़प लिया गया है । इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच एवं कृषकों के गन्ने की पिराई व भुगतान की मांग करते हुए सरकार का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करता हूं ।]

जनपद गोरखपुर में मुंडेरा बाजार क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री श्याम लाल रावत–

[मान्यवर, जनपद गोरखपुर में स्थित मुंडेराबाजार विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया द्वारा सम्पूर्ण मार्ग बलुहहा फरेन नाले पर 3.600 कि0 मी0 (बंधा) कई वर्षों पूर्व बनाया गया था जो पिछले वर्ष बाढ़ में टूट गया जिससे 22 गांवों की फसलें व हजारों मकान बाढ़ में नष्ट हो गयी हैं किसानों के करोड़ों रुपये की क्षति हुई । इसको निर्माण कराने के लिए बाढ़ कार्य खंड देवरिया ने 9 लाख रुपये इस्टीमेट स्थाई विभाग उत्तर प्रदेश को भेजा है ।

उपखण्ड चतुर्थ बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया में बरही पाक पर लकडिहां कटान निरोधक पर 10 लाख चौंतीस हजार रुपये की टी–90 वे, दिनांक 8-1-90 को सिंचाई विभाग की बैठक में स्वीकृति हुई है । यदि वर्षों से पूर्व धनराशि नहीं दी गयी तो सैकड़ों गांव आने वाले वर्षकाल में जलमग्न हो जायेंगे ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

छितहरी थून्ही बांध काउन्टर वर्ष ग्राम सराह सिंह्रोइवां (अरिवाती) पर वर्षाकाल के पूर्व क्रमशः 3.40 व 5 लाख रुपये से कराना अति आवश्यक है अन्यथा अगली वर्षा व बाढ़ में बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया बचा नहीं पायेगा ।

बाढ़ खण्ड गोरखपुर के अंतर्गत मलौली बंधे पर झोमोगलहा कटाव व नावा अब्बल हुमरी तथा कुई बाजार कटान का भी निर्माण वर्षा के पूर्व तक सिंचाई विभाग ने उक्त सभी कटानों व बन्धों की मरम्मत पर रुपया नहीं दिया है जिसके कारण स्थानीय जनता काफी चिंचित है ।

अतः माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर मैं अनुरोध करता हूं कि संपर्क मार्ग बलुघट्टा फरेन नाले पर व लकड़िहा कटान व छितहरीकून्ही बांध पर सरार व सिहोड़वा (अरिवाती) कटान वर्क तथा बाढ़ खण्ड गोरखपुर के अंतर्गत मलौली बंध पर बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया पर बंधे मेरे क्षेत्र में मोगलहा कटान व नावा अब्बल हुमरी व कुई बाजार कटान पर अविलम्ब धनराशि मार्च के महीने में आवंटित करके कार्य करवाने का कष्ट करें जिससे जनता को राहत मिल सके ।]

जनपद इलाहाबाद में किशनपुर पम्प रामगंगा नहर की सफाई में लाखों के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[माननीय अध्यक्ष जी, जनपद इलाहाबाद द्वाबा में किशनपुर पम्प एवं रामगंगा नहर की सिल्ट सफाई बन्दोबस्त में लाखों रुपये घोटाले किये गये हैं और किये जा रहे हैं । फर्जी मस्टररोल बनाकर जनता के धन की लूट की जा रही है ।

किशनपुर पम्प एवं रामगंगा नहर में जहां दस वर्षों से आजतक पानी नहीं आया, उन नहरों में प्रत्येक वर्ष सफाई के नाम से लाखों रुपया घपला किया जाता है ।

मान्यवर, रामगंगा नहर का देखरेख मुख्य कार्यालय फतेहपुर कानपुर से संबंधित वहां के अधिशासी अभियंता विधायकों को दिये गये अधिकार का जिसमें क्षेत्रीय विधायक हस्ताक्षर के बाद भुगतान करना चाहिए, परवाह किये बिना फर्जी भुगतान कर रहे हैं । सेवाल की फर्जी सफाई दिखाई जाती है । सहायक अभियंतागण घर बैठे ठेकेदारों को विधायक के पास हस्ताक्षर कराने के लिए भेजते हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या का आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग यान्त्रिक संवर्ग में अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर आरक्षण कोटा पूरा न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम तेज–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत यांत्रिक संवर्ग में अधीक्षण अभियंता के 6 पद हैं जिनमें एक भी पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित नहीं किया गया है । जबकि आरक्षण नियमावली के अनुसार दो पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किये जाने चाहिए थे । उक्त संवर्ग में अनुसूचित जाति के ऐसे अधिशासी अभियंता कार्यरत हैं जो अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए सभी अर्हतायें पूरी करते हैं । इस समय 6 पदों में से 3 पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कार्यरत हैं तथा 3 पद खाली पड़े हुए हैं । अनुसूचित जाति के सभी तरह से अर्ह अधिशासी अभियंताओं को आरक्षण के आधार पर अधीक्षण अभियंताओं के पदों पर पदोन्नति न किये जाने के कारण इनमें असंतोष व्याप्त हो गया है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उक्त संवर्ग में आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता के दो पदों पर यथाशीघ्र पदोन्नति की जाय, ताकि अनुसूचित जाति के अधिशासी अभियंताओं में व्याप्त असंतोष समाप्त हो जाय ।]

जनपद गोरखपुर के थाना बड़हलगंज की पुलिस द्वारा बर्बरता एवं अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री हरिशंकर तिवारी–

[महोदय, मैं अपने गृह जनपद गोरखपुर थाना बड़हलगंज एवं गगहा की पुलिस के अत्याचार से वहां की जनता में व्याप्त भय एवं आतंक की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उक्त थाने बड़हलगंज के लोग कौडारी के प्रधान श्री रमाकांत सिंह तथा थाना गगहा के ग्राम सिहाईबबार एवं जमीनमीटी के प्रधान श्री शौकतशाही एवं आशिक अली को असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस की लाठियों से मारा पीटा गया । उक्त व्यक्तियों द्वारा थाने में रिपोर्ट लिखाने की प्रार्थना किये जाने पर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और मार कर भगा दिया गया तथा उल्टे उनके ऊपर गलत अभियोग लगाकर उन्हें थाने में बन्द कर दिया गया । डकैती जैसे जघन्य अपराधों की सूचना उक्त थानों में दर्ज नहीं की जा रही है और उन्हें छिपाया जा रहा है जिससे पूरे क्षेत्र में पुलिस द्वारा चोरियां एवं डकैतियां करायी जा रही हैं । यह सारा कार्य गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संरक्षण में हो रहा है ।

अतः सदन से मैं मांग करता हूं कि उक्त समस्त प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी पुलिस व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय ।]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड टड़ियावा में कालाआम ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री छन्नू लाल शास्त्री–

[मान्यवर, सदन का ध्यान लोक महत्व के इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम कालाआम विकास खण्ड टड़ियावा हरदोई-सीतापुर रोड़, हरदोई से 21 कि0 मी0 दूरी पर है एवं टड़ियावां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से 18 कि0 मी0 इसके

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चारों ओर लगभग 30 गांव की जनता से स्वास्थ्य संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है । रोगी केवल झोला छाप डाक्टरों के शिकार होते हैं । धन अभाव के कारण जिला स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं जिससे वह असमय मृत्यु का शिकार होते हैं ।

मुझे ज्ञात हुआ है कि इस क्षेत्र में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्राविधान है । मेरी इस क्षेत्र की तमाम पीड़ित जनता की ओर से अनुरोध है कि आप इस गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान करें ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डाक्टरी स्टाफ के लिए भूमि अच्छी साइट पर उपलब्ध है । इस पुण्य कार्य से इस क्षेत्र की जनता को बहुत ही लाभ स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राप्त होगा ।]

फिरोजाबाद शहर में जल भराव व गन्दगी के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[मान्यवर, माननीय सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण की सूचना कि नगर फिरोजाबाद जल भराव और टूटी फटी सड़कों व गन्दगी के ढेरों से शहर बना दिया गया है । शहर में गन्दा और वर्षा के पानी के निकासी का एक मात्र एक ही नाला है इस कारण समूचे शहर के आबादी का गन्दा व वर्षा का पानी ढो पाने में सक्षम नहीं है । चन्दवार गेट के मोहल्ला रामनगर, सन्तनगर, आजाद नगर, अमि नगर आदि के निवासी का एक नाला चन्दवार गेट रेलवे पुलिया से चारबांग तक अन्डरग्राउन्ड बनाकर जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना बरसात के पूर्व अत्यंत आवश्यक है । इसी क्रम में एक नाला रसूलपुर डाकबंगला, नगलाबरी, नगलामिर्जा, नगलाकरन सिंह अस्पताल आदि का गन्दा व वर्षा का पानी जो रास्ते मार्ग न0–2 बाई पास फिरोजाबाद पर भरा सड़ता रहता है, के निवासी के लिए नाला बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है, वर्ना यह आबादी वर्षा काल में जल भराव की शिकार हो लेंगे और शहर गन्दगी में नरक बन जायेगा ।

अस्तु इस लोक महत्व के सूचना पर अविलम्ब कार्यवाही के निर्गत करने की कृपा करें ताकि फिरोजाबाद के जनजीवन की जल भराव और गन्दगी से रक्षा हो सके ।]

जनपद मऊ में ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम बचन धूसिया–

[मान्यवर, दिनांक 20-2-90 को अपरान्ह 2 बजे दिन में आंधी तूफान व भारी वर्षा के साथ लगभग 1 घण्टे तक 500-500 ग्राम के ओले पड़े। फलतः मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लाक के बहुसंख्यक ग्राम सभा व बलिया जनपद के रसड़ा ब्लाक में व अन्य स्थानों पर ओले से मौके पर खड़ी रबी की फसलें बर्बाद हो गयी भारी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हो गये तथा जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। उपरोक्त प्राकृतिक आपदा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से प्रभावित गांवों के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, यहां तक कि पशुओं तक के चारे की समस्या खड़ी हो गयी है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान किये जाने की मांग करता हूं।]

आगरा शहर में ड्रमण्ड पुल के स्थाई निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट–

[मान्यवर, आगरा ऐतिहासिक नगर है जहां विदेशों से पर्यटक लाखों की संख्या में आते हैं। आगरा शहर का मुख्य मार्ग महात्मा गांधी मार्ग है जो शहर के बीच में निकलता है तथा यह दिल्ली-बम्बई का राज मार्ग भी है। इस मार्ग पर कलक्ट्रेट के पास रेलवे का ड्रमण्ड पुल के नाम से रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के कारण तोड़कर ऊंचा किया जा रहा है तथा दोनों ओर अस्थाई पुल का निर्माण किया गया है इस पुल का सकरा होने के कारण यातायात में अवरुद्ध उत्पन्न होता था। चूंकि दोनों तरफ का पुल बन गया है तो इस स्थाई करण की आवश्यकता है।

अतः मैं मांग करता हूं कि आगरा की जनता की भावनाओं उसकी ऐतिहासिक तथा यातायात की सुविधा के लिए पुल को स्थाईकरण किया जाये।]

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई धुधुली महराजगंज को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जनार्दन ओझा–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर आदरणीय सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, इकाई धधुली, महराजगंज के लिए स्थाईकरण के लिए 28 करोड़ रु0 स्वीकृत किया है चर्चा है कि इस मिल को वर्तमान स्थान से पांच कि0 मी0 दूर पश्चिम पोखर भिण्डा गांव में ले जाया जा रहा है। ऐसा करने से न केवल व्यय अधिक होगा बल्कि उक्त गांव के 70 लोग पूर्णतः भूमिहीन हो जायेंगे कर्मचारियों अधिकारियों के लिए भी असुविधा होगी। इससे न केवल मजदूरों बल्कि किसानों में भी घोर असन्तोष है। यह असंतोष आन्दोलनात्मक रूप ले सकता है जिससे विस्तारीकरण योजना ठप हो सकती है।

अतः मेरी मांग है कि मिल का विस्तारीकरण मिल से सटे उत्तर की ओर किया जाय जहां पर जमीन आसानी से मिल सकती है। व्यय भी कम होगा और प्रशासनिक यातायात की सुविधा भी होगी।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोरखपुर और महाराजगंज के कौम्पियरगंज, सूरपार, अचलगढ़ आदि ग्रामों के वनटांगिया काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरमणि–

[मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व व जनसाधारण से जुड़े इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद गोरखपुर और महराजगंज के वनों के कौम्पियरगंज, सूरपार, खुर्रमपुर अचलगढ़ तिकोनिया, दर्रा आदि में रहने वाले वनढागिया कास्तकार, आज भी सभ्यता के प्रकाश से वंचित हैं। गोरखपुर और महराजगंज के लगभग सभी जंगल इनके खून पसीना से तैयार हुए हैं। आज तक इन्हें कोई नागरिक सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह पुस्त-दर-पुस्त जंगलों में रहते चले आ रहे हैं। अभी तक सरकार से इन्हें शिक्षा पानी आदि की नाम मात्र की सुविधा प्राप्त थी किन्तु अब वह भी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा खत्म की जा रही है। इन पर तरह-तरह के मुकदमें चलाये जा रहे हैं तथा इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इन्हें जंगलों से निकालने की योजना बनायी जा रही है। इस कारण इन लोगों के सामने जीवन मरण की समस्या पैदा हो गयी है।

अतः सदन के माध्यम से इस लोकमहत्व व जनहित के अविलम्बनीय प्रश्न पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर वनटांगिया काश्तकारों को वे जहां रह रहे हैं स्थायी रूप से बसने और उनकी जोत की जमीन पर भूमिधरी अधिकार प्रदान करने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स में समान कार्य के लिए समान वेतन व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम नारायन तिवारी–

[मान्यवर, मैं सम्मानित सदन के माध्यम से शासन का ध्यान लोक महत्व के इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, कि उ0 प्र0 में होमगार्ड्स में समान कार्य के लिए समान वेतन व सुविधा न होने के कारण घोर असन्तोष व्याप्त हो रहा है। होमगार्ड्स लम्बे समय से कार्यरत होने के बावजूद नियमित नहीं हो पा रहे हैं और न ही इनकी सेवाओं की कोई सरक्षा या गारन्टी है। इन लोगों से वहीं कार्य लिया जाता है जो सिविल पुलिस के सिपाही करते हैं, किन्तु इनकी सुविधाओं व वेतन आदि में समानता नहीं है। होमगार्ड्स में समान कार्य के लिए समान वेतन सुविधा तथा सेवाओं की गारण्टी की मांग उठ रही है कि इन्हें सिविल पुलिस के समान वेतन सुविधाएं मिलनी चाहिए तथा इन्हें नियमित किया जाना चाहिए। इस ओर शासन द्वारा ध्यान न दिये जाने से यह वर्ग कभी भी आन्दोलित हो सकता है जिससे कानून व्यवस्था की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने तथा सिविल पुलिस के समान होम गार्ड्स को वेतन सुविधाएं देने व सेवाएं नियमित किये जाने हेतु मांग करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बाराबंकी के थाना हैदरगढ़ के ग्राम लाही के निवासी श्री जगन्नाथ के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रतन लाल उर्फ दीना–

[मान्यवर, जनपद बाराबंकी थाना कोतवाली हैदरगढ़ अन्तर्गत ग्राम लाही वाइर निवासी श्री जगन्नाथ हरिजन जो कि तेल बनाने हेतु बैंक से कर्जा लेकर तेल बनाने व बेचने का कार्य करता था और अपने बीबी बच्चों व बूढ़े मां बाप के साथ पिछले कई वर्षों से लाही वाडर पर रह रहा था। दिनांक 28 जनवरी, 90 को करीब दो बजे नियोजित ढंग से श्री शिवबरन तिवारी उधन मिश्रा, नरायन सिंह आदि ने करीब दर्जनों असामाजिक तत्वों ने घर घेर लिया पहले तो हरिजन परिवार को मारा पीटा उनकी घर गिरस्ती को लूट लिया उसके बाल बच्चों द्वारा इस लूटपाट और घर बर्बाद का विरोध करने पर असामाजिक तत्वों ने घर में आग लगाकर खाक कर दिया इस काण्ड की रपट हरिजन महिला की ओर से थाना कोतवाली में लिखा दी गयी है लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इस घटना को निकट क्षेत्र के सारे दलित समाज ने काफी असन्तोष व न्याय के निराशा की भावना बनती जाती है।

मैं इस सम्पूर्ण काण्ड में तत्काल कार्यवाही किये जाने तथा हरिजन परिवार की हानि की पूर्ति की मांग करता हूं।]

मेरठ जनपद के बरनावा क्षेत्र में भूजल स्तर गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोपाल सिंह–

[मान्यवर, मेरठ जनपद के मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरनावा से गुजरने वाली हिन्डन नदी व कृष्णी नदी भूतल से बहुत गहरी बहती है। इन दोनों नदियों के मध्य से चौगामा क्षेत्र के 40 ग्राम स्थित है। जिनका भूतल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आजकल वहां का भूजल स्तर लगभग 90 फीट तक पहुंच गया है सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल लगे हैं वे 2,3 घंटे चलने के बाद पानी देना बन्द कर देते हैं। अन्य कोई भी साधन इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए नहीं है। पेयजल का भी संकट गम्भीर रूप से उत्पन्न हो गया था जिसके लिए सरकार द्वारा पेयजल की पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम द्वारा समाधान किया गया है और वहां पर भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हिंडन कृष्णी दोआवा सिंचाई ही समाधान है। जिससे जनता में भारी असन्तोष है अगर इस समस्या का समाधान परियोजना का निर्माण भी किया जा रहा है परन्तु यह परियोजना भी अस्थायी रूप से ही समाधान है। जिससे जनता में भारी असंतोष है अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यह क्षेत्र मरुस्थल हो जायेगा।

अतः इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए इन दोनों नदियों पर मेरे क्षेत्र में बांध बनवाये जायें।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद वाराणसी में शान्ति व्यवस्था कायम किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदल—

[मान्यवर, वाराणसी जिले में शान्ति और व्यवस्था बहुत खराब है। प्रत्येक पुलिस थानों के अन्तर्गत लूट, डाका, हत्या तथा आतंक व्याप्त है कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं।

1—गांव चन्दापुर थाना चोलापुर में डकैतों ने फरवरी में कई घरों को लूटा और फूल चन्द की हत्या कर दी।

2—थाना फूलपुर वाराणसी की पुलिस चौकी सिधोरा के सामने बाहर से जाकर कुछ लोगों ने भइया लाल प्रधान के यहां धावा बोला एक व्यक्ति को जान से मार दिया वहां चौकी इंचार्ज एस0 आई0 मुन्नी लाल मौजूद थे।

3—24/25 फरवरी की रात को गांव लछिमनपुर थाना जैसा के अंतर्गत डकैतों ने 4 घर धोबियों को लूटा बुद्धू तेली को बम से उड़ा दिया। वहां रोहनिया पुलिस डकैती के वक्त गांव के बाहर खड़ी थी।

गांव कपरफोरवा थाना जन्सा में एक व्यक्ति की जनवरी में हत्या कर दी गयी पुलिस पता लगाने में असफल रही है।

पूरे जिले के प्रत्येक थानों में आये दिन डकैती, हत्या, लूट हो रही है। पुलिस के एस0 एस0 पी0 एस0 पी0 आर0 ए0 का प्रभाव जिले की पुलिस पर नहीं है।

इसलिए आपकी आज्ञा से इस लोक महत्व के प्रश्न पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए जनवरी, फरवरी, तथा 4 मार्च, 90 तक की सभी मामलों की जांच कराने तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ की तहसील लखनऊ के अंतर्गत नगरपालिका सीमा में सम्मिलित ग्रामों में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

[मान्यवर, मैं माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के माध्यम से आकर्षित कराना चाहता हूं।

मान्यवर, लखनऊ तहसील के ग्राम हैवतमऊ मवइया तथा अन्य ग्राम जो नगर महापालिका की सीमा में 5 फरवरी, 1987 को शामिल किये गये हैं उनकी ग्राम समाज की भूमि पर अबाधगति से असमाजिक तत्व जबरन कब्जा एवं भवन निर्माण कर रहे हैं, हैवतमऊ मवइया के प्लाट नम्बर 1860 जिसकी पंचायत राज रूप पत्र संख्या 7 की रसीदें मोहम्मद आजाद के नाम से 10-12-56 व इनके पिता अब्दुल हफीज निवासी

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अयोध्या खेड़ा मजरा कड़रा रायपुर , तहसील मोहनलाल गंज, लखनऊ के नाम से 12-2-58 को फर्जी प्राप्त करके यह लोग उक्त भूखण्ड पर जबरिया मकान का निर्माण करा रहे हैं, उक्त प्लाट का काफी हिस्सा नहर विभाग का है जिस पर विभाग ने चहारदीवारी बनाना शुरू किया है, इस अवैध निर्माण से वहां के निवासियों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है, जिससे किसी भी समय विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।

जनपद फैजाबाद की टाउन तापीय विद्युत परियोजना की वित्तीय स्थिति में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपीनाथ वर्मा–

[मान्यवर, उपर्युक्त विषय पर सदन और सरकार के संज्ञान में लाना है कि जनपद फैजाबाद की टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में प्राइवेट कम्पनियों द्वारा कराये गये कार्यों का लगभग 12 करोड़ रु0 बकाया हो गया है जिस कारण यह कम्पनियां अपने श्रमिकों को भुगतान नहीं कर रही हैं। भुगतान की मांग को लेकर श्रमिक आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं। परियोजना से प्रभावित किसान परिवारों को नौकरी में न लिये जाने से किसान आन्दोलन की तैयारी में लगे हैं। परियोजना की सामग्रियां-लोहा सीमेन्ट आदि बेच लिये जाने से स्टोर में व्यापक घपला है। परियोजना का निर्माण कार्य ठप्प सा हो गया है और धनाभाव के कारण परियोजना इकाई की चालू यूनिट भी बन्द होने की स्थिति में है। कम से कम 30 करोड़ रु0 की परियोजना को त्वरित आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सरकार से मांग करता हूं कि खराब वित्तीय स्थिति में 30 करोड़ रुपया परियोजना को देकर कम्पनियों का बकाया 12 करोड़ रु0 भुगतान कराकर श्रमिक असंतोष को तथा प्रभावित किसान परिवारों को सेवा का अवसर देकर किसान असंतोष को तुरन्त दबाया जाय। स्टोर से स्टील लोहा सीमेन्ट आदि निकाल कर अधिकारियों द्वारा बेच लिये जाने आदि हेराफेरी की उच्च स्तरीय जांच करायी जाय। दोषी लोगों को दण्डित कर अनिवार्य सेवा निवृत्त किया जाय।]

फैजाबाद जनपद में ओलावृष्टि से फसलों की क्षति के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री राम लखन वर्मा–

[महोदय, जनपद फैजाबाद में माह फरवरी के मध्य में तथा बाद में वर्षा तथा ओला वृष्टि का शिकार हजारों हजार किसान हुए हैं । कच्चे घरों के गिर जाने से हजारों-हजार गरीब हरिजन गांव वालों की सहायता से थोड़ा बहुत सरवत आदि इक्ट्ठा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

करके अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ मौसम का प्रकोप झेलने के लिए विवश हो गये हैं । उदाहरण के लिए केवल जलालपुर क्षेत्र में ग्राम पट्टी, मुखोह, बड़ेपुर, लखनिया, सरीक्षपुर, मुरकाबाद, नारीपुर, महराजपुर, कटघर आदि सैकड़ों गांव में फसल व मकान की क्षति हुई है छोटे गरीब किसानों की फसल नष्ट हो जाने के कारण भुखमरी की समस्या है और घर गिर जाने के कारण सैकड़ों गरीब हरिजन परिवार खुले आसमान के नीचे पड़े हैं । शासन-प्रशासन द्वारा अनेक जगहों पर कोई राहत नहीं दी गयी है । कुछ जगहों पर दी गयी है तो बहुत ही कम ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन और सरकार के संज्ञान में लाते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ओला से प्रभावित किसानों की फसल क्षति पूर्ति, ग्रह अनुदान तथा पर्याप्त राहत बंटवाने की तत्कालिक व्यवस्था करायी जाय ।]

प्रदेश में फर्जी राशन कार्डों को समाप्त कर नये राशन कार्ड बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश विकल–

[महोदय, प्रदेश के जनपद में हजारों की संख्या में फर्जी राशन कार्डों की भरमार होने से उन गरीब तथा असहाय वर्ग के लोगों को इस भीषण महंगाई में उनके पास राशन कार्ड न होने से भारी कठिनाई भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा है ।

आम जनता के हित में यह अत्यावश्यक है कि फर्जी राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए प्रदेश भर में समयबद्ध सघन चेकिंग कराया जाय तथा प्रत्येक परिवार को नये सिरे से राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाये ताकि वे राशन की दुकानों से सस्ती दर पर खाद्यान्न प्राप्त कर सके।

अतः मैं मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन द्वारा अविलम्ब कार्यवाही की जायें ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत औचित्य के प्रश्न की चार सूचनाएं आज प्राप्त हुई हैं पहली सूचना श्री अनल कुमार भारद्वाज दूसरी शमी श्री (शमीम) अहमद खां, तीसरी श्री ओम प्रकाश चौथी श्री जय प्रताप सिंह तथा पांचवी सूचना श्री शिव बहादुर सक्सेना की तहसीलदार सम्भल (मुरादाबाद) के विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन के बारे में है ।

माननीय सदस्य ने तहसीलदार सम्भल (मुरादाबाद) के संबंध में विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है । नियम 300 के अंतर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना नहीं दी जा सकती । अतः मैं इसे विशेषाधिकार की सूचना के रूप में ग्राह्य करने का निदेश देता हूं । नियम 300 के अंतर्गत इसे अग्राह्य किया जाता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन द्वारा प्रकाशित टेलीफोन डाइरेक्टरी के लघु संस्करण में माननीय नेता विरोधी दल का नाम न छापे जाने के संबंध में है ।

शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के आगामी संस्करणों में माननीय नेता विरोधी दल का नाम व टेलीफोन नम्बर भी मुद्रित किया जाय ।

तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री सत्य प्रकाश विकल की विगत सत्र में शासन द्वारा निम्नांकित दो घोषणाओं के संबंध में है :—

(क) आग्नेयाशत्रों के लाइसेंस के बारे में, तथा

(ख) बिजली की दरों में वृद्धि के बारे में ।

इनके बारे में शासन का स्पष्टीकरण दिलाया जाय ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से उक्त दोनों बिन्दुओं पर नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया जा सकता है ।

चौथी सूचना माननीय माता प्रसाद पाण्डेय की पी0 एल0 ए0 एकाउन्ट्स से धन निकाल कर खर्च करने के बारे में है ।

यह मामला सदन की एक समिति के समक्ष लम्बित है। अतः इस स्टेज पर कोई निदेश अध्यक्ष पीठ से देना मुनासिब नहीं होगा, किन्तु शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जा रहा है कि वह इस पर मुनासिब कार्यवाही करे।

आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने तथा बिजली की दरों में वृद्धि को रोकने के संबंध में शासन द्वारा की गयी घोषणा का कार्यान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष जी, विगत सत्र में शासन द्वारा दो घोषणाएं की गयी थीं। पहली घोषणा आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस के बारे में थी और दूसरी घोषणा बिजली की दरों में वृद्धि के बारे में थी । आग्नेयास्त्रों पर पिछले दिनों से बिल्कुल लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है साथ ही उनके नवीनीकरण के बारे में रोक लगी है। इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया तो सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि केन्द्र सरकार का मामला है उनको लिखा जायेगा एक तो यह मामला था। दूसरा यह था कि जो बिजली का टैरिफ है उसकी अंधाधुंध वृद्धि कर दी थी तब हम लोगों ने यह बात कही थी कि इसे कम किया जाय साथ ही साथ यह कहा था कि कनेक्शन काटे जा रहे हैं । सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि पुनर्विचार किया जायेगा जब तक नयी घोषणा नहीं होती तब तक किसी का कनेक्शन नहीं काटा जायेगा। यह बड़ा महत्व-पूर्ण मामला था। आज पूरा प्रदेश इस बारे में जिज्ञासा रखता है। (व्यवधान) बिजली के रेट में क्या हुआ, कनेक्शन के ऊपर क्या हुआ ? हमें जानकारी मिली है कि टैरिफ पर पुनर्विचार करने के लिए कमेटी तो बना दिया लेकिन कमेटी वही है जिसने टैरिफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बढ़ाया था तो जिसने बढ़ाया उसको पुर्नविचार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए । इन दोनों बातों के ऊपर सरकार ने जो निर्णय लिया है उससे सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

(श्री प्रमोद कुमार और संसदीय कार्य मंत्री एक साथ ही बोलने के लिये खड़े हो गये।)

उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन द्वारा प्रकाशित टेलीफोन डाइरेक्टरी के लघु संस्करण में नेता विरोधी दल का नाम अंकित न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अभी आपने देखा कि यह सरकार विपक्ष की आवाज को सुनना ही नही चाहती है, आप मुझे इंगित कर रहे हैं और संसदीय कार्यमंत्री खड़े हो रहे हैं। मान्यवर, एक प्रकरण यह कुछ इस प्रकार का है, इसे आप देख लें । सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा यह टेलीफोन निर्देशिका छपाई गयी है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सम्मानित सदस्य से निवेदन करूंगा कि इसमें आपकी भावना के अनुसार निर्णय लिया जा चुका है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह विपक्ष को सम्मान नही देना चाहते हैं, इनकी करतूत तो बता दें, इनके इरादे कितने नापाक हैं, इन्होंने जानबूझकर नेता विरोधी दल का नाम इसमें नहीं छापा है जब कि मुख्यमंत्री से लेकर उप सचिव तक का नाम और नम्बर इसमें है । इसमें जानबूझकर नेता विरोधी दल को अपमानित करने की नीयत से यह किया गया है। मान्यवर, आप इनको निदेश दें कि तत्काल नाम इसमें छपवायें और जिसने नाम नहीं छपवाया है उसके लिए कम से कम संसदीय कार्य मंत्री खेद प्रकट करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह इसका छठा संस्करण है इसके पहले 5 संस्करण और निकल चुके हैं जो परम्परा 5 संस्करण में थी वही छठी में लागू है। इसमें न कुछ एडीशन किया गया है और न ही घटाया है। तिवारी जी पहले अपने कार्यकाल की परम्पराओं का ज्ञान कर लें, यह हमारा अनुरोध है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, तब नेता विरोधीदल का नाम तय नही हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष–

दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण उपलब्ध करा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने तथा बिजली की दरों में वृद्धि को रोकने के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गयी घोषणा का कार्यान्वयन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न
(क्रमागत)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

आप हमारे विद्वान साथी हैं आज इस पद का निर्वाचन हुआ है और अभी लेखानुदान भी पास होना है । मैं समझता हूं कि गुप्ता जी जैसे विद्वान सदस्य इसमें अनावश्यक समय बर्बाद नहीं करेंगे। यह नियमावली के नियम में है। नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचना आती है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है।

*श्री पंचानन राय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न जब एक कार्य खत्म हो जाय तो बाद में उठाया जा सकता है, बीच में नहीं उठता है।

श्री उपाध्यक्ष–

बीच में उठ सकता है।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नहीं उठ सकता है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इनको डांटिये, कहते हैं कि नहीं उठ सकता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जानकारी मांगने के लिये नहीं उठाया जा सकता है, गुप्ता जी भलीभांति जानते हैं। लेकिन फिर भी गुप्ता जी चूंकि संसदीय परम्पराओं में माहिर हैं, इसलिए कहीं न कहीं से फंसाने का काम करते हैं । उन्होंने जो ध्यान आकर्षित किया है वह नियम 300 में नहीं आता, लेकिन कल ही आग्नेयास्त्रों के बारे में सरकार ने घोषणा कर दी थी, संभवतः गुप्ता जी नहीं थे, नहीं तो आज इसको लाने की जरूरत न पड़ती। मैं इसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं समझता । कल जब घोषणा की गयी थी तो पूरा सदन इससे सहमत था, संतुष्ट था । श्रीमन् जहां तक बिजली की दरों की बात है, मा0 मुख्य मंत्री जी ने पुनर्विचार का आश्वासन दिया है । यह नियम 300 में नहीं आता । गुप्ता जी जो जानकारी चाहते हैं, वह दी जा चुकी है।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मा0 गुप्ता जी के औचित्य के सवाल पर स्पष्टीकरण देने के लिये मा0 मंत्री जी खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि गुप्ताजी ने सदन का समय खराब किया । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि अगर किसी नियम में कोई सम्मानित सदस्य प्रश्न उठाता है तथा जो जनहित का सवाल है, इनके दोनों सवाल जनहित के हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आग्नेयास्त्र जनजीवन की सुरक्षा से संबंधित हैं और बिजली की दर से इतनी बेचैनी है औद्योगिक इकाइयों में, इन्होंने दोनों महत्वपूर्ण सवाल औचित्य के रूप में उठाए और संसदीय कार्य मंत्री ने खड़े होकर कहा कि गुप्ता जी ने सदन का समय बर्बाद किया। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमने गुप्ताजी की तारीफ भी की है। वह शायद इनको याद नहीं है। चूंकि समय सीमित है, इसलिये ऐसी बात कही है। इनको तारीफ याद नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी सूचना को पढ़ें। मैंने नियम का हवाला देते हुए कहा था कि यह नियम 300 में नहीं आता लेकिन तर्क दिया था कि यह तीन दिन का सत्र था, आज छुट्टी हो जायेगी और दोनों विषय ऐसे हैं जो जनहित से संबंधित हैं। बिजली के बारे में मा0 मंत्री जी ने एक बात कही कि सरकार पुनर्विचार कर रही है तो पुनर्विचार करने की कोई अवधि होनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण मामला है जो पूरे प्रदेश के जनजीवन को स्पर्श करता है। इसका परिणाम यह होगा कि पूरे प्रदेश की औद्योगिक इकाइयां प्रभावित हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुनर्विचार करना वैसे तो सतत् प्रक्रिया है और हर मामले में पुनर्विचार होता है, लेकिन यह बिजली का विशेष मुद्दा है जिस पर पूरे सदन की जिज्ञासा है तो पुनर्विचार की प्रक्रिया कब तक चलेगी और कब तक सरकार टैरिफ घोषित करेगी। दूसरे जिस कमेटी ने यह काला नियम बनाया था, इसका मामला उसी कमेटी को फिर से सौंप दिया है, तो शासन साफ-साफ बताये कि पुनर्विचार कब तक हो जायगा ? इसी तरह से आग्नेयास्त्र के बारे में केन्द्र सरकार से क्या बात हुई, यह बतावें? जहां तक सदन का समय बर्बाद करने की बात है, यह संसदीय कार्य मंत्री का सम्पुट हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने बोलने का अवसर दे दिया तो सदन के समय की रक्षा करना या उसकी बर्बादी हो रही है यह देखना आपका विवेक था। आपको देखना चाहिए था। यह आक्षेप उन्होंने आप पर किया है। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

नवीनतम जानकारी आपके पास जो हो, दोनों बिन्दुओं पर, आप दे दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जनहित में जो आवश्यक होगा, शीघ्र निर्णय लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी का मामला सदन की एक समिति के समक्ष लम्बित है अतः इसमें अध्यक्ष पीठ से निर्णय देना सम्भव न होगा, लेकिन शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय कि वह इस पर मुनासिब कार्यवाही करे।

(मद संख्या–6 पुकारे जाने तथा किसी मंत्री के खड़े न होने पर)

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार मैदान छोड़कर भाग गयी है, आपने दो बार पुकारा, कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई मंत्री सामूहिक जिम्मेदारी का भी पालन नहीं कर रहा है।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अभी आपको मालूम हो जायेगा कि क्या हुआ है?

श्री अमर मणि–

मान्यवर, कुछ पता तो चले क्या हो गया है?

विधान परिषद् के सभापति श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित के निधन की सूचना

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)–

माननीय सभापत्त, विधान परिषद् का देहान्त हो गया है, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी को अभी-अभी पता लगा, वो वहीं गये हैं। कोई सवाल समझबूझकर ही उठाना चाहिए ।

श्री अमर मणि–

यह तो आपसे अभी ही जानकारी मिली है।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, परिषद् के अध्यक्ष का मामला है और सदन चल रहा है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, माननीय सभापति, विधान परिषद् का निधन हो गया है और सदन चल रहा है। इस दुखद समाचार के बाद तो सदन के चलने का कोई औचित्य नहीं है। इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह तो आपके ऊपर है, जैसा चाहें।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मान्यवर, यह दुखद सूचना है, सदन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अभी आप चाहें तो 1–2 घंटे के लिए स्थगित कर दें । पूरी जानकारी सदन को चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

एक घंटे के लिये सदन स्थगित किया जाता है।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित कर दी । तदोपरान्त 2 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

विधान परिषद् के सभापति श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित के निधन पर शोकोद्गार लिए जाने तथा सदन को स्थगित किये जाने की मांग

(मद संख्या–6 पुकारे जाने पर श्री मुईद अहमद, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री पंचानन राय, श्याम सुन्दर शर्मा सहित अन्य कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

*श्री पंचानन राय–

मान्यवर, एक बार इसी तरह की घटना हुयी थी, जब बैजनाथ कुरील जी का निधन हो गया था, तब भी हाउस को स्थगित कर दिया गया था, अभी जब 5 तारीख को बजट प्रस्तुत किया जाना था, तो केशव प्रसाद जी की मृत्यु हो जाने के लिए बजट को 6 तारीख के लिए स्थगित किया गया, इसलिए आज भी हाउस को तुरन्त स्थगित किया जाना चाहिए। चूंकि विधान परिषद् के सभापति का निधन हो गया है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सारा काम रोककर पहले शोक प्रस्ताव लाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, जो आप लोग कह रहे हैं, उसके बारे में अधिकृत सूचना मंगाई जा रही है। अभी मेरे कक्ष में सभी दलों के माननीय सम्मानित सदस्यगण बैठे थे और वहां यह निश्चित हुआ है कि पहले वहां से अधिकृत सूचना आ जाय और यदि सही है तो कार्यवाही को तुरन्त रोक दिया जायगा, तब तक कार्य सम्पादित होने दें।

(इसके बाद विरोध पक्ष के तमाम सदस्य एक साथ खड़े होकर जोर-जोर से अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर-व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री पंचानन राय–

सूचना तो अब आ चुकी है, अब सूचना की कौन सी बात है ? माननीय कारागार मंत्री जी ने खुद यहां पर बताया कि श्री दीक्षित का निधन हो गया है, इस बात को अब पूरा सदन जानता है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने आप यह कैसे समझ ले रहे हैं कि यह अधिकृत है मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक अधिकृत सूचना न आ जाये, तब तक इसे कैसे मान लिया जाय?

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6 से मद संख्या–13 तक सभी सदन के पटल पर रखी मानी जायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वर्ष 1990 के प्रथम सत्र (दि0 10-1-90 से 17-1-90 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण एवं शुद्धि पत्र*

*सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (अष्टम संस्करण) के निदेश 14(3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1990 के प्रथम सत्र (दिनांक 10 जनवरी, 1990 से 17 जनवरी, 1990 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण एवं शुद्धि-पत्र सदन के पटल पर रखा।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988‡

*हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या-1586/26-2-88-15(6)-83, दिनांक 13 मई, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988 जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 27 सितम्बर 1989 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान एवं विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 की धारा (54) (1) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखा।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (पांचवा संशोधन) नियमावली, 1990‡

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

सहकारिता अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1577 सी0 (आई0 एफ0 सी0)/12 सी-1-भू0-71-76, दिनांक 22 जनवरी, 1990 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (पांचवा संशोधन) नियमावली, 1990 को उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

यू0 पी0 स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लि0 का 16वां एवं 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 एवं 1985-86†

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

यू0 पी0 स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का 16वां एवं 17वां वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

---

*सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

†छापा नहीं गया।

‡छापी नहीं गयीं।

दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लि0 की तिरसठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 ‡

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की तिरसठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 लि0 की वार्षिक रिपोर्ट 1987-88 ††

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 1987-88 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 1989 ††

*ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

पंचायती राज अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-5517/33-1-1 (95) 87, दिनांक 13 अक्तूबर, 1989 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 1989 को यू0 पी0 पंचायत राज एक्ट, 1947 की धारा 110 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990

***सचिव विधान सभा–**

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखा ।

(इस पर कई सदस्य पुनः अपने स्थान पर खड़े हो गये और जो-जोर से बोलने लगे)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, आपकी इतनी बड़ी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जायगी, आपको खुद अपने विवेक से सोचना चाहिये, एक आदमी की लाश पड़ी है और आप यहां सदन चला रहे हैं, आप सत्ता पक्ष से प्रभावित होकर ऐसा कर रहे हैं ।

(कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य अध्यक्षासन के समीप पहुंच गये और व्यवधान करने लगे)

(मद संख्या 18 पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

---

*सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया ।

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी ।

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

*संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 की धारा-3 की उप धारा (2) के खण्ड (ङ) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 की धारा-3 की उप धारा (2) के खण्ड (ङ) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(लगातार घोर व्यवधान)

वित्तीय वर्ष, 1989-90 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

*संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संगत उपबन्धों को निलम्बित करते हुए और श्री राज्यपाल की सिफारिश से विधान सभा की आज दिनांक 7 मार्च, 1990 का कार्यसूची की मद संख्या 20 की उपमदों (1) लगायत (83) में उल्लिखित अनुदान संख्या 1 लगायत 20, 22 लगायत 30, 32 लगायत 40, 42 लगायत 66, 70 लगायत 75, 75-क, 77 लगायत 83, 85, 86 और 88 लगायत 91 के अन्तर्गत समस्त अनुपूरक मांगें जो सदन में प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण में उल्लिखित हैं और जिनका कुल योग 6 अरब, 22 करोड़ 59 लाख, 65 हजार रुपये हैं, वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए स्वीकार की जाय जो कि निम्नवत है :–

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य अध्यक्षासन के समीप खड़े रहे और जोर-जोर से नारे लगाने लगे ।)

(शोर)

(1) अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अंतर्गत 1, 11, 57, 000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(2) अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अंतर्गत 75, 92, 000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(3) अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अंतर्गत 13, 15, 23, 000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(4) अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अंतर्गत 49,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(5) अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 5,14,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(6) अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अंतर्गत 1,21,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(7) अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अंतर्गत 12,83,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(8) अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अंतर्गत 6,64,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(9) अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 85,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(10) अनुदान संख्या 10—ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 96,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(11) अनुदान संख्या 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अंतर्गत 6,87,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(12) अनुदान संख्या 12—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अंतर्गत 18,84,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(13) अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अंतर्गत 24,37,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(14) अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अंतर्गत 10,73,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(15) अनुदान संख्या 15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अंतर्गत 10,65,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(16) अनुदान संख्या 16—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अंतर्गत 52,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(17) अनुदान संख्या 17—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अंतर्गत 71,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(18) अनुदान संख्या 18—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अंतर्गत 11,56,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(19) अनुदान संख्या 19—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अंतर्गत 15,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(20) अनुदान संख्या 20—कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत 37,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(21) अनुदान संख्या 22—खाद्य तथा रसद विभाग के अंतर्गत 6,73,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(22) अनुदान संख्या 23—खेल विभाग के अंतर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(23) अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अंतर्गत 1,20,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(24) अनुदान संख्या 25—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 9,95,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(25) अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) के अंतर्गत 23,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(26) अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (पुलिस) के अंतर्गत 71,33,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(27) अनुदान संख्या 28—गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत 13,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(28) अनुदान संख्या 29—गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अंतर्गत 5,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(29) अनुदान संख्या 30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत 4,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(30) अनुदान संख्या 32—चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 77,07,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(31) अनुदान संख्या 33—चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अंतर्गत 9,11,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(32) अनुदान संख्या 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,33,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(33) अनुदान संख्या 35-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 15,47,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(34) अनुदान संख्या 36-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 45,76,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(35) अनुदान संख्या 37-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 26,72,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(36) अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 32,81,000 रुपये अनुपूरक मांग ।

(37) अनुदान संख्या 39-नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 5,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(38) अनुदान संख्या 40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,92,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(39) अनुदान संख्या 42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,46,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(40) अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,66,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(41) अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 1,11,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(42) अनुदान संख्या 45-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 50,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(43) अनुदान संख्या 46-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 7,11,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(44) अनुदान संख्या 47-पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 21,29,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(45) अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 9,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(46) अनुदान संख्या 49-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 3,17,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(47) अनुदान संख्या 50-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 1,97,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(48) अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 16,96,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(49) अनुदान संख्या 52-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 21,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(50) अनुदान संख्या 53-वन विभाग के अन्तर्गत 10,48,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(51) अनुदान संख्या 54-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 28,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(52) अनुदान संख्या 55–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तों तथा पेंशन) के अन्तर्गत 16,77,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(53) अनुदान संख्या 56–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अंतर्गत 5,89,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(54) अनुदान संख्या 57-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 11,62,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(55) अनुदान संख्या 58-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 3,41,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(56) अनुदान संख्या 59-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 4,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(57) अनुदान संख्या 60-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(58) अनुदान संख्या 61-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 22,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(59) अनुदान संख्या 62-विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(60) अनुदान संख्या 63–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत 81,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(61) अनुदान संख्या 64-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 2,40,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(62) अनुदान संख्या 65-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 9,64,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(63) अनुदान संख्या 66-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 38,46,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(64) अनुदान संख्या 70-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 3,73,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(65) अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 11,42,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(66) अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 80,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(67) अनुदान संख्या 73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 5,04,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(68) अनुदान संख्या 74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 1,55,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(69) अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 8,06,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(70) अनुदान संख्या 75-क-सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 5,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(71) अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 7,76,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(72) अनुदान संख्या 78-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 35,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(73) अनुदान संख्या 79-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत 6,85,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(74) अनुदान संख्या 80-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकरण) के अन्तर्गत 31,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(75) अनुदान संख्या 81-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 21,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(76) अनुदान संख्या 82-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 7,71,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(77) अनुदान संख्या 83-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 72,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(78) अनुदान संख्या 85-सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 2,09,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(79) अनुदान संख्या 86-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 56,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(80) अनुदान संख्या 88-सूचना विभाग के अन्तर्गत 4,32,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(81) अनुदान संख्या 89-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 56,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(82) अनुदान संख्या 90-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत 3,29,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(83) अनुदान संख्या 91-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अंतर्गत 3,10,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अच्छा मैंने कागज नीचे रख दिया है । अब आप लोग अपने अपने आसन ग्रहण कर लें । मैं आगे की कार्यवाही नहीं लूंगा ।

(घोर व्यवधान)

(विरोध पक्ष के काफी संख्या में सदस्यों द्वारा अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने का प्रयत्न करने एवं सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा उन्हें रोकने का प्रयत्न करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शोक नहीं मना रहे हैं, बल्कि राजनीति कर रहे हैं ।

(लगातार घोर व्यवधान)

प्रश्न यह है कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संगत उपबंधों को निलम्बित करते हुए और श्री राज्यपाल की सिफारिश से विधान सभा की आज दिनांक 7 मार्च, 1990 की कार्यसूची की मद संख्या 20 की उपमदों (1) लगायत (83) में उल्लिखित अनुदान संख्या 1 लगायत 20, 22 लगायत 30, 32 लगायत 40, 42 लगायत 66, 70 लगायत 75, 75-क, 77 लगायत 83, 85, 86 और 88 लगायत 91 के अंतर्गत समस्त अनुपूरक मांगें जो सदन में प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण में उल्लिखित हैं और जिनका कुल योग 6 अरब, 22 करोड़, 59 लाख, 65 हज़ार रुपये है, वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए स्वीकार की जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1990

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90) का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 136 पर ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायं ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यव, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90) का द्वितीय अनुपूरक विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1990-91 का अन्तरिम आय-व्ययक एवं उसके एक भाग के लिए लेखानुदान

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, मद संख्या 25 और 26 एक साथ ले लें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

ठीक है, मान्यवर ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1990-91 का अंतरिम आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1990-91 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित कर दी जायं ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

वित्तीय वर्ष 1990-91 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1990-91 के माह अप्रैल, मई, जून, तथा जुलाई, 1990 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण, जो 7 मार्च, 1990 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1 से 5 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 30 अरब, 6 करोड़, 59 लाख, 78 हजार रुपये से अधिक न हो ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित कर दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1990-91 के माह अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई 1990 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण, जो 7 मार्च, 1990 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1 से 5 में दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 30 अरब, 6 करोड़, 59 लाख 78 हजार रुपये से अधिक न हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 145 पर ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित कर दी जाय ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(अध्यक्ष आसन पर घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(अध्यक्ष आसन पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इनको क्षेत्र से हटाया है, यहां से भी हटाओ ।

सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किये जाने की सूचना

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है ।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 35 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
7 मार्च, 1990

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए ता0प्र0सं0 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 26 पर)

कृषि प्रसार सेवा संगठन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के मांग पत्र, दिनांक 5-12-89 में उल्लिखित मांगें:-

(1) समता समिति द्वारा उत्पन्न की गई वेतन विसंगति के परिपेक्ष्य में किसान सहायक, कृषि प्रसार सगठन एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ को केन्द्र सरकार के कृषि विभाग के समकक्ष पदों के समान वेतन दिया जाये।

(2) कृषि प्रसार संगठन में प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना के कार्यरत किसान सहायक (अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3) को डाइग कैडर घोषित करते हुए कृषि प्रसार अधिकारी पद नाम किया जाय।

(3) केन्द्र सरकार के कृषि विभाग में कार्यरत कृषि तकनीकी कर्मचारियों की भांति 5 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नति वेतनमान दिया जाय।

(4) अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग नाम को समाप्त करते हुए कृषि तकनीकी सेवा संवर्ग नामित किया जाय तथा केन्द्र सरकार के कृषि विभाग की भांति कृषि तकनीकी सेवा नियमावली लागू की जाय।

(5) केन्द्र सरकार के कृषि प्रसार निदेशालय की भांति उ0 प्र0 सरकार में भी कृषि प्रसार निदेशालय अलग से स्थापित किया जाय।

(6) एकल सूत्रीय नियत्रण व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षण एव सम्पर्क योजना को पूरे प्रदेश में तत्काल लागू किया जाय।

(7) कृषि प्रसार संगठन के पदों को शिक्षण एवं सम्पर्क योजना में कार्यरत कर्मियों की प्रोन्नति से प्रथम भरा जाये। इसके उपरांत कृषि ही विभाग की सेक्शन विहीत करते हुए समान रूप से सभी अनुभागों के कृषि कर्मियों से भरा जाय।

(8) कृषि विभाग में तीन वर्ष से अधिक निरन्तर चलने वाले समस्त पदों को शासनादेश सं0-1018/1980-कार्मिक-1, दिनांक 29-4-80 के अन्तर्गत तत्काल स्थाई किया जाये।

(9) सिचाई विभाग के भूतपूर्व सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक जिन्हें वर्तमान में कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 में समायोजित किया गया है, को उनकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता दी जाये।

(10) कृषि विभाग के प्रतिनियुक्ति पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को शासनादेश सं0-19/8।1980-कार्मिक-1, दिनांक 20-4-89 के अन्तर्गत उनके मूल विभाग को वापस किया जाय या उन्हें कृषि विभाग में स्थाई रूप से विलीन किये जाने का शासनादेश किया जाय।

(11) प्रशिक्षण एव सम्पर्क योजना में कृषि प्रसार संगठन एवं वस्तु विशेषज्ञ जो नियमित यात्राए करते हैं, को भी नियत यात्रा भत्ता दिया जाये।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 49 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री पंचानन राय अतारांकित प्रश्न संख्या 45 का संलग्नक ।

क्रम-संख्या	नाम	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	नाम	ग्राम का नाम
	सर्वश्री:--		34	बरसाती यादव	गोपई
1	श्रीमती चनरी देवी	पण्डकुण्डा	35	श्री प्रहलाद मिश्र	पूनापार
2	मुन्नी लाल	महला	36	इन्द्रपाल सिंह	जमीन मेघई
3	सांगु सिंह	मेघईखास	37	दसई यादव	वटसरा
4	राजदीन राम	जमीन हरखोरी	38	मुनीब यादव	बेलसर
5	वीरबहादुर सिंह	पूनालार	39	अम्बिका यादव	लठइया
6	लौटन	भदाव	40	पारसनाथ राम	चौका खुर्द
7	रामपटी यादव	महरौली	41	बजई	मझौवा
8	रामनरायन यादव	बालीपुर	42	शौकत अली	दाउतपुर
9	श्रीमती चित्रकला	बड़ागांव	43	रामचन्द्र राय	मोहम्मदपुर
10	रामसकल सिंह	हरखोरी	44	चन्द्रदेव	बटसरा
11	सज्जन	महुला	45	मोती यादव	लुचुई
12	हरपत यादव	लेजफारूपुर	46	अतवार	बिलसादपुर
13	साहब सिंह	अकीमाबाद	47	गनपत	बलुआ
14	कोमल	दहाई	48	गोपी	मुहम्मदपुर
15	लालधारी यादव	मकिनापुरभटौली	49	फौजदार	धौलीपुर
16	मेवालाल	कपारगढ़	50	भीमल यादव	बनौरीमनाथपुर
17	रामदीन	कापरगढ़	51	जंगली राम	सोकहना
18	देवेन्द्र पाठक	पूनापार	52	पखंडी यादव	अरीखपुर
19	चन्द्रिका सिंह	साल्हेपुर	53	अमीका	दिलसादपुर
20	कुबेर सिंह	कजरादिलसादपुर	54	चैतु कोहार	बोझयाचांदपर
21	वीरेन्द्र राय	मालहार	55	नूरूलछूदा	कोठिया
22	खेदन राम	फरीदपुर	56	हसनरजी	पारीपडही
23	वागीश पांडे	जोत परषोत्तम	57	झिल्लर यादव	मानिकपुर
24	बगेद सिंह	लूचूई	58	विन्ध्याचल राम	मसोना
25	अशोक कुमार सिंह	अठनारू	59	खरभान	बरमा
26	सूर्यनाथ सिंह	साल्हेपुर	60	नेउर	टडवा
27	रामलखन सिंह	घाघरा	61	रामरूप चौहान	भरौली
28	मू0 मोवीन	घौरहरा	62	त्रिलोकी राय	मसोना
29	राम सबच	महावरगढ़	63	चन्द्र विनोद सिंह	जमीन नरहन
30	सामूसिंह	पनराबदा	64	जगदीश नरायन तिवारी	बिसुनपुर
31	विश्राम सिंह	द्वपरा	65	राजेन्द्र मिश्र	पूनापार
32	कुबेर सिंह	छठनारू	66	अनूप	मेघईखास
33	अतवारू	सिकरौरा	67	पुरुषोत्तम	जमीनहरखोरी

1	2	3	1	2	3
68	कपिलदेव सिंह	बरमा	76	तषसी	टकनगाठा
69	फिरंगी यादव	बनौरामनाथ	77	खदन	अहिरौली
70	कुबेर मिश्र	सौली	78	विश्वनाथ यादव	चेंगईपुर
71	रामप्रसाद	बासूपार	79	रामचरन सिंह	टेकनपुर
72	सईद खां	काजी की डिछानिया	80	रामसुधीरन	डिथवनिया काजी
73	चिल्लर यादव	चंगईपुर	81	शंकर	जमीन सिकरौरा
74	दशरथ	आसपुर	82	भिनगी	सुकैना खालसा
75	शलश राय	मालहारी			

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 49 पर)

जनपद आजमगढ़ में विकास खंड में सिंचाई पम्पिंग सेट हेतु विद्युत कनेक्शन के लिये 31 दिसम्बर, 89 तक लम्बित आवेदन पत्रों की सूची ।

क्रम सं0	नाम	ग्राम का नाम	क्रम सं0	नाम	ग्राम का नाम
	सर्वश्री				
1	रमाशंकर शुक्ल	अजगरा	21	श्रीमती जनक रानी	सेठाकोली
2	पंचम राय	मसरकी	22	श्यामजी सिंह	रसूलपुर
3	लौटू यादव	सहनुपुर बनकटा	23	बंशराज सिंह	आगतपुर
4	रामआश्रय राय	खेतापुर	24	अभिमन्यु सिंह	करखिया
5	वीर बहादुर राय	,, ,,	25	चण्डी प्रसाद	हसनपुर
6	फूलचन्द्र राय	गांगेपुर	26	वासुदेव शुक्ल	रौनापार
7	लालचन्द यादव	कुस्सौली	27	रामसूरत यादव	जमुआसागर
8	आत्माराय	संरगहाजमुनीभाड़	28	श्रीमती बुल्कीदेवी	हरैया
9	गौरीशकर राय	बछऊरखुर्द	29	रामवृक्ष मौर्य	कोईराना
10	रामनाथ	पिहार	30	श्रीमती मुसामात मंगरी	बनाव
11	शेखरज यादव	हाजीपुर	31	रवि गौड़	नैनीजोर
12	सुरेश सिंह	अजगरा मसरकी	32	श्यामाचरण यादव	भैराड़
13	राम बचन	पूरावल नरायण	33	भगवती	हासपुर
14	वदरी	,, ,,	34	राम नरायन सिंह	मसुरिया
15	विन्ध्याचल शर्मा	नौली	35	रामदेव सिंह	कादीपुर
16	बहादुर	पूरावलनरायण	36	रामसमुझ सिंह	तुलापार
17	बनवारी	पहाड़पुर	37	सूर्यनाथ राय	हरैया
18	चन्द्रभानसिंह	जमीनवेलकुण्डा	38	फूलबदन राय	मऊकुतुबपुर
19	चिखुर प्रसाद	,, ,,	39	राम सेवक सिंह	सेवराकुण्ड
20	मु0 याकूब	तुरकौली	40	श्रीमती रोरी देवी	महडवड़ का पुरा

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'घ'

(देखिए अता 0 प्र 0 सं 0 65 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 57 पर)

दिनांक 1-12-89 से 8-1-90 के बीच धारा 302, 304, 307 एवं 392 के अन्तर्गत पंजीकृत हुए अभियोगों का थानावार विवरण--जनपद लखनऊ ।

नाम थाना	302	304	307	392
मलीहाबाद	—	1	2	1
माल	—	—	—	—
काकोरी	1	—	1	—
मड़ियांव	2	—	—	—
बक्शी का तालाब ..	1	—	—	—
इटौंजा	—	—	—	—
चिनहट	2	—	2	—
गोशाईगंज	3	—	8	1
मोहनलालगंज	2	—	—	—
नगराम	1	—	—	—
बन्थरा	2	—	—	—
निगोहा	—	—	—	—
चौक	1	—	4	—
वजीरगंज	—	—	—	—
बाजार खाला	2	—	—	—
सआदतगंज	1	—	1	—
तालकटोरा	1	—	—	—
महानगर	1	—	—	—
गाजीपुर	—	—	—	—
हसनगंज	1	—	1	—
अलीगंज	1	—	—	2
हजरतगंज	—	—	—	—
कैंट	—	—	—	—
हुसैनगंज	1	—	—	—
कैसरबाग	—	—	—	3
अमीनाबाद	2	—	—	1
नाका	1	—	1	1
आलमबाग	1	—	—	—
कृष्णानगर	1	1	1	2
सरोजनी नगर	—	—	—	—
योग ..	28	2	21	11

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 68 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री पंचानन राय के अतारांकित प्रश्न संख्या 68 का सलग्नक।

क्रम-संख्या	नाम	ग्राम का नाम	क्रम संख्या	नाम	ग्राम का नाम
	सर्वश्री---				
1	संत विजय सिह	बरोही	33	धरमु यादव	तेंदुवा
2	लल्लू यादव	बहौला	34	रामप्रवेश	गुलउर
3	हम्मार अली	बिलरियागंज	35	महातम राय	आखापुर
4	बल्लो	बरोही	36	सुरेसर	खरगपुर
5	बाबूलाल	बिलरियागंज	37	महाबुल यादव	जिगीना
6	हरेन्द्रकुमार सिह	गद्दीपुर	38	घूराराम	मधुवन
7	केशवप्रसाद नायक	बरोही	39	पांचू यादव	मसीरपुर
8	अब्दुल नसीम	जयराजपुर	40	शम्भु नारायन	पटवध
9	रामअवध मौर्य	अमरालादेह	41	मोती राम	मधनापार
10	बैजू यादव	जोलहापुर	42	अपवल सिह	भलवाई
11	मान बहादुर सिह	नुरुद्दीनपुर	43	कांतायादव	बर्जो हजियापार
12	अशोककुमारसिह	,, ,,	44	फैय्याज अहमद	खालिसपुर
13	श्रीमती सुग्गीदेवी	पचखौरा	45	श्री भान	गड़वल
14	श्रीमती धपिया	अकबरपुर	46	लालचन्द्र	जोलहापुर
15	रमेश सिह	भलुवाई	47	तौफीक अहमद	नुरुद्दीनपुर
16	हाजी	बिदवल	48	श्रीमती परमीला	बरोही
17	लालसा यादव	गधनपुर	49	खुनखुन	पटवध
18	इन्द्रासन राय	नेमोरिया	50	रामकुमार	बेगपुर
19	शशी प्रकाश	मसीरपुर	51	उदयराज सिह	घरसान
20	रामचेत	खानपुर	52	मुमताज अहमद	खालिसपुर
21	रघुवंश राय	मंदुरी	53	बरसाती यादव	भवनपुर
22	दूधनाथ यादव	फुल्हेरा	54	सनवारी	बिलरियागज
23	उमाशंकर सिह	वर्मापुर	55	बरसाती यादव	भवनपुर
24	श्रीकांत राय	इस्माइलपुर	56	तेरही राम	विजयापार
25	वीरेन्द्र कुमार सिह	विजयापार	57	रामबदन	कुर्वीपुर
26	सतलाल	खानपुर	58	रामकेवल पा0	भवनपुर
27	चन्द्रसेन यादव	टण्डवा	59	सुभाषराय	मन्दूरी
28	चंद्रपति	अण्डाखोर	60	हरिश्चन्द्र	सियरहा
29	अम्बिका सिह	हरिरामपुर	61	छोटक	कलरही
30	श्रीमती मेवाती देवी	लल्लूपुर	62	मो0 अजीम	बनकट
31	रामलाल सिह	गढ़वल	63	रामसूरत सिह	चमीनपड़री
32	गोविन्द	जोलहापुर	64	नयन सिह	हरिरामपुर

1	2	3	1	2	3
सर्वश्री					
65	रामलगन पा0	बरौंही	72	छकुरी	धरसन
66	गनश यादव	फुलेहरा	73	रामनगीना सिंह	खानपुर भगलपट्टी
67	सूढ़ू यादव	कपसा	74	शिव असरे राय	जिगिनाकर्मनपुर
68	शम्ह आलम	जयराजपुर	75	हरिश्चन्द्र राय	पचखौरा
69	प्रेम सुखराम	सौरा	76	लालचन्द्र यादव	गहानपुर हिच्छनपट्टी
70	राजेश कुमार	जोलहापुर	77	रामजीत	टड़वा
71	बैजनाथ यादव	रामपुर			

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ब'

(देखिए अता0प्र0 सं0 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	कोड संख्या	फून संख्या
1	रानीपुर तरौंहा	123	गैर आबाद
2	सकरौली	132	1123
3	डिघरी	133	गैर आबाद
4	दलपतपुर	134	गैर आबाद
5	गदरहा	135	गैर आबाद
6	कौहारी	136	427
7	खेरी	138	240
8	चिल्ला माफी	142	533
9	रंगौली	143	1201
10	कंचनपुर	144	गैर आबाद
11	लक्ष्मणपुर	145	गैर आबाद
12	लौढ़िया खुर्द	146	575
13	लौढ़िया बुजुर्ग	147	264
14	इटरौर भीखमपुर	148	397
15	बनवारापुर	149	215
16	कोटूपुर	151	गैर आबाद
17	अमरपुर	152	27
18	कोटा	153	25
19	छिपानी बेहरा खेरा	156	437
20	मीतो खैरा कांडी खैरा	160	597
21	शीतलपुर काहनस	162	103
22	मरकौरी	166	489
23	पाही	170	623
24	मरजादपुर	172	157
25	गढ़ीवा	174	256
26	खमरहिया	181	686
27	कोलांहा माफी	182	82
28	बनदरी	183	437
29	शिरखौरी	185	124
30	ढौलबजा	186	176
31	सभापुर	187	347
32	बराच	188	326
33	पीतूपुर	189	गैर आबाद
34	मैनहोई माफी	190	1054
35	मछरिहा	193	563
36	भागा	194	गैर आबाद

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
37	बगलई	199	938
38	बीरा सिस्फ	201	34
39	कल्ला	202	429
40	चरनगुर बाबा	203	305
41	कादरगंज	206	624
42	बाखमाफी	207	870
43	दहनी	208	647
44	पहाड़ी बुजुर्ग सामी	209	585
45	भभोर	210	524
46	मकरी पहरा	211	614
47	मकरी पालदेव	212	214
48	गढ़ीघाट	213	751
49	डोमने खेरा	214	198
50	महुंटा रुपौली	216	209
51	गोबरिया	218	58
52	चन्द्र गहना	219	385
53	नरायनपुर	221	338
54	चकमाली	222	90
55	बरकोल	224	गैर आबाद
56	रानीपुर भट्ट	228	420
57	अहमदगंज	229	159
58	भबई	230	722
59	चकला राजरानी	231	67
60	गोपालपुर	233	250
61	खजुरिहा	234	383
62	रहुंटा	236	871
63	भरतपुर पहरा	237	265
64	भारतपुर भसौन्ध	239	447
65	अमीनपुर छिवलहा	243	286
66	शिवराजपुर माफी	245	164
67	मवई पहरा	246	50
68	मवई तरांव	247	43
69	शिवराजपुर पहाड़	248	गैर आबाद
70	पहरा	249	2483
71	भीखमपुर	250	235
72	बैहर	251	488
73	दुगवा	252	732
74	रामपुर पालदेव	253	98
75	खरैंइहा	255	262
76	छपरा माफी	257	1147
77	हरसौली	260	23

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
78	रानापुर खाकी	261	395
79	चकलोहासर	264	38
80	चकभूपत	265	278
81	ठर्रा	266	357
82	भगनपुर	267	523
83	सिमरिया जगन्नाथ बासी	268	1108
84	चकला चक मोगरी माफी	269	गैर आबाद
85	चकमोंगरी माफी	270	गैर आबाद
86	बाबूपुर	271	गैर आबाद
87	चिमा गोकुलपुर	273	801
88	चकला सीतापुर	274	गैर आबाद
89	किला बाग	275	गैर आबाद

विधान सभा सचिवालय पटना

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या
1	बिलास बांगर	1	627
2	चिल्लामल बांगर	2	1743
3	चांदी बांगर	3	670
4	तीरघुमाई गंगू बांगर	4	692
5	बीरघुमाई सुरकी	7	076
6	बसन्तपुर	1	178
7	गाहाना खुर्द	13	2
8	बसहर	17	351
9	रामपुर	18	219
10	पिलखिनी	19	385
11	सढ़	22	100
12	अगरहुण्ड़ा	26	298
13	मानपुर	28	602
14	सिघोली	29	232
15	कलवारा खुर्द	31	422
16	खेरिया	32	278
17	हर्रा	35	230
18	खुटोरा	38	गैर आबाद
19	कोडर	39	89
20	सालिगपुर	45	545
21	पटना खालसा	47	505
22	कलवलिया	48	571
23	पटवरिया सानी	49	399
24	बरिया	57	गैर आबाद
25	अमवां	63	129
26	बिजोहरा	66	गैर आबाद
27	फनकाटा	71	454
28	उदघटा	72	380
29	रायपुर	73	780
30	बराउर	74	808
31	चिल्ली राकस	75	575
32	पथरा मानी	76	568
33	पिपरादर	77	309
34	नपैनार	78	1358
35	रमपुरिया सानी	80	गैर आबाद
36	गोरकोनी	82	71

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या
37	ढोलगवां	85	2
38	तेरा खुर्द	86	155
39	तेरा बुजुर्ग	87	113
40	खुरही	89	141
41	सुरकिहा	90	82
42	लड़ागुरुलपुर	92	90
43	लदेहटा	93	118
44	लौघौरा बुजुर्ग	97	142
45	मतीपुर	98	गैर आबाद
46	नहदुवा	99	22
47	नकेहली	101	122
48	ड़ढ़िया	103	गैर आबाद
49	उनाय बरना	104	563
50	भटबरना	107	गैर आबाद
51	महुकछ	110	13
52	सिकरिहा	112	408
53	पटवरिया अव्वल	113	गैर आबाद
54	कपना	117	402
55	इटोरा	118	997
56	बूढ़ा	121	299
57	बालापुर खालसा	124	485
58	पचोखर	126	950
59	मझियार	127	194
60	भुईहरी माफी	130	503
61	भामा माफी	278	157

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर)

जमा की गई 25/—सर्वे फीस का विवरण

क्रम-संख्या	नाम	रसीद संख्या	तारीख
	सर्वश्री:—		
1	मोहिउद्दीन	460891/36	26-3-87
2	जमुना	460891/34	,,
3	रामवृक्ष	460891/25	,,
4	अस्पष्ट	460891/30	,,
5	झिनकू	460891/27	,,
6	वल्ली	460891/23	,,
7	दीपचन्द	460891/22	,,
8	राजबली	460891/33	,,
9	दिल मुहम्मद	460891/35	,,
10	मु0 नवी सरवर	460891/29	,,
11	अस्पष्ट	460891/39	,,
12	मु0 मन्जूर	460891/37	,,
13	मु0 मुख्तार	460891/32	,,
14	जगदीश	460891 46	,,
15	बुधिराम	460891/44	,,
16	मु0 शकील	460891/45	,,
17	मस्जिद	460891/43	,,
18	अस्पष्ट	460891. 47	,,
19	मो0 जमील	460891/42	,,
20	मु0 सर्फराज	460891/41	,,
21	मु0 बशीर	460891/-0	,,
22	एखलाक	460891/24	,,
23	अस्पष्ट	460891/48	,,
24	अनसर	460891/39	,,
25	मु0 एजाज	460891/38	,,
26	राम शरीफ	460891/28	,,
27	सिरपत	460891/26	,,

27—टोटल

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 119 पर।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1990

31 मार्च, 1990 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त नाम

1---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 1990 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1989-90 के लिए 6,37,81,39,000 रुपये का दिया जाना विनियोग

2---ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 1990 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती हैं जो अनुसूची 3 स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिसका कुलयोग 6,37,81,39,000 रुपये (केवल छह अरब सैंतीस करोड़ इक्यासी लाख उनतालीस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

3---इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

अनुसूची
(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग	राजस्व	1,11,57	...	1,11,57
		पूंजी	..	...	..
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) ..	राजस्व	75,92	..	75,92
		पूंजी	..	25,24	25,24
3	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) ..	राजस्व	12,80,53	..	12,80,53
		पूंजी	34,70	..	34,70
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	49,35	47	49,82
		पूंजी	..	..	..
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	3,89,94	..	3,89,94
		पूंजी	1,25,00	..	1,25,00
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	1,21,45	5,71	1,27,16
		पूंजी	..	..	..
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) ..	राजस्व	3,67,38	..	3,67,38
		पूंजी	9,16,10	..	9,16,10
8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	6,64,83	..	6,64,83
		पूंजी	..	..	..
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	85	..	85
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	46,77	..	46,77
		पूंजी	50,00	..	50,00
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) ..	राजस्व	5,70,35	5,23	5,75,58
		पूंजी	1,17,00	..	1,17,00
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	17,84,77	..	17,84,77
		पूंजी	1,00,00	..	1,00,00
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) ..	राजस्व	24,16,74	1,27	24,18,01
		पूंजी	20,50	..	20,50
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ..	राजस्व	10,73,21	..	10,73,21
		पूंजी	..	..	..
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	9,23,72	..	9,23,72
		पूंजी	1,42,02	..	1,42,02
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) ..	राजस्व	52,49	..	52,49
		पूंजी	..	..	..
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभग (मत्स्य)	राजस्व	71,89	..	71,89
		पूंजी	..	..	..
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) ..	राजस्व	8,38,21	..	8,38,21
		पूंजी	3,17,95	5,68	3,23,63
19	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	50	..	50
	(क्षेत्रीय विकास)	पूंजी	15,00	..	15,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	37,81	..	37,81
		पूंजी	..	..	..
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	..	50,90	50,90
		पूंजी	..	..	..
22	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	5,95,91	80,78	6,76,69
		पूंजी	77,50	10,00,00	10,77,50
23	खेल विभाग	राजस्व	8,60	..	8,60
		पूंजी	1,40	..	1,40
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	1,20,56	..	1,20,56
		पूंजी	..	..	..
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	55,65	62,81	1,18,46
		पूंजी	9,40,00	29,42	9,69,42
26	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	3,32	..	3,32
		पूंजी	20,40	..	20,40
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	67,66,13	..	67,66,13
		पूंजी	3,67,21	..	3,67,21
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	13,72	..	13,72
		पूंजी	..	..	..
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	5,40	..	5,40
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	4,07	..	4,07
		पूंजी	..	..	..
31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	32,68	32,68
		पूंजी	..	..	..
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	76,57,02	6,54	76,63,56
		पूंजी	50,00	..	50,00

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) ..	राजस्व	9,11,45	..	9,11,45
		पूंजी	..	..	..
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	5,33,20	..	5,33,20
		पूंजी	..	..	..
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) ..	राजस्व	15,47,41	..	15,47,41
		पूंजी	..	..	..
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	45,76,76	..	45,76,76
		पूंजी	..	..	..
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	26,72,23	..	26,72,23
		पूंजी	..	..	..
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	32,81	..	32,81
		पूंजी	..	..	..
39	नियुक्ति विभाग	राजस्व	5,38	..	5,38
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	1,92,96	..	1,92,96
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	1,22,92	1,88,94	3,11,86
		पूंजी	23,21	..	23,21
43	परिवहन विभाग	राजस्व	1,16,77	..	1,16,77
		पूंजी	50,14	..	50,14
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	36,48	..	36,48
		पूंजी	75,28	..	75,28
45	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	50	..	50
		पूंजी	..	..	..
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	7,11,99	5,58	7,17,57
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

47	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	12,73,16	22	12,73,38
		पूंजी	8,56,35	..	8,56,35
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	9,77	...	9,77
		पूंजी	..	..	..
49	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	2,94,76	42	2,95,18
		पूंजी	22,93	..	22,93
50	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) ..	राजस्व	1,97,47	..	1,97,47
		पूंजी	..	..	..
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	16,96,10	..	16,96,10
		पूंजी	..	..	..
52	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	21,75	..	21,75
		पूंजी	..	..	..
53	वन विभाग	राजस्व	9,43,90	10,56	9,54,46
		पूंजी	1,04,60	..	1,04,60
54	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	28,00	..	28,00
55	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	16,77,83	..	16,77,83
	..	पूंजी	..	..	..
56	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ..	राजस्व	5,81,35	..	5,81,35
		पूंजी	7,90	..	7,90
57	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	11,62,37	..	11,62,37
		पूंजी	..	..	..
58	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) ..	राजस्व	3,25,18	..	3,25,18
		पूंजी	16,50	..	16,50
59	वित्त विभाग (सामुहिक बीमा)	राजस्व	4,72	..	4,72
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
60	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	1	1,06	1,07
		पूंजी	..	..	..
61	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	22.00	2,00	24,00
		पूंजी	..	..	..
62	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल ..	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	10,00	..	10,00
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	81,71	..	81,71
		पूंजी	..	..	..
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	2,40,65	..	2,40,65
		पूंजी	..	..	..
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	9,62,84	43	9,63,27
		पूंजी	1,45	..	1,45
66	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	38,46,22	..	38,46,22
		पूंजी	..	..	..
70	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	3,73,08	..	3,73,08
		पूंजी	73	..	73
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) . ..	राजस्व	11,42,17	..	11,42,17
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) ..	राजस्व	39,45	..	39,45
		पूंजी	40,89	..	40,89
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	42,40	..	42,40
		पूंजी	4,62,48	..	4,62,48
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) ..	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,55,48	..	1,55,48
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	3,05,00	..	3,05,00
		पूंजी	5,01,00	..	5,01,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

75-क	सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	5,98	..	5,98
		पूंजी	..	..	..
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	3,20,00	..	3,20,00
		पूंजी	4,56,06	..	4,56,06
78	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	5,52	..	5,52
		पूंजी	30,00	..	30,00
79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	राजस्व	6,69,35	50	6,69,85
		पूंजी	15,97	..	15,97
80	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	31,08	..	31,08
		पूंजी	..	..	..
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	6,72	..	6,72
		पूंजी	15,01	..	15,01
82	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	7,71,52	..	7,71,52
		पूंजी	..	..	..
83	सतर्कता विभाग	राजस्व	72,02	3,86	75,88
		पूंजी	..	..	..
84	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	..	1,44	1,44
		पूंजी	..	..	..
85	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	2,09,81	..	2,09,81
		पूंजी	..	..	..
86	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	56,86	..	56,86
		पूंजी	..	..	..
88	सूचना विभाग	राजस्व	4,32,05	..	4,32,05
		पूंजी	..	..	..
89	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	56,28	..	56,28
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
90	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) ..	राजस्व	3,96	..	3,96
		पूंजी	3,25,51	..	3,25,51
91	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) ..	राजस्व	3,10,82	..	3,10,82
		पूंजी	..	..	..
	योग ..	राजस्व	5,57,65,38	4,61,40	5,62,26,78
		पूंजी	64,94,27	10,60,34	75,54,61
	कुल योग ..	..	6,22,59,65	15,21,74	6,37,81,39

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिए पीछे पृष्ठ . . . . . 12 . . . . पर ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990

1 अप्रैल, 1990 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियो के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्तालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1990 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1990–91 के लिये 40,22,22,87,000 रुपये का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1990 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के संबंध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में स उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 40,22,22,87,000 रुपये (केवल चालीस अरब, बाइस करोड़, बाइस लाख, सत्तासी हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची
(धारायें 2 व 3 देख)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों स अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
1	आबकारी विभाग	राजस्व	2,29,03	3	2,29,06
		पूंजी	3,67	..	3,67
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) ..	राजस्व	7,61,27	7,63,33	15,24,60
		पूंजी	19,56,67	4,59,67	24,16,34
3	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) ..	राजस्व	70,93,80	..	70,93,80
		पूंजी	..	..	..
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	1,26,49	3	1,26,52
		पूंजी	50,00	..	50,00
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	11,39,24	8	11,39,32
		पूंजी	1,23,33	..	1,23,33
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	12,58,74	2,69	12,61,43
		पूंजी	3,16	3,39	6,55
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) ..	राजस्व	95,63	34,83	1,30,46
		पूंजी	6,78,33	45,56	7,23,89
8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	6,64,99	..	6,64,99
		पूंजी	..	..	..
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	7,33	..	7,33
		पूंजी	44,33	..	44,33

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	68,05	..	68,05
		पूंजी	2,56,91,29	..	2,56,91,29
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) ..	राजस्व	6,73,48	2,85	6,76,33
		पूंजी	96,31	..	96,31
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	54,65,61	1,04	54,66,65
		पूंजी	30,14,17	17	30,14,34
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) ..	राजस्व	1,65,37,05	17	1,65,37,22
		पूंजी	2,35,33	..	2,35,33
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ..	राजस्व	17,75,19	7	17,75,26
		पूंजी	..	..	..
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	14,20,11	3	14,20,14
		पूंजी	17,04	..	17,04
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) ..	राजस्व	69,64	60	70,24
		पूंजी	..	2,00	2,00
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	1,98,55	1	1,98,56
		पूंजी	..	..	..
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) ..	राजस्व	4,94,88	3,50,80	8,45,68
		पूंजी	11,50,00	3,17,52	14,67,52
19	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) ..	राजस्व	10,80,34	..	10,80,34
		पूंजी	..	..	..
20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	39,59	..	39,59
		पूंजी	..	..	..
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	33,95	81,60	1,15,55
		पूंजी	2,67	..	2,67
22	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	8,52,30	1,33,63	9,85,93
		पूंजी	3,72,52,33	18,33,50	3,90,85,83

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1		2		3	
23	खेल विभाग	राजस्व	92,64	..	92,64
		पूंजी	..	..	..
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	4,00,21	9	4,00 30
		पूंजी	1,50,00	59	1,50 59
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	7,08,76	6,55,41	13,64,17
		पूंजी	22,50,00	63,50	23,13,50
26	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	9,38,43	1	9,38,44
		पूंजी	..	..	..
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	1,66,43,86	17,09	1,66,60,95
		पूंजी	1,51,21	18,51	1,69 72
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	5,84,22	..	5,84,22
		पूंजी	..	..	..
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	11,63,93	..	11,63,93
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना	राजस्व	18,35	..	18,35
	निदेशालय तथा अन्य व्यय)	पूंजी	..	..	..
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	26,77	26,77
		पूंजी	..	..	..
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	57,08,18	33	57,08,51
		पूंजी	3,18,17	..	3,18,17
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) ..	राजस्व	9,56,85	1	9,56,86
		पूंजी	..	..	..
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	2,75,11	..	2,75,11
		पूंजी	..	..	..
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) ..	राजस्व	20,67,97	8	20,68,05
		पूंजी	5,00	..	5 00

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	24,77,20	13	24,77,33
		पूंजी	1	..	1
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	30,40,05	17	30,40,22
		पूंजी	..	..	..
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	84,05	..	84,05
		पूंजी	..	..	..
39	नियुक्ति विभाग	राजस्व	17,43	..	17,43
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	3,71,91	..	3,71,91
		पूंजी	..	..	..
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	4,47,72	..	4,47,72
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	15,80,69	2,82,79	18,63,48
		पूंजी	..	..	..
43	परिवहन विभाग	राजस्व	14,31,59	4	14,31,63
		पूंजी	20,26	..	20,26
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	60,89	..	60,89
		पूंजी	..	..	..
45	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	14,83	..	14,83
		पूंजी	..	..	..
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	10,83,85	28,34	11,12,19
		पूंजी	..	..	..
47	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	28,09,20	7,17	28,16,37
		पूंजी	24,77,49	6,00	24,83,49
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	17,42	91	18,33
		पूंजी	..	..	..
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	13,07,37	..	13 07.37
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1		2		3	
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	17,20,26	12	17,20,38
		पूंजी	..	..	..
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) ..	राजस्व	4,03,59	3,53	4,07,12
		पूंजी	47,41	9,95	57,36
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	54,09,50	52,42	54,61,92
		पूंजी	16,04	67,17	83,21
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	28,30	..	28,30
		पूंजी	33	..	33
54	वन विभाग	राजस्व	30,69,58	6,95	30,76,53
		पूंजी	9,59	..	9,59
55	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	5,94	4,44,20,26	4,44,26,20
		पूंजी	9,98,33	4,82,83,75	4,92,82,08
56	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें)	राजस्व	72,46,12	5,12	72,51,24
		पूंजी	..	..	..
57	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ..	राजस्व	3,62,56	..	3,62,56
		पूंजी	1,67	..	1,67
58	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	46,53,61	..	46,53,61
		पूंजी	..	..	..
59	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) ..	राजस्व	6,07,81	1	6,07,82
		पूंजी	..	..	..
60	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	4,80	5,63,23	5,68,03
		पूंजी	..	..	..
61	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	64,84	1,46	66,30
		पूंजी	..	..	..
62	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	2,48,27	2,43	2,50,70
			..	..	..
63	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	..	..	..
	(विधान मण्डल)	पूंजी	1,60,00	..	1,60,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

64	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	1,40,00	..	1,40,00
		पूंजी	..	..	..
65	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	2,50,11,07	12,77,67	2,62,88,74
		पूंजी	..	..	..
66	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	1,76,61,25	16,66,85	1,93,28,10
		पूंजी	11,00	..	11,00
67	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	45,89,68	18,62	46,08,30
		पूंजी	10,00	..	10,00
68	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	2,14,76	..	2,14,76
		पूंजी	..	..	..
69	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	राजस्व	80,69	..	80,69
		पूंजी	..	..	..
70	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	12,87,65	1	12,87,66
		पूंजी	..	..	..
71	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	8,76,32	7	8,76,39
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	25,20,75	2	25,20,77
		पूंजी	..	..	
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	1,70,36	3,01	1,73,37
		पूंजी	5,53,33	33	5,53,66
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	1,22,37	7,32	1,29,69
		पूंजी	3,33,63	17	3,33,80
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	10,51	7	10,58
		पूंजी	4,69,53	1,08	4,70,61
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	31,52,91	3	31,52,94
		पूंजी	1,19,23,70	17	1,19,23,87
77	सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	2,72	..	2,72
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

78	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	46,06,86	33	46,07,19
		पूंजी	28,91,33	..	28,91,33
79	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	1,69,35,04	3,51	1,69,38,55
		पूंजी	1,39,56,00	19,00	1,39,75,00
80	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	12,66	1	12,67
		पूंजी	8,33	..	8,33
81	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	राजस्व	12,03,52	13	12,03,65
		पूंजी	..	..	..
82	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) ..	राजस्व	44,78	..	44,78
	.. ..	पूंजी	..	..	.
83	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ..	राजस्व	2,32,99	1	2,33,00
		पूंजी	..	..	..
84	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	11,94,21	1	11,94,22
		पूंजी	..	..	..
85	सतर्कता विभाग	राजस्व	1,04,83	6,48	1,11,31
		पूंजी	..	..	..
86	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	8,00	2	8,02
		पूंजी	3,21	17	3,38
87	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	98,54	1	98,55
		पूंजी	..	..	..
88	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	2,19,80	1	2,19,81
		पूंजी	..	..	..
89	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	13,23	..	13,23
		पूंजी	..	..	
90	सूचना विभाग	राजस्व	2,43,58	..	2,43,58
		पूंजी	..	..	..
91	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	53,50	1	53,51
		पूंजी	33	..	33

उत्तर प्रदेश विधान सभा

92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) ..	राजस्व	40,23,17	1	40.23,18
		पूंजी	1	..	1
93	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) ..	राजस्व	4,26,53	1	4,26,54
		पूंजी	..	..	..
94	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) ..	राजस्व	99,81	1	99,82
	..	पूंजी	..	..	..
		राजस्व	19,35,75,24	5,04,30,89	24,40,06,13
	योग ..	पूंजी	10,70,84,54	5,11,32,20	15,82,16,74
	कुल योग ..	..	30,06,59,78	10,15,63,09	40,22,22,87

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0पी0–एल0–14 विधान सभा–(22)–1990–813